REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082020-221342 CG-DL-E-25082020-221342

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2020/भाद्र 3, 1942 No. 343] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2020/BHADRA 3, 1942

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

फा. सं. 11-पीपीजी/2020.—नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. लघुशीर्ष तथा प्रारंभ –

(1) यह विनियम लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन), 2020 कहे जाएंगे।

(2) यह विनियम इनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 का प्रतिस्थापन लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन), 2020 द्वारा किया जाए।

विधु सूद, प्रधान निदेशक (प्रोफेशनल प्रैकटिसेज ग्रुप)

[विज्ञापन-III/4/असा./199/2020-21]

टिप्पणी : लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 दिनांक 20.11.2007 में प्रकाशित किए गए थे। विनियमों में तदनन्तर अधिसूचना संख्या- लेखापरीक्षा (नियम)/15-2009 दिनांक 4 जून 2010 और संख्या पीपीजी/35-2012 दिनांक 18 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधन किया गया जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम संख्या 56) की धारा 23 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, नामत:

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग और प्रारम्भ

(1) ये विनियम 'लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन), 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये विनियम भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारियों और स्टाफ तथा संघ सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा निकायों, प्राधिकरणों और उद्यमों, जिन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अथवा लेखा क्षेत्राधिकार लागू होता है, पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

(1) **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के किसी लेखा कार्यालय का विभागाध्यक्ष चाहे उसका कोई भी पदनाम हो;

(2) **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के किसी लेखापरीक्षा कार्यालय का विभागाध्यक्ष चाहे उसका कोई भी पदनाम हो;

(3) **लेखा कार्यालय** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का एक ऐसा कार्यालय जो लेखे रखने के लिए उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों अथवा विभागों द्वारा भेजे गए प्रारम्भिक और सहायक लेखाओं से लेखाओं के संकलन के लिए और सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में हकदारी कार्य के लिए उत्तरदायी हो;

(4) **लेखा अधिकारी** का तात्पर्य है एक ऐसा अधिकारी, जिसे चाहे किसी भी पदनाम से बुलाया जाए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं अथवा हकदारी अथवा सम्बन्धित कार्य के लिए एक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(5) **अभिगम** से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, अभिप्रेत है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में और भौतिक अभिगम सहित प्रवेश प्राप्त करना, उसके तर्कसंगत, अंकगणितीय अथवा स्मृति फलन संसाधनों के द्वारा अनुदेश देना या संसूचना देना।

(6) **अधिनियम** का तात्पर्य है नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम संख्या 56);

(7) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ **किसी अन्य कंपनी** से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 में उल्लिखित कंपनी से है जिसका स्वामित्व या नियत्रंण, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कोई अन्य कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 में आती है उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) में 'नियंत्रण' की परिभाषा के साथ पढ़ा जाए।

(8) लेखापरीक्षा का तात्पर्य है लेखाओं, संव्यवहारों, अभिलेखों, डेटा, सूचना तथा दस्तावेजों की जांच जो भारत के संविधान और अधिनियम में यथा निर्धारित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हो और इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित निष्पादन लेखापरीक्षा अथवा किसी अन्य प्रकार की लेखापरीक्षा शामिल है। जब संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तब यह पूरे लेखापरीक्षा विभाग अथवा संदर्भ के अनुसार इसके किसी भाग के लिए संदर्भित है;

(9) **लेखापरीक्षा बोर्ड** का तात्पर्य लेखापरीक्षा बोर्ड से है जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा गठित किया गया है; (10) **लेखापरीक्षा विभाग अथवा लेखापरीक्षा संस्थान** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय जो भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी हों;

(11) **लेखापरीक्षा कार्य** में वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा या निष्पादन लेखापरीक्षा, या इन के संयोजन में या तो प्रमाणिक कार्यों या प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग कार्यों की प्रकृति वाली पृथक लेखापरीक्षा समनुदेशन है।

(12) **लेखापरीक्षणीय सत्त्व** का तात्पर्य है अपने कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय, कम्पनी, निगम, निधि अथवा कोई अन्य सत्त्व सहित संघ अथवा राज्य सरकार जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हो; जहां शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्व, लेखापरीक्षा इकाईयों तथा कार्यान्वयन इकाईयों में वर्गीकृत किया गया है;

(i) **शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्व** का तात्पर्य, परन्तु यह सीमित नहीं है, महालेखाकार की लेखापरीक्षा अधिकार के अधीन प्रत्येक सरकारी विभाग या कार्य के संबंध में सरकार में उच्च प्राधिकारी है उदाहरणत: मंत्रालय या विभाग के प्रमुख। ये शीर्ष सत्व नीति निर्धारण तथा दूरदृष्टि के संबंध में लेखापरीक्षा ईकाई तथा कार्यान्यवन ईकाईयों के उत्तरदायित्व से अलग है। तथापि, कुछ मामलों में, लेखापरीक्षा ईकाइयों के रूप में कुछ सत्व (उदाहरणत: बोर्ड, निकाय या प्राधिकारी, सरकारी कम्पनियां, निगम इत्यादि) एक विशिष्ट कार्य के संबंध में एक शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्व की आवश्यक योग्यताएं रखता है।

(ii) **लेखापरीक्षा ईकाई** से तात्पर्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा श्रेणीगत तथा अभिज्ञापित ईकाईयां हैं जिनमें निम्न गुण शामिल है- प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का पर्याप्त अंतरण, शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्व के उद्देश्यों के संबंध में परिचालन महत्व तथा कार्य स्वायतता।

(iii) **कार्यान्वयन ईकाई** से तात्पर्य सरकार/शीर्ष लेखापरीक्षणीय सत्व के अंतिम सेवा प्रदात्ता, सत्वों, कार्यालयों तथा कार्यान्वयन इकाई है।

(13) **लेखापरीक्षा अधिदेश** का तात्पर्य है भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार और इसमें अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा सौंपी गई लेखापरीक्षा शामिल है;

(14) **लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों** से तात्पर्य एक लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किया गया एक संप्रेषण है, जिसमें वित्तीय अथवा अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी किए गए लेखाओं पर टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा परिणाम निहित है। इसमें मानदंडों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा में दिए गए साक्ष्य के पर्याप्त विवरण, लेखापरीक्षा निष्कर्ष और जहां लागू हो, सिफारिशें शामिल होंगी;

(15) **लेखापरीक्षा कार्यालय** का तात्पर्य है लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कोई कार्यालय;

(16) **लेखापरीक्षा अधिकारी अथवा लेखापरीक्षक** का तात्पर्य है एक ऐसा अधिकारी, जिसे चाहे किसी भी पदनाम से बुलाया जाए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए एक सामान्य अथवा एक विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(17) **लेखापरीक्षा पूछताछ** से तात्पर्य लेखापरीक्षा द्वारा तथ्यों की पुष्टि अथवा प्राप्त परिणाम अथवा लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित किसी स्पष्टीकरण के लिए लेखापरीक्षा के दौरान जारी किया गया एक संप्रेषण है;

(18) **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत अथवा अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत अथवा संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 49 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से है;

(19) **लेखापरीक्षा अधिग्रहण** से तात्पर्य लेखापरीक्षा के द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले आंकड़े, दस्तावेजों एवं सूचनाओं का अनुरोध करने के लिए जारी किया गया एक संप्रेषण है;

(20) **लेखापरीक्षण मानकों** का तात्पर्य जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों से है; (21) **लेखापरीक्षा दल मार्गदर्शक/पर्यवेक्षी अधिकारी** से तात्पर्य एक ऐसा अधिकारी है जो लेखापरीक्षा के लिए तैनात किए गए एक लेखापरीक्षा दल का प्रभारी हो;

(22) **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक** का तात्पर्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है, से है;

(23) डेटा से सूचना, जानकारी, तथ्यों, संकल्पनाओं या अनुदेशों का निरूपण अभिप्रेत है जिन्हें एक निश्चित रीति से तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है और जो कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किए जाने के लिए आशयित है, संसाधित किया जा रहा है या संसाधित किया गया है और जो किसी रूप में (जिसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रिन्टआउट, चुम्बकीय या प्रकाशीय भंडारण मीडिया, छिद्रित कार्ड, छिद्रित टेप हैं) या कंप्यूटर की मेमोरी में आंतरिक रूप से भंडारित हो सकता है; इन विनियमों के उद्देश्यों हेतु, डेटा, सूचना और दस्तावेजों में संव्यवहारों, अभिलेखों, बहियों, लेखाओं, कागजात आदि को शामिल किया जाएगा ताकि जो भी डेटा, सूचना और दस्तावेज लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा अनुरक्षित है उसका व्यापक रूप से समाधान किया जा सके।

(24) **ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** से तात्पर्य लेखापरीक्षा के परिणामों की सूचना से है और इन्हे ड्राफ्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन या ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन या ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कहा जाएगा जिसमें संदर्भानुसार वित्तीय या अनुपूरक लेखापरीक्षा या किसी अन्य लेखापरीक्षा के परिणाम बताए जाएंगे।

(25) सूचना के संदर्भ में **इलेक्ट्रोनिक प्रारूप** का तात्पर्य मीडिया, मेगनेटिक, ऑप्टिकल, कम्प्यूटर मेमोरी, माइक्रो फिल्म, कम्प्यूटर द्वारा सृजित माइक्रो फिशे और समान यंत्र में सृजित, भेजी गई, प्राप्त या संचित कोई सूचना है।

(26) **इलेक्ट्रोनिक अभिलेख** का तात्पर्य किसी इलेक्ट्रोनिक रूप या माइक्रो फिल्म या कम्प्यूटर द्वारा सृजित माइक्रो फिशे में भंडारित, प्राप्त या भेजे गए डेटा, अभिलेख या सृजित, डेटा चित्र या ध्वनि से है;

(27) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ **हकदारी** का तात्पर्य वेतन, भविष्य निधि अथवा पेंशन सम्बन्धी कार्य और सम्बन्धित कार्य से है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को करने होते हैं;

(28) **सरकार** का तात्पर्य है संघ सरकार, एक राज्य सरकार और/अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो;

(29) सरकारी कम्पनी से तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत यथा परिभाषित सरकारी कंपनी से है;

(30) **निर्देशन टिप्पणियों** को लेखापरीक्षा निष्पादन बढ़ाने में सहायता करने, विशिष्ट विषयवस्तु या लेखापरीक्षा तकनीक या कार्यपद्धति आदि को समझने के लिए दिशानिर्देशों के समर्थन हेतु जारी किया जाता है ये सामान्यत: सिफारिशी प्रकृति की होती है जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

(31) **मार्गनिर्देश सिद्धांत** वे मार्गनिर्देश सिद्धांत हैं जो अधिदेश को लागू करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए हैं। ये सामान्यतया व्यावसायिक मामलों पर होते हैं। मार्गनिर्देश सिद्धांत इन विनियमों, स्थाई आदेशों तथा लेखापरीक्षण मानकों के साथ संगत होने आवश्यक हैं और लेखापरीक्षा अधिकारियों और लेखा अधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन आवश्यक है;

(32) **सूचना** का अर्थ है किसी रूप में कोई सामग्री जिसमें अभिलेख, संव्यवहार, दस्तावेज, मीमो, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस रिलीज, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, पेपर्स, नमूना, मॉडल, डेटा या अन्य सामग्री जो किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी हो और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित सूचना जिस पर वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है।

(33) **निरीक्षण रिपोर्ट** का तात्पर्य है लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी की गयी एक रिपोर्ट जिसमें लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हों;

(34) **स्थानीय निधि लेखापरीक्षक** का तात्पर्य है एक लेखापरीक्षक, जिसे चाहे किसी भी पदनाम से बुलाया जाए, पंचायती राज संस्थानों और/अथवा शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सामान्यतया एक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए; (35) प्रमुख अनियमितता से तात्पर्य है (क) लेखापरीक्षा में पता चली संदिग्ध महत्त्वपूर्ण धोखाधड़ी अथवा सांठ-गांठ अथवा भ्रष्टाचार का दृष्टांत अथवा (ख) गम्भीर स्वरूप की अनियमितता जिसमें सार्वजनिक निधियां शामिल हों विशेषकर जो कुप्रबन्धन, हानि, अपशिष्ट, निरर्थक व्यय अथवा राजस्व की हानि, आंतरिक नियंत्रण की गंभीर विफलता/उल्लंघन आदि से संबंधित हो;

(36) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के **अधिदेश** का तात्पर्य है वह प्राधिकार जो भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत लेखाओं और लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उनमें विहित हो;

(37) **प्रैक्टिस नोट्स** लेखापरीक्षा और लेखाकरण मामलों पर विस्तृत अनुदेश हैं। इनका नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विनियमों, स्थायी आदेशों, लेखापरीक्षण मानकों और मार्गनिर्देशों से संगत होना आवश्यक है;

(38) **अभिलेख** का अर्थ है (क) कोई दस्तावेज, हस्तलिपि और फाईल; (ख) कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच और एक दस्तावेज की अनुलिपि; (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म (चाहे विस्तृत रूप में हो या नहीं) में लगायी गयी इमेज या इमेजों का कोई पुन: प्रस्तुतीकरण; और (घ) एक कम्प्यूटर या किसी अन्य डिवाईस द्वारा प्रस्तुत की गयी कोई अन्य सामग्री;

(39) **पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** का तात्पर्य है एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें किसी प्राधिकरण, निकाय अथवा निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां दी गई हों चाहे वह विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हों अथवा न हों;

(40) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के **स्थायी आदेश** प्रशासनिक मामलों पर आदेश सहित स्थायी स्वरूप के वे आदेश हैं जो अधिदेश को पूरा करने के लिए जारी किए गए हैं। इन्हें इन विनियमों के संगत होना आवश्यक है और लेखा अधिकारियों तथा लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन आवश्यक है;

(41) **सांविधिक लेखापरीक्षक** से तात्पर्य एक लेखापरीक्षक अथवा एक लेखापरीक्षण फर्म से है जिसे सरकारी कम्पनी अथवा किसी अन्य कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है;

इन विनियमों में प्रयुक्त परन्तु यहां परिभाषित न की गई सभी अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः संविधान में अथवा अधिनियम में दिया गया है। अधिगम, डेटा, सूचना, इलेक्ट्रानिक रिकार्ड, रिकार्ड, इलेक्ट्रानिक प्रारूप की परिभाषाएं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 के अनुसार है।

अध्याय 2

अधिदेश और कार्यक्षेत्र

3. लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश

संघ और राज्यों, सरकारी कम्पनियों और निगमों, निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश संविधान और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में निर्दिष्ट किया गया है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकारी हैं जिन्हें संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 13, (धारा 17 के साथ पठित) और धारा 16 के अन्तर्गत संघ और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के सभी व्यय, सभी प्राप्तियों तथा अन्य संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करना नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कर्तव्य है।

संविधान के अंतर्गत तथा अधिनियम की धारा 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिदेश में निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखापरीक्षा भी शामिल की गई है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद या राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

4. लेखापरीक्षा के व्यापक उद्देश्य

लेखापरीक्षा के व्यापक उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन और लोक प्रशासन की वैधानिकता, वैधता, नियमितता, औचित्य, मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता की जांच करना है।

5. लेखापरीक्षा के प्रकार

लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करने के लिए, लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अग्रलिखित मुख्य प्रकारों की लेखापरीक्षा की जाती है:

(1) वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करती है कि क्या सत्व के वित्तीय विवरण और सूचना सभी संदर्भों में उचित रूप से तैयार, पूर्ण की गई है और निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग और विनियामक प्रारूप के अनुसार पर्याप्त प्रकटनों के साथ प्रस्तुत किए गए है; और लेखापरीक्षक को यह मत व्यक्त करने में कि क्या वित्तीय विवरण और सूचना सत्व की वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या कथन रहित है, सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त और उचित प्रमाण प्रदान करता है।

(2) अनुपालन लेखापरीक्षा, जो कि स्वतंत्र निर्धारण है कि क्या प्रदत विषय-वस्तु (किसी सत्व या सत्त्वों के समूह के संबंध में गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय संव्यवहार, सूचना) में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित कोड आदि और सुदृढ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक अधिकारियों के आचार को शासित करने वाले सामान्य सिद्धातों का सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में अनुपालन किया गया है।

(3) निष्पादन लेखापरीक्षा जो कि स्वतंत्र, उद्देश्यात्मक, विश्वसनीय जांच है कि क्या सरकारी सत्व, संस्थान, संचालन, कार्यक्रम, निधि, गतिविधियां (इनके इनपुटों, प्रोसेस, आउटपुट, परिणाम और प्रभाव सहित) मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता के सिद्धांतों के अनुसार प्रचालन कर रहे हैं और क्या सुधार की कोई गुंजाईश है।

(4) वे लेखापरीक्षाएं भी की जाती हैं जो वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा के सभी या कुछ पहलुओं का संयोजन हैं।

6. लेखापरीक्षा की रूपरेखा

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से की जाने वाली सभी लेखापरीक्षाएं भारत के संविधान और अधिनियम के अनुसार होगी। ऐसी लेखापरीक्षाओं का आयोजन इन विनियमों, लेखापरीक्षण मानकों, स्थायी आदेशों, लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन प्रारूप, नीति-संहिता, दिशा-निर्देशों, नियमपुस्तकों, मार्गदर्शक टिप्पणियों, प्रैक्टिस नोट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये अन्य निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त सूचीबद्ध दस्तावेज नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जायेंगे और नवीनतम स्थिति दर्शाने के लिए नियमित रूप से अद्यतित किए जाएंगे।

7. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और सीमा

- (1) अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान किया गया है कि लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ऐसा प्राधिकार यह सुनिश्चित करने कि लेखापरीक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं, से इतर किसी विचार तक सीमित नहीं होगा।
- (2) लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को लेखापरीक्षा के प्रकार और लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अनुरूप परिभाषित किया जाएगा और इसमें लेखापरीक्षणीय सत्त्वों के आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन शामिल हो सकता है। ऐसा मूल्यांकन या तो लेखापरीक्षा के एक अभिन्न घटक के रूप में या एक विशेष लेखापरीक्षा समनुदेशन के रूप में किया जा सकता है।
- (3) इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करने के लिए और लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी संव्यवहार, कार्यविधि, कार्यक्रम, योजना, संगठन या सत्त्व के लिए, पूर्ण और प्रासंगिक दोनों, की अन्य लेखापरीक्षा करने का निर्णय ले सकते हैं।
- (4) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा की सीमा निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें कवरेज की अवधि, लेखापरीक्षणीय सत्त्व की इकाईयां, नमूना चयन की सीमा, यदि नमूना चयन किया गया है और लेखापरीक्षा पूछताछ की सीमाओं सहित लेखापरीक्षा की मात्रा शामिल होती हैं।
- (5) अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जब परिस्थितियां ऐसा उचित ठहराएं, किन्हीं लेखाओं अथवा संव्यवहारों की श्रेणी की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को अभिमुक्त कर सकते हैं और ऐसे लेखाओं अथवा संव्यवहारों के सम्बन्ध में ऐसी सीमित जांच, जैसी वह अवधारित करें, लागू कर सकते हैं।

6

8. लेखापरीक्षा करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्राधिकार

अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि

- (1) संघ के या किसी राज्य के अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के नियंत्रणाधीन किसी लेखा कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है;
- (2) यह अपेक्षा करें कि कोई लेखे, खाते, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो ऐसे संव्यवहारों के बारे में हो या उनका आधार हो या अन्यथा उन संव्यवहारों से सुसंगत हों जिन तक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित उसके कर्तव्यों का विस्तार है, ऐसे स्थान पर भेज दिये जाएं जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करे;
- (3) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है या ऐसी टीका-टिप्पणी कर सकता है जो वह ठीक समझे और ऐसी जानकारी मांग सकता है जिसकी उसे किसी ऐसे लेखा या रिपोर्ट की तैयारी के लिये आवश्यकता हो जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है;
- (4) किसी कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखाओं का निरीक्षण या लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी है, जानकारी के लिये किये गये सभी अनुरोधों को यथासंभव पूरे तौर पर और समुचित शीघ्रता से पूरा करेगा।

9. लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में कार्यकारिणी की भूमिका और शक्तियां

संविधान में प्रतिष्ठापित, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, कार्यकारिणी के पास नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश और इसके क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश करने की कोई शक्तियां नहीं है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यकारिणी के किन्हीं निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा करने, आशोधित करने, लेखापरीक्षा करने से रोकने, लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों को छिपाने या आशोधित करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

तथापि, यह लेखापरीक्षा के लिए मामलों का प्रस्ताव करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुरोध करने से प्रतिबाधित नहीं करता। इस सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का होगा।

10. प्रबन्धन समितियों में सहभागिता

लेखापरीक्षकों को सामान्यत: प्रबन्धन समितियों का सदस्य नहीं बनना चाहिए जिनके विचार स्थापना, प्रशासन, बजट आबंटन, परियोजना चयन, परियोजना क्रियान्वयन आदि के मामलों में कार्यकारी निर्णय में सहायता कर सकते हैं। उपरोक्त के किसी अपवाद के मामले में किसी ऐसी समिति की सदस्यता की स्वीकृति या इसकी चर्चा में भाग लेने से पूर्व उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कार्मिक प्रभारी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

यदि परामर्श दिया जाना है तो इसे उपलब्ध सूचना के आधार पर लेखापरीक्षा परामर्श अथवा सिफारिश के रूप में सूचित किया जाना चाहिए और इसकी अभिस्वीकृति स्पष्टत: इसी प्रकार दी जानी चाहिए। ऐसा लेखापरीक्षा परामर्श या सिफारिश लेखापरीक्षक को परामर्श दिए गए मामले पर लेखापरीक्षा करने या उससे सम्बन्धित अभ्युक्तियां करने के अधिकार से वंचित नहीं करता।

11. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ मामलों पर परामर्श

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाकरण मानकों और नीतियों तथा लेखाओं/वित्तीय विवरणों के प्रारूप जैसे मामलों में कार्यकारिणी को सलाह देगा (विशेषत : परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत निर्दिष्ट परामर्श तक सीमित नहीं है)।

12. बाह्य एजेंसी या विशेषज्ञ की नियुक्ति

(क) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जहां सुसंगत और आवश्यक हो, आंतरिक लेखापरीक्षकों, अन्य लेखापरीक्षकों और विशेषज्ञों के कार्य को उपयोग कर सकते है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक लेखापरीक्षा या लेखा कार्य करने में या उत्तम पद्धतियों से सीखने में बाह्य स्रोतो से विशेष निपुणता का भी उपयोग कर सकता है। ऐसे सभी मामलों में विशेषज्ञ जानकारी उपलब्ध कराने या विशेष कार्य करने में सम्बद्ध हो सकते हैं। (ख) तथापि, लेखापरीक्षा बाह्य एजेंसी या विशेषज्ञ के कार्य के आधार पर निरूपित विचारों या निकाले गए निष्कर्षों या अपने प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के लिए उत्तरदायी होगी।

13. विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्दर एक कार्यक्रम, परियोजना या संगठन की विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध पर उचित विचार करेगा बशर्ते कि ऐसा प्रत्येक अनुरोध:

(क) सरकार के सम्बन्धित विभाग के सचिव के अनुमोदन से किया गया है;

 (ख) उस औचित्य और कारणों का उल्लेख करेगा जिससे किसी प्रारंभिक पूछताक्ष, जांच या अध्ययन, जो पहले किया गया हो, के परिणामों सहित विशेष लेखापरीक्षा की आवश्यकता अनुभव की गयी हो; और

(ग) विशेष लेखापरीक्षा में कवर की जाने वाली अवधि निर्दिष्ट की जाए।

(2) विशेष लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

14. विशेष लेखापरीक्षा के परिणाम सूचित करना

(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) विशेष लेखापरीक्षा के परिणाम सरकार के सम्बन्धित विभाग के सचिव को सूचित करेगा और एक राज्य या विधान सभा वाले एक संघ राज्य क्षेत्र के मामले में इन परिणामों को सरकार, वित्त विभाग के सचिव को भी सूचित करेगा।

(2) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी विशेष लेखापरीक्षा के परिणाम वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को सूचित करने और लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनको शामिल करने का अधिकार है।

15. सभी मामलों में सामान्य अथवा आम विनियम लागू होना

सामान्य अथवा आम विनियम सभी मामलों में लागू होंगे बशर्ते कि इन विनियमों में विशिष्ट अध्यायों में विशेष प्रावधान किए जाएं।

अध्याय 3

सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में लेखापरीक्षण

16. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) वातावरण में लेखापरीक्षण

(1) लेखापरीक्षा, चाहे; वित्तीय, अनुपालन या निष्पादन लेक्षापरीक्षा हो, ये आजकल अधिक से अधिक आईटी वातावरण में की जा रही हैं। सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र सत्वों ने अपनी विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की कार्य प्रणाली और सुपुर्दगी में कुशलता और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए सतत् रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाया है। आईटी ने सूचना को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने, स्टोर करने, प्रसंस्कृत करने, पुन: प्राप्त करने और देने को संभव बनाया है और कई मामलों में सार्वजनिक सेवाओं का सुपुर्दगी का तरीका तीव्र गति से भौतिक रूप से इलैक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित हो रहा है।

(2) आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा निम्नलिखित में से एक या दोनों को कवर करती है:

(i) आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा या आईटी लेखापरीक्षा

(ii) लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए विभिन्न आईटी टूल का प्रयोग करते हुए वित्तीय, अनुपालन या निष्पादन लेखापरीक्षाएं (या संयुक्त लेखापरीक्षाएं) भी- ''आईटी आधारित लेखापरीक्षाओं'' के रूप में संदर्भित की जाती है।

(3) इन विनियमों में दिये गये लेखापरीक्षा के विस्तृत सिद्धांत, डेटा, सूचना और दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता आईटी वातावरण में लेखापरीक्षण के लिए लागू होगी।

(4) यदि लेखापरीक्षणीय सत्व की आईटी प्रणालियों अथवा उनके द्वारा उपयोग की जा रही आईटी द्वारा महत्वपूर्ण ऑफलाईन/ मैन्यूल दस्तावेजीकरण/ अनुमोदन रहित एंड टू एंड स्वचालित समाधान होता है और आईटी डेटा की समग्रता और गैर-अस्वीकरण सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण को पर्याप्त और प्रभावी बनाने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किया जाता है, उत्पादन और परिणामों को छोड़कर लेखापरीक्षा का काफी बड़ा भाग ऑफ साईट ही किया जाता है; या जैसा लेखापरीक्षा में विशेष मूल नियंत्रणों के लिए आवश्यक होने वाली लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

17. आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा

(1) आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा ऐसा आश्वासन प्राप्त करने की प्रक्रिया है कि क्या आईटी प्रणालियों का विकास, कार्यान्वयन और अनुरक्षण संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करता है, सूचना परिसंपत्तियों की सूरक्षा करता है और डेटा समग्रता को बनाये रखता है। अन्य शब्दों में, यह आईटी प्रणालियों और आईटी नियंत्रणों के कार्यान्वयन की एक जांच है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रणालियाँ सुरक्षा, गोपनीयता, लागत और अन्य महत्वपूर्ण कारोबारी कारकों को खतरे में न डालते हुये संगठन की कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह महत्वपूर्ण रूप से यह उन क्षेत्रों को भी निश्चित करता है कि क्या और किस सीमा तक, लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु सत्यता के एकल स्त्रोत के रूप में डेटा पर निर्भर रहा जा सकता है।

(2) लेखापरीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आईटी प्रणालियों के मुख्य पहलुओं में अग्रलिखित शामिल हैं:

(i) आईटी प्रशासन और प्रबंधन जो समग्र प्रारूप है जो किसी संगठन के आईटी प्रचालनों का मार्गदर्शन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सत्व की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा कि यह भावी आवश्यकताओं और वृद्धि के लिए योजनाएं तैयार करता है।

(ii) सूचना के लिए लागू नियंत्रण मानदंड या विशेषताएं नामत: प्रभावकारिता, कुशलता, गोपनीयता, समग्रता, गैर-अस्वीकरण, उपलब्धता, अनुपालन और विश्वसनीयता हैं।

(iii) आईटी संसाधन या परिसंपत्तियां, जिन्हें आईटी अनुप्रयोगों, सूचना, अवसंरचना और जनता में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

(iv) नियंत्रणों जो कि नीतियां, प्रक्रियाएं, कार्यपद्धतियां और संगठनात्मक संरचना हैं, को उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाईन किया गया हैं कि संगठनात्मक/कारोबारी उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे और अनपेक्षित घटनाओं से बचा जाएगा या पता लगाया जाएगा और सुधारा जाएगा। नियंत्रण या तो हस्त्य रूप से या योजना बद्ध/स्वचालित हो सकते हैं। नियंत्रणों को सामान्य नियंत्रण में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, जो कि वे नियंत्रण हैं जो ऐसे वातारण से संबंधित होते हैं जिसमें कंप्यूटर आधारित अनुप्रयोग प्रणाली विकसित, अनुरक्षित और प्रचालित की जाती हैं तथा वे अनुप्रयोग नियंत्रण जो कि प्रत्येक विशिष्ट कंप्यूटरीकृत अनुप्रयोग के लिए विशेष नियंत्रण होते हैं।

(v) सूचना सुरक्षा, जो कि गोपनीयता, समग्रता, और गैर-अस्वीकरण और उपलब्धता के संबंध में सूचना और प्रणाली संसाधनों की सुरक्षा है। जैसे-जैसे सूचना प्रौद्योगिकियों की संभावना, जटिलता और भूमिका बढ़ती है, सूचना सुरक्षा आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है।

(vi) आईटी के प्रबंधन की एंड टू एंड प्रक्रियाएं सूचना प्रणाली और सेवाओं की योजना और संगठन; संकलन और कार्यान्वयन; सुपुर्दगी और सहायता तथा निगरानी और मूल्यांकन को शामिल करती है।

(3) वे पहलू जो लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के भाग के रूप में कवर किये जा सकते हैं उनमें व्याख्यात्मक रूप से निम्निलखित शामिल किया जा सकता है:

(i) आईटी प्रशासन और प्रबंधन और आईटी प्रणाली के लिए योजना;

- (ii) किसी आईटी प्रणाली का संकलन, विकास और कार्यान्वयन;
- (iii) किसी आईटी प्रणाली के लिए अनुप्रयोग नियंत्रण;
- (iv) मौजूदा आईटी प्रणाली का प्रचालन और अनुरक्षण (परिवर्तन प्रबंधन सहित);
- (v) आईटी आऊटसोर्सिंग (वेंडर लॉक-इन और एग्जिट प्रबंधन परिचयन सहित);
- (vi) आईटी प्रणाली हेतु सूचना सूरक्षा और जोखिम प्रबंधन;
- (vii) आईटी प्रणालियों हेतु आपदा बहाली और कारोबार निरंतरता योजना;

(4) लेखापरीक्षा विभिन्न वैधीकरणों जैसे योजना और व्यवहार्यता अध्ययन; आवश्यक विनिर्देश; अधिप्राप्ति और संविदाकरण; डिजाईन और विकास; परीक्षण और कार्यान्वयन; प्रचालन और अनुरक्षण आदि के लिए आईटी प्रणालियों के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में आईटी प्रणालियों की जांच कर सकता है। उसमें आईटी प्रणाली की लेखापरीक्षा भी शामिल हो सकती है जो विकास या कार्यान्वयन के अंतर्गत है।

(5) जांच हेतु आईटी तंत्र, निष्कर्ष और डेटा विश्लेषण/विश्लेषिकी और सहायक दस्तावेजीकरण और अभिलेखों (इलैक्ट्रॉनिक और मैन्यूल) की विस्तृत संवीक्षा के संयोजन का प्रयोग करते हुए किसी आईटी प्रणाली (अपनी सटीकता और प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन प्राप्त करने के लिए) में नियंत्रणों के मूल परीक्षण किये जा सकते हैं।

(6) एक लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा किसी आईटी प्रणाली के सभी चरणों (योजना; संकलन; डिजाईन; विकास और कार्यान्वयन; सुपुर्दगी और सहायता; निगरानी और मूल्यांकन) से संबंधित पूरे दस्तावेज रखने अपेक्षित हैं। इसे अपनी आईटी प्रणालियों में किये गये सभी परिवर्तनों के दस्तावेज बनाने भी अपेक्षित है। इसके पूर्णत: या आंशिक रूप से अभाव को अनुमान सहित लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया जाता है।

(7) लेखापरीक्षणीय सत्त्व को यह सुनिशचित करना अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा के सरलीकरण के उद्देश्य हेतु सभी आवश्यकताएं आईटी प्रणाली में शामिल की गई हैं और आईटी प्रणाली की लेखापरीक्षा को इस संबंध में अभाव/कमियों; यदि कोई है; तो उन पर टिप्पणी करनी चाहिए।

(8) लेखापरीक्षा द्वारा आवधिक अंतरालों में विभिन्न आईटी प्रणाली या प्रयोग किए जा रहे या विकसित किये जा रहे प्लेटफार्म (मोबाईल ऐप आदि सहित) के बारे में लेखापरीक्षणीय सत्व से सूचना मांगी जा सकती है और लेखापरीक्षणीय सत्व अपेक्षित विवरण प्रदान करेगा।

(9) लेखापरीक्षा के जोखिम निर्धारण और प्राथमिकता देने के आधार पर आईटी प्रणाली (प्रणालियों) की लेखापरीक्षा आवश्यक होगी, यदि यह एक नई कार्यान्वित प्रणाली है या इसमें विगत लेखापरीक्षा से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने हैं ताकि डेटा की समग्रता, गैर-स्वीकरण और विश्वसनीयता बनाई जा सके।

18. आईटी सहायता प्राप्त लेखापरीक्षाएं

- (1) आईटी सहायता प्राप्त लेखापरीक्षाओं में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करने के लिए परपंरागत डेटा विश्लेषण तंत्रों [कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक (सीएएटी) के रूप में भी संदर्भित] और डेटा विश्लेषिकी/वृहद् डेटा विश्लेषिकी तक सीमित न होकर विभिन्न आईटी तंत्रों के प्रयोग को शामिल किया जाता है।
- (2) ऐसा विश्लेषण या विश्लेषिकी लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा उपलबध कराये गये डेटा पर लागू होता है, जो अलग-अलग संरचनाओं और प्रारूपों सहित बाह्य या तीसरी पार्टी डेटा के रूप में उपलब्ध हो सकता है।
- (3) ऐसे डेटा की विश्वसनीयता की जांच करते समय ऐसे डेटा की डेटा समग्रता और गैर-अस्वीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आईटी और गैर आईटी नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता को लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा पूर्णत: ध्यान में रखा जा सकता है।
- (4) डेटा विश्लेषण/विश्लेषिकी से प्राप्त परिज्ञान विश्लेषण, मॉडलिंग या कल्पना से पहचाने गये अपवादों, प्रवृतियों, स्वरूपों, विचलनों, विसंगतियों और डेटा कारकों के मध्य संबंधों तक सीमित नहीं है, इसे लेखापरीक्षाओं की योजना, आयोजन और रिपोर्ट देने में प्रयोग किया जा सकता है।
- (5) स्वचालन में कमियों पर निर्भरता ऑफलाईन दस्तावेजीकरण का स्तर और नियंत्रणों की सटीकता और प्रभावकारिता, डेटा विश्लेषण/ विश्लेषिकी के माध्यम से निष्कर्षों की विश्वसनीयता के मामलों के एक नमूने की क्षेत्रीय जांच और सत्यापन द्वारा वैध करने की आवश्यकता हो सकती है।

अध्याय 4

लेखापरीक्षा हेतु अभिगम का अधिकार और लेखापरीक्षणीय सत्व की जिम्मेदारियां

19. लेखापरीक्षा हेतु अभिगम का अधिकार और लेखापरीक्षणीय सत्व की जिम्मेदारियाँ (संघ सरकार और राज्य सरकार सहित) (विनियम 8 के साथ पठित)

- (1) लेखापरीक्षा लेखापरीक्षणीय सत्व के डेटा, सूचना और दस्तावेजों (लेखाओं, वाउचरों, रिकॉर्डों आदि सहित) के संदर्भ में आयोजित की गई है। लेखापरीक्षा के अभिगम में इलेक्ट्रॉनिक डेटा सहित सभी डेटा, सूचना और दस्तावेज शामिल है, और लेखापरीक्षणीय सत्व की सूचना प्रणालियों तक अभिगम शामिल है, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यक और अपेक्षित हो। लेखापरीक्षा के अभिगम में गोपनीय और संवेदनशील डेटा, सूचना या दस्तावेजों तक पूर्ण और समय पर अभिगम शामिल है, जिसके प्रबंधन को विनियम 20 के द्वारा शासित किया जाएगा।
- (2) लेखापरीक्षा डेटा, सूचना और दस्तावेजों के संदर्भ में आयोजित की जा सकती है (i) जैसा कि लेखापरीक्षा कार्यालय और/या लेखा कार्यालय में उपलब्ध हो (ii) जैसा कि लेखापरीक्षा कार्यालय और/या लेखा कार्यालय में अभिगम हो या प्राप्त किया जा सकता है (iii) लेखापरीक्षणीय सत्व के कार्यालय में या (iv) उस स्थान पर जहां लेखापरीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों या डेटा उपलब्ध हो या (v) किसी ऐसे अन्य स्थान पर, जैसे लेखापरीक्षा द्वारा निर्णय किया गया हो।
- (3) विनियमन 16 के अनुसार, लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षणीय सत्व के दौरे के साथ जोड़ी गई ऑफसाईट/रिमोट एक्सेस/ऑनसाइट लेखापरीक्षा के तत्वों को शामिल किया है। लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्राधिकार को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा द्वारा अनिवार्य निर्धारित किए गए अनुसार लेखापरीक्षा दलों को समय-समय पर लेखापरीक्षणीय सत्वों के कार्यालयों में तैनात किया जाता है। लेखापरीक्षा दलो का दल लीडर/पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया जाता है।
- (4) जैसे ही लेखापरीक्षा की सूचना दी जाती है लेखापरीक्षा लेखापरीक्षणीय सत्व से मूल रिकॉर्डों, डेटा, सूचना और दस्तावेजों को मांग सकता है, ताकि एक व्यवस्थित समीक्षा को सक्षम बनाया जा सके और लेखापरीक्षणीय सत्व के दौरे से पहले ऐसी सूचना तक पहुंचकर दूरस्थ रूप से लेखापरीक्षा कार्य शुरू किया जा सके। यदि अनुरोध की गयी सूचना और डेटा को अग्रिम में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो लेखापरीक्षणीय सत्व में प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि लेखापरीक्षा द्वारा उसे भेजी गई मांग में अपेक्षानुसार मूल रिकॉर्डों, डेटा, सूचना और दस्तावेजों को लेखापरीक्षा दल के पहुंचने से पहले तैयार रखे।

लेखापरीक्षा भी, जैसा आवश्यक समझा जाए, लेखापरीक्षा नियोजन उद्देश्यों के लिए मूल रिकॉर्डों डेटा, सूचना और दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं।

- (5) कोई भी मांग, चाहे वह अग्रिम हो या लेखापरीक्षा के दौरान, लिखित में या रिकॉर्ड बैठको में की जाएगी और लेखापरीक्षणीय सत्व में विभिन्न कार्यो के प्रभारी व्यक्तियों या लेखापरीक्षणीय सत्व के प्रभारी अधिकारी को संबोधित की जा सकती है। (इन विनियमनो के प्रयोजनों के लिए, ईमेल द्वारा संप्रेषण/अनुरोध को हमेशा लिखित में संप्रेषण/अनुरोध माना जाएगा।
- (6) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार लेखापरीक्षणीय सत्व के प्रभारी अधिकारी का यह वैधानिक दायित्व है कि डेटा, सूचना और दस्तावेजों के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोधों का, चाहें अग्रिम में हो या लेखापरीक्षा के दौरान किया गया हो, निर्धारित समय में पालन करे। लेखापरीक्षा के लिए किस समय डेटा, सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने है, इसका उल्लेख मांग पत्र में किया जाएगा। (लेखापरीक्षा और मामले की तत्कालिकता द्वारा मांगे गए डेटा, सूचना और दस्तावेजों की प्रकृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए उचित समय को निर्धारित किया जाता है।

- (7) लेखापरीक्षणीय सत्व लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मदार होंगे।
- (8) लेखापरीक्षणीय सत्व लेखापरीक्षा द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार इस तथ्य के बावजूद अपनी सूचना प्रणाली और डेटा तक अभिगम प्रदान करेगा, कि प्रणाली को लेखापरीक्षणीय सत्व द्वारा या लेखापरीक्षणीय सत्व की ओर से किसी अन्य एजेंसी द्वारा स्वामित्व, अनुरक्षित और संचालित किया जाता है। इस तरह का अभिगम लेखापरीक्षित सत्व की आईटी प्रणालियों के साथ इंटरफेसिंग या लेखापरीक्षा कार्यालय के लिए डेटा पहुंच के वैकल्पिक समकक्ष पद्धतियों की स्थापना के माध्यम से हो सकता है।

20. सूचना की गोपनीयता और लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त की गई वैयक्ति पहचान योग्य/संवेदनशील सूचना की सुरक्षा

(1) 'गोपनीय' या 'गुप्त' या 'अतिगुप्त' के रूप में वर्गीकृत दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए जाएंगे और ऐसे दस्तावेजों और सूचना के प्रहस्तन और अभिरक्षा के लिए लेखापरीक्षा द्वारा सरकार के स्थाई कानूनों और निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि विधि द्वारा सामान्य प्रकटन से प्रतिबंधित कतिपय विशेषाधिकृत या गोपनीय सूचना या व्यक्तिगत पहचान योग्य सूचना (पीआईआई) को लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त किया जाता है तो लेखापरीक्षा उस सूचना की गोपनीयता बनाए रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी लेखापरीक्षा उत्पाद सूचना के उस विशेषाधिकार अथवा गोपनीयता के साथ समझौते का साधन न बनें। हालांकि, इसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विस्तृत आदेशों के अनुसार और अनुप्रोज्य कानूनो की संगत में लेखापरीक्षा रिपोर्टों में संबंधित विभागों, संगठनों, दलों के नामों को शामिल करने से लेखापरीक्षा को नहीं रोका जाता है।

(3) लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षणीय सत्त्व के बारे में प्राप्त की गई सूचना नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश के निष्पादन से बाहर के प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं की जाएगी। तथापि लेखापरीक्षा, जहाँ आवश्यक हो, उचित अभियोजन प्राधिकारियों को विधि के विरूद्ध अपराधों को सूचित करने से नहीं रोकती। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के मामलों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

21. डेटा, सूचना और दस्तावेजों को उपलबध कराने में विफलता

- (1) डेटा, सूचना और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में विफलता के मामले को लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा नियंत्रण अधिकारी को और उचित कार्यवाई के लिए भारत सरकार के मामले में विभाग के सचिव या राज्य के मुख्य सचिव सहित संबंधित सरकार/मंत्रालय को उपयुक्त रूप से तुरन्त सूचित किया जाएगा। ये प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि डेटा, सूचना और दस्तावेजों तक आवश्यक अभिगम निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखापरीक्षा करने के लिए प्रदान किया गया है और तद्नुसार संबंधित लेखापरीक्षा को सूचित किया गया है।
- (2) लेखापरीक्षा के लिए डेटा, सूचना और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में विफलता के मामले लेखापरीक्षणीय सत्व में प्रभारी अधिकारी के वैधानिक दायित्व का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति के निहितार्थ निम्नानुसार होंगे:
- (i) लेखापरीक्षा उत्पाद/रिपोर्ट के द्वारा डेटा की रोक/प्रस्तुत न करने की सूचना दी जाएगी, इस प्रकार सार्वजनिक व्यय/राजस्व में पारदर्शिता की कमी के बारे में संसद/राज्य विधानमंडल को सूचित किया जाएगा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की व्यय या राजस्व संबंधी कार्रवाई/निर्णय की सटीकता और यहां तक कि उपयुक्तता पर संसद/राज्य विधानमंडल को आश्वासन देने में असमर्थता की सूचना दी जाएगी।
- (ii) यदि डेटा को रोक दिया जाता है या उस तरीके से उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राय में, अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने से लेखापरीक्षा को रोकता है, तो एकल पैराग्राफ रिपोर्ट के मामले को तथ्यों और निहितार्य को स्पष्ट रूप से बताते हुए संसद/राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iii) उपर्युक्त (ii) के अनुसार आकस्मिकता के कारण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा राय/निष्कर्षों के भाग के रूप में गैर-प्रमाणन या योग्यता (अस्वीकरण सहित) हो सकता है।

अध्याय 5

व्यय और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

22. व्यय और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार

- (1) अधिनियम की धारा 13, भारत और प्रत्येक राज्य एवं विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से सभी व्यय की लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकार देती है। अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 13 आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित संघ के और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करने के लिए भी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकार देती है।
- (2) समेकित निधि से किए गए व्यय की लेखापरीक्षा के बुनियादी सिद्धांत लोक लेखा और आकस्मिक निधि से संबंधित संव्यवहारों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
- (3) अधिनियम की धारा 16, भारत सरकार और प्रत्येक राज्य और विधान सभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा और स्वयम् को सन्तुष्ट करने के लिए कि नियमों और प्रक्रियाओं को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी जांच की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकृत करती है।
- (4) प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा व्यापक है और वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा और उसके किसी भी संयोजन की प्रकृति में इसे किया जाता है। लेखापरीक्षा जाँच में शामिल है कि क्या सरकार के वित्तीय विवरण/लेखा में निर्धारित वित्तीय लेखांकन ढांचे, लागू कानून, नियम तथा विनियम तथा लेखांकन सिद्धांतों, नीतियों तथा लागू मानकों का अनुपालन किया गया है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप के साथ अनुरूपता शामिल है; लेखापरीक्षा सुसंगत कथन जैसे पूर्णता, घटना, मापना, प्रकटीकरण, नियमितता, अस्तित्व, मूल्यांकन तथा स्वामित्व की भी जाँच करती है।

23. संसद/विधानमंडल द्वारा निर्धारित अथवा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत किसी निकाय या प्राधिकरण को विस्तारित करने के लिए व्यय और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

- (1) धारा 16 के साथ पठित धारा 13 के अनुसार अभिव्यक्ति 'सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा करना' और इसी प्रकार 'सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, जो भारत की और राज्यों की समेकित निधि में देय हों, में संघ और राज्य और किसी अन्य प्राधिकरण अथवा निकाय, जैसाकि संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाए अथवा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत निर्धारित किया जाए, के लेखाओं की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा को लिया गया है। अधिनियम के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियों में शामिल हैं परन्तु केवल उस निकाय या प्राधिकरण तक सीमित नहीं हैं जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की जांच संतुष्ट होती है।
- (2) उपरोक्त (1) में रेखांकित कार्यक्षेत्र उन सभी संव्यवहारों की लेखापरीक्षा पर लागू होता है जो संघ तथा राज्य ने किए हैं जिनका समेकित निधि के साथ सम्बन्ध है उदाहरणार्थ जब प्राप्तियों का राजस्व सहभाजन के साथ सीधा सम्बन्ध हो।
- (3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के साथ पठित अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां (विनिवेश प्राप्तियों, उधार आदि सहित) और राजस्व प्राप्तियों के अंदर कर और करेतर प्राप्तियां दोनों कवर की गयी हैं।
- (4) करेतर प्राप्तियों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने और सार्वजनिक परिसम्पितियां और उपयोगिताएं स्थापित करने और/या उनका प्रचालन अथवा रखरखाव करने और उससे राजस्व अर्जित करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए सरकार को सत्त्वों द्वारा देय प्रभार शामिल

होगा। ऐसे प्रभार लाइसेंस फीस, उपयोग प्रभारों (आवधिक, अपफ्रंट या एक बार), रॉयल्टी, प्रीमियम, राजस्व भाग, उत्पादन भाग, इनके संयोजन का लाभ का हिस्सा जैसे रूप में हो सकते थे।

(5) उस सीमा तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सभी प्राप्तियों की जांच करने के प्रयोजनार्थ सेवा प्रदाताओं की लेखा पुस्तकों तक अभिगम का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सरकार को राजस्व सहभाजन द्वारा इसे वैधरूप से देय फीस या प्रभारों के रूप में अपना उचित भाग प्राप्त हो रहा है।

(उदाहरणार्थ दूरसंचार विभाग द्वारा प्राप्त लाइसेंस फीस और इसी प्रकार रेडियों स्पैक्ट्रम प्रभार जबकि लाइसेंसधारियों द्वारा स्पैक्ट्रम से निपटने का विशेषाधिकार प्रदान करना अनुच्छेद 266 के अर्थ में ''सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व'' है अर्थात् अधिनियम की धारा 16 के अर्थ में 'भारत की समेकित निधि में देय एक प्राप्ति' है)

(6) भूमि के अनुदान से संबंधित सभी आदेश, राजस्व या रियायत, अनुदान, पट्टे या खनिज या वन अधिकारों का लाइसेंस या पानी की शक्ति का अधिकार, या किसी भी रियायत के संबंध में कोई भी ढील या विशेषाधिकार या जो किसी भी तरह से राजस्व को छोडने से संबंधित है, लेखापरीक्षा के दायरे में आता है क्योंकि उनके महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ हैं। सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबंधों की लेखापरीक्षा को नियमितता और औचित्य दोनों के दृष्टिकोण से किया जाता है।

24. नीति का आधार बनाने के लिए आंकडों, सूचना और दस्तावेजों की सम्पूर्णता

प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा की परिधि में आंकडे, सूचना और दस्तावेज जो किसी नीति का आधार बनते हैं, की सम्पूर्णता की जाँच को शामिल किया जाता है।

व्यय की लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा

25. प्रणालियों और प्रक्रियाओं का परीक्षण तथा व्यय की लेखापरीक्षा में लागू की जाने वाली जांच

व्यय की लेखापरीक्षा यह जाँच और सत्यापन करने के लिए की जाती है कि क्या पर्याप्त, उचित और सुदृढ़ प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को स्थापित किया गया है तथा लोक धन को व्यय करने के लिए उनका मूल भावना से पालन किया जा रहा है। अन्य बातों के साथ साथ लेखापरीक्षा में निम्न के लिए व्यय की जांच की जाती है:

(1) विनियोजन अर्थात अनुपूरक अनुदानों और पुनर्विनियोजन सहित बजट में निधियों की उपलब्धता; इसमें निम्नलिखित भी शामिल है

(क) उनकी वैधता, समर्थता और औचित्य के लिए पुनर्विनियोजन और अभ्यर्पण के आदेशों की जाँच;

(ख) पुष्टि कि व्यय अनुदान की परिधि और उद्देश्य के अन्दर हैं और नई सेवा अथवा सेवा के नये साधन सम्बन्धित सीमा को आकर्षित नहीं करता;

(ग) अनुदान के दायरे और आशय के अनुसार सेवा या प्रयोजन के लिए इसकी विधिक उपलब्धता और उपयोग के लिए वास्तविक व्यय की राशि।

(घ) ऐसे अन्तर की निर्धारित सीमाओं से आगे उनकी सत्यता के लिए वास्तविक व्यय की राशियों और विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशियों के बीच अत्यधिक अन्तर के लिए स्पष्टीकरण

(ङ) वास्तविक संवितरण में लागू विधियों, नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की आवश्यकताओं का अनुपालन;

(च) वाऊचरों, आदाता की पावतियों, आदि के रूप में साक्ष्य;

(छ) खर्च करने वाले अधिकारी के लेखा पुस्तकों में अभिलेख जिसमें राज कोष, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, बैंक आदि के अभिलेखों के साथ प्रति-सत्यापन शामिल है;

(ज) सरकारी नियमों में यथानिर्धारित मानीटरिंग, नियंत्रण और रिपोर्टिंग

उपर्युक्त में वित्तीय औचित्य के व्यापक और सामान्य सिद्धांतों के अनुपालन के लिए व्यय की जाँच की आवश्यकता अंतःस्थापित परन्तु अनिवार्य है। (2) विनियोजन लेखाओं के मामले में, उपरोक्त के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा सत्यापित करती है कि क्या पर्याप्त, उचित तथा सुदृढ प्रणाली तथा क्रियाविधि उपलब्ध है तथा लोक निधि के व्यय के लिए मूल भावना से पालन किया गया है।

(3) लेखापरीक्षा में न केवल अनियमितताओं तथा नियम, विनियम तथा आदेशों के उल्लंघन के महत्वपूर्ण मामलों में परन्तु हर मामले में रिपोर्ट करना आवश्यक है जिसमें, लेखापरीक्षा की राय में नियम, विनियम तथा आदेशो के अनुपालन के बावजूद सार्वजनिक धन तथा संसाधनों का अनावश्यक, अत्यधिक, अपव्यय या व्यर्थ व्यय या ऐसा व्यय शामिल है जिसमें अभिप्रेत आउटपुट और/या परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

26. पुनर्विनियोजन और निधियों के अभ्यर्पण के आदेशों की प्रतियां भेजने की आवश्यकता

सरकारी विभाग पुनर्विनियोजन और निधियों के अभ्यर्पण के सभी आदेशों की प्रतियां, आदेशों के जारी होने के तुरन्त बाद लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को भेजेंगे। एक वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी ऐसे आदेशों का एक समेकित विवरण भी लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को भेजा जाएगा ताकि यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के अन्दर पहुंच सके। यदि कोई ऐसा आदेश जारी न किया गया हो तो निरंक विवरण भेजा जाएगा।

27. पुनर्विनियोजन और निधियों के अभ्यर्पण के आदेशों में कारणों का स्पष्टतया उल्लेख करना

पुनर्विनियोजन के आदेशों में विनियोजन की भिन्न इकाइयों के बीच निधियों के अन्तरण के कारणों का विस्तृत रूप से और स्पष्टतया उल्लेख किया जाएगा। इसी प्रकार निधियों के अभ्यर्पण के कारणों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

28. आधिक्य और कमियों के कारणों को बताना

सरकारी विभागों द्वारा लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को ऐसे समय जैसाकि निर्दिष्ट किया जाए, के अन्दर वे कारण प्रस्तुत किए जाएंगे जो विनियोजन की किसी इकाई के अन्तर्गत प्रावधान की गई राशि की तुलना में प्रयोजनार्थ निर्धारित सीमाओं से अधिक व्यय में किसी आधिक्य अथवा कमी के लिए हों।

29. सरकारी विभागों द्वारा नियमों, विनियमों और आदेशों की प्रतिलिपियों का पृष्ठांकन

सरकारी विभाग राजस्वों को उत्पन्न करने वाले, व्यय एवं देयताओं को वहन करने वाले और परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के प्रबंधन को विनियमित करने वाले सभी नियमों, विनियमों और सामान्य आदेशों, जैसे ही उन्हें जारी किया जाता है, की प्रतियों को निरपवाद रूप से लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखा कार्यालय को पृष्ठांकित करेंगे अथवा अन्य प्रकार से भेजेंगे।

30. जारी करने से पूर्व नियमों अथवा संहिताओं के संशोधन का संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा और लेखा कार्यालयों को संदर्भ

जहाँ कहीं सम्भव हो, सरकारी विभागों द्वारा किये जाने वाले नियमों अथवा मूल संहिताओं के किसी संशोधन, जो वित्तीय, लेखाकरण अथवा लेखापरीक्षण निहितार्थ वाले हैं, को जारी करने से पूर्व संवीक्षा के लिए संबंधित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) अथवा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जैसा भी मामला हो, को भेजा जाए।

31. लेखापरीक्षा को विशेष दस्तावेज़ और सूचना प्रदान करना

इन विनियमों में इस सम्बन्ध में अन्य प्रावधानों की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना लेखाओं के संकलन और वित्तीय विवरणों के लिए उत्तरदायी एजेंसी लेखापरीक्षा को अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित की आपूर्ति करेगीः

(1) लेखा वर्ष के व्यय की राशियों और प्राप्तियों की राशियों और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए तद्नुरूपी राशियों के बीच किन्हीं महत्त्वपूर्ण अन्तरों के कारण;

(2) आवधिक लेखा समायोजनों का विवरण, ऐसे समायोजनों को प्राधिकृत करने वाले सामान्य अथवा विशेष आदेशों की प्रतियों के साथ;

(3) लेखा पुस्तकों के अनुसार रोकड़ शेष और भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों के अनुसार शेष में अन्तरों, यदि कोई हैं, के लिए स्पष्टीकरण;

(4) किन्हीं ऐसी मदों के लिए स्पष्टीकरण जो प्रथमदृष्टया असामान्य है जिसमें प्रतिकूल और अपर्याप्त शेष शामिल हैं;

(5) उन लेखा शीर्षों, जो सरकारी लेखा के प्रति संवृत नहीं होते, के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती वर्ष के अंत शेषों और लेखाओं के वर्ष के अथ शेष के बीच अन्तरों, यदि कोई हों, के लिए कारण; (7) अतिदेय कर्जों और कर्जों पर ब्याज के विवरण;

(8) लेजर के रूप में रखे गए विस्तृत लेखाओं के अनुसार राशियों और लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों के अनुसार तद्नुरूपी कुल राशियों के बीच अन्तरों, यदि कोई हो, के लिए स्पष्टीकरण और इनका विश्लेषण;

(9) राशियों (मूल राशियां और वर्ष के अंत में बकाया राशियां) सहित बकाया गारंटियों का विवरण;

(10) पक्षकारों, जिनकी ओर से गारंटियां जारी की गयीं, से गारंटियों (मूल राशियां और वर्ष के अंत में बकाया राशियां) की राशियों की पुष्टि;

(11) वर्ष के दौरान उपयोग की गई गारंटियों के विवरण;

- (12) प्राप्त गारंटी फीस की राशि और बकाया राशि;
- (13) समय-समय पर लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक लागत वाले अधूरे कार्यों के विवरण; और
- (14) 'प्रेषण' और 'उचंत' लेखाशीर्षों के अन्तर्गत बकाया राशियों का वर्षवार विश्लेषण।

(15) लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा मांगी गयी अन्य प्रासंगिक जानकारी।

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा

32. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्न के संबंध में प्रणालियों, नियमों और क्रियाविधियों तथा उनकी प्रभावोत्पादकता की जाँच शामिल है:

(1) कर विभाग द्वारा राजस्व का निर्धारण, संग्रहण और आवंटन

(2) संभावित कर निर्धारितियों की पहचान करना, विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा कर अपवंचन का पता लगाना और रोकथाम करना;

(3) तत्परता से दावों पर कार्रवाई करना और यह कि पर्याप्त औचित्य और उचित प्राधिकार के बिना इनको छोड़ा या कम नहीं किया गया है;

(4) धोखेबाजी, चूक और त्रुटि के माध्यम से राजस्व की हानियों की तुरन्त जाँच करना, साथ ही यदि अपेक्षित हो तो अन्य समान मामलों की समीक्षा करना;

- (5) शास्ति के उद्गहण और अभियोग प्रारम्भ करने सहित विवेकाधिकार का प्रयोग उचित तरीके से करना;
- (6) विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करना;
- (7) कोई योजना जो समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की जाए;
- (8) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने अथवा सुधारने के लिए लागू किया गया कोई उपाय;
- (9) राशियाँ जो बकाया हैं, बकाया के अभिलेखों का अनुरक्षण और बकाया राशियों की वसूली के लिए की गई कार्रवाई;
- (10) विभागों द्वारा किये गये खर्चे सहित अन्य अनुषंगी और गैर-निर्धारण कार्य;

(11) लक्ष्यों की प्राप्ति, प्राप्तियों का लेखाकरण और रिपोर्टिंग तथा लेखा अभिलेखों के साथ उनका प्रति-सत्यापन और मिलान;

(12) प्रतिदायों, छूटों, फिरतियों, माफी और कटौतियों की राशियों की यह देखने के लिए जांच करना कि इनका सही प्रकार से निर्धारण किया गया और लेखाओं में लिया गया है; और

- (13) कर अनुपालन में सुधार और कर प्रशासन में सूचना के प्रभावी उपयोग के लिए सूचना संचालित धारणा का उपयोग।
- (14) करदाता शिकायतों और शिकायतों के समाधान के लिए विभाग के अन्दर शिकायत निवारण मशीनरी / तंत्र।
- (15) गैर-कर राजस्व के संबंध में निर्धारण, उद्गहण, संग्रहण, वसूली आदि पर आवश्यक जांच।
- (16) कोई अन्य मामला जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाए।

व्यय और प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में आईटी सिस्टम और विशिष्ट दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक अभिगम

33. बजट, लेखांकन, क्रय और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट दस्तावेजों, रिकॉर्ड और आईटी प्रणालियों तक अभिगम

(1) लेखापरीक्षणीय सत्त्व सरकार के वित्तीय संव्यवहारों के लिए बजट, लेखा, क्रय, और वित्तीय प्रबंधन के अन्य पहलुओं के लिए उपयोग की जाने वाली सभी आईटी प्रणालियों या प्लेटफार्मों के लिए पूर्ण अभिगम प्रदान करेगा, जिसमें शामिल तो हैं परन्तु जिन तक सीमित नहीं हैं सभी संस्वीकृति आदेश, पुनर्विनियोजन, अभ्यर्पण, पुस्तक समायोजन, प्राप्तियां, अंतरण, बिल, वाउचर, उप-वाउचर, अनुदान, सहायता-अनुदान, अनुबंध, विक्रेता भुगतान, लाभार्थी भुगतान आदि। अंतिम व्यय करने वाली इकाई या अंतिम प्राप्तकर्ता तक प्रत्येक संव्यवहार का पूर्ण पता लगाने की क्षमता, आईटी प्रणालियों में उपलब्ध होने के बाद, जरूरत पड़ने पर लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) सरकारी विभागों द्वारा जारी व्यय संस्वीकृति के सभी आदेशों की प्रतियों को, ज्यों ही इन्हें जारी किया जाता है, लेखापरीक्षा कार्यालय को पृष्ठांकित किया जाएगा या लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा अथवा अन्य प्रकार से भेजा जाएगा जिसमें आकस्मिकता निधि से अग्रिम की सभी संस्वीकृतियों और आकस्मिकता निधि में अग्रिम के पुनर्ग्रहण की इसके तत्काल जारी होने की प्रतियां शामिल है। आदेशों में उन नियमों, विनियमों आदि का प्राधिकार के रूप में संदर्भ दिया जाएगा जिनके अनुसार व्यय संस्वीकृत किया गया है।

(3) जहां एक आईटी प्रणाली के माध्यम से संस्वीकृतियां जारी की जाती हैं, संबंधित विभाग, मंत्रालय या लेखापरीक्षणीय सत्त्व, आईटी प्रणाली में संस्वीकृति मॉड्यूल तक लेखापरीक्षा के लिए पूर्ण और समय पर अभिगम प्रदान करेगा।

(4) पूर्ववर्ती तिमाही में की गयी सभी संविदाओं के मात्र तिमाही विवरणों (निरंक विवरण सहित) को लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजना या अगली तिमाही के पहले पखवाड़े के अन्दर लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाना

34. राजस्व प्रशासन के पहलुओं से संबंधित विशिष्ट दस्तावेजों, अभिलेखों और आईटी प्रणालियों तक अभिगम

(1) लेखापरीक्षा में राजस्व प्रशासन, अर्थात, मूल्यांकन, संग्रहण, आवंटन, पंजीकरण, प्रतिदाय और प्रबंधन के संबंध में व्यापक, समेकित, ग्रनुलर और अन्य संबंधित जानकारी, चाहे वह मैनुअल, कम्प्यूटरीकृत या किसी अन्य रूप में हो, तक अभिगम आवश्यक हो सकता है। संबंधित विभाग पूर्ण उचित शीघ्रता के साथ सूचना के लिए किए अनुरोधों पर कार्यवाई करेगा।

(2) लेखापरीक्षा लागू विधियों और नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन अलग अलग निर्धारण फाइलों/इ-निर्धारण अभिलेख जैसा आवश्यक समझे, तक अभिगम रखेगा। संबंधित विभाग निर्धारण अभिलेखों/इ-निर्धारण अभिलेखों और साथ ही हार्ड कापी अथवा/और इलैक्ट्रानिक रूप में उसके द्वारा अनुरक्षित डेटाबेस सहित किसी कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों तक भी अभिगम मुहैया कराएगा।

(3) तीसरे पक्ष के अभिलेखों और उन पर अतिरिक्त सूचना के सबंध में अध्याय 4 और 13 के सुसंगत प्रावधान लागू होगें।

35. भण्डार और स्टॉक की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार

- (1) अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 17, संघ के अथवा राज्य के अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार और स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और रिपोर्ट करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकार देती है।
- (2) भण्डार और स्टॉक की लेखापरीक्षा में अधिप्राप्ति मालसूची प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन आदि की लेखापरीक्षा की जाती है।

36. भण्डार और स्टॉक की लेखापरीक्षा

भण्डार और स्टॉक की लेखापरीक्षा में यह सत्यापन करना शामिल है कि इसमें निम्न के लिए पर्याप्त एवं सुदृढ़ प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को स्थापित किया गया है और अनुपालन किया गया है:

- (1) भण्डारों की अधिप्राप्ति के लिए आवश्यकता की स्थापना;
- (2) जहाँ लागू हो, आरक्षित स्टॉक सीमाओं के अवधारण सहित भण्डारों की आवश्यकता का उचित निर्धारण;

- (3) भण्डारों की अधिप्राप्ति का प्राधिकार;
- (4) निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुसार लागत-प्रभावी तरीके से भण्डारों की अधिप्राप्ति;
- (5) कार्मिकों के कर्तव्यों का उपयुक्त पृथक्करण और लेखा पुस्तकों के साथ भण्डार लेखाओं के मिलान सहित भण्डारों की प्राप्ति, निरीक्षण, अभिरक्षा, निर्गम और लेखाकरण;
- (6) निर्धारित अन्तरालों पर प्रत्यक्ष शेषों का सत्यापन और प्रत्यक्ष शेषों एवं अभिलेखों के अनुसार शेषों के मध्य विसंगतियों का अविलम्ब मिलान और समाधान; और
- (7) अप्रचलित और अतिरिक्त भण्डारों की पहचान, बिक्री और/अथवा अन्य इकाईयों, डिवीजनों, आदि को अन्तरण के रूप में उनका निपटान और तद्नुरूपी प्राप्तियों का लेखाकरण अथवा उचित जाँच पड़ताल के पश्चात् बट्टे खाते में डालना।

37. भण्डार शेषों की जाँच पडताल करने के लिए लेखापरीक्षा का अधिकार

लेखापरीक्षा भंडारों का भौतिक निरीक्षण कर सकती है और लेखापरीक्षा में निष्पादन में निष्पादित जांचों के भाग के रूप में स्टोर बैलेंस की जांच कर सकती है और विसंगतियां सूचित कर सकती है।

38. अन्य परिसम्पत्तियों और देयताओं की लेखापरीक्षा करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार

- (1) अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 13, संघ के अथवा राज्य के अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के किसी विभाग में रखे गये व्यवसाय, विनिर्माण और लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए और उनके द्वारा ऐसे लेखापरीक्षित लेखाओं पर रिपोर्ट करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकार देती है।
- (2) तद्नुसार, भण्डार और स्टॉक के अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा चालू और पूरे हुए निर्माण कार्यों, निवेशों, कर्जों एवं अग्रिमों, जमाओं, रोकड शेषों, आन्तरिक एवं बाह्य उधारों, सरकारों द्वारा दी गई गारन्टियों, आरक्षित और निक्षेप निधियों सहित संघ की और राज्यों की एवं विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सभी अन्य परिसम्पत्तियों और देयताओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

39. लेखापरीक्षा के व्यापक सिद्धान्तों का लागू होना

लेखापरीक्षा के व्यापक सिद्धान्त परिसम्पत्तियों और देयताओं की लेखापरीक्षा के लिए लागू होंगे।

40. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के आदेशों द्वारा लेखापरीक्षा का शासित होना

परिसम्पत्तियों और देयताओं की लेखापरीक्षा इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा शासित होगी।

41. सहायता अनुदानों और ऋणों की लेखापरीक्षा

सहायता अनुदानों और ऋणों की लेखापरीक्षा मुख्यतः व्यय की लेखापरीक्षा का एक विस्तार है और इसमें व्यय की लेखापरीक्षा के व्यापक सिद्धान्तों को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें यह जांच की जाती है कि क्या सरकारी सहायता की राशि का उपयोग अभिप्रेत प्रयोजन के लिए किया गया है।

42. सहायता अनुदानों और ऋणों की लेखापरीक्षा के दौरान किये जाने वाले सत्यापन

सहायता अनुदानों अथवा ऋणों के रूप में सरकारी सहायता की लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के लिए की जाएगी कि क्या प्रणालियों और प्रक्रियाओं की निम्न के लिए स्थापना की गई और क्या इनका अनुपालन किया जा रहा है:

(1) सरकारी सहायता की संस्वीकृति के प्रयोजन का स्पष्ट निरूपण;

(2) उनकी पूर्ववर्ती, अवशोषी क्षमता, वित्तीय स्थिति, प्रणालियों और प्रबंधन प्रथाओं के सन्दर्भ में सरकारी सहायता के लिए व्यक्तियों, निकायों और प्राधिकरणों की उचित एवं पारदर्शी पहचान और चयन;

(3) सहायता की राशि का अवधारण और इसकी समय से निर्मुक्ति;

(4) उस प्रारूप, जैसा कि निर्धारित किया जाए, में लेखाओं के रखरखाव सहित अनुदानग्राही अथवा कर्ज़दार द्वारा सहायता का उचित लेखाकरण; (5) सरकारी सहायता की शर्तों को पूरा करने को सुनिश्चित करना;

(6) सहायता के उद्देश्य की उपलब्धि सहित सहायता को मानीटर करना और मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी अंत उपयोग सुनिश्चित करना;

(7) किसी अप्रयुक्त राशि को सरकार को वापिस करना; और

(8) ऋणों के मामले में निर्धारित रूप में उनकी चुकौती और लागू शर्तों के अनुसार शास्तिक ब्याज सहित ब्याज की वसूली करना।

अध्याय 6

वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये व्यापक रूपरेखा

43. सरकार की वित्तीय लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ और प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं की, उनके संकलन के लिए उत्तरदायी एजेंसी का ध्यान किए बिना, जांच और प्रमाणीकरण करते हैं।

(2) सरकार के वित्त लेखाओं में वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियां और संवितरण दर्शाए जाते हैं जो राजस्व और पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण से सम्बन्धित लेखाओं और यथानिर्धारित परिसम्पत्तियों और अन्य देयताओं द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणामों के साथ दर्शाए जाते हैं।

(3) सरकार के विनियोजन लेखाओं में विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में सरकार का व्यय उन महत्वपूर्ण अन्तरों के स्पष्टीकरणों के साथ दर्शाया जाता है, जो दोनों के बीच अन्तरों के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक बचत अथवा आधिक्य दर्शाते हैं।

(4) वित्तीय लेखापरीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानको, मैन्युअल और अन्य प्रासंगिक आदेशों के अनुसार किया जाता है।

(इन विनियमों का अध्याय 5 भी देखें जिसमें सरकार की वित्तीय लेखापरीक्षा के भाग के रूप में निष्पादित कुछ जांचों को कवर किया गया है)

44. अनुपालन लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा

(1) अनुपालन लेखापरीक्षा लेखापरीक्षण मानकों, अनुपालन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी अन्य सुसंगत आदेशों के अनुसार की जाती है।

(2) अनुपालन लेखापरीक्षण निम्नलिखित के साथ सम्बन्धित है

(क) नियमितता (औपचारिक मापदंड का अनुपालन जैसे भारत के संविधान के प्रावधान, सुसंगत कानून, नियम, विनियम, आदेश, अनुदेश और करार आदि)।

(ख) औचित्य (सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन, सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन का अभिशासन और सार्वजनिक कर्मचारियों का आचरण)।

(3) अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों, संव्यवहारों और अनुदेशों की स्वयं की जांच भी शामिल होती है जो उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य और विवेक और प्रभावकारिता के लिए होती है, इसका अर्थ है कि क्या ये निम्न प्रकार से हैं:

(क) भारत के संविधान के प्रावधानों और कानून के प्राधिकार के अधीन हैं (वैधता)

(ख) अपव्यय, दुरूपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियों, धोखाधडी और अन्य अनियमितताओं के कारण हानि के प्रति पर्याप्ता रक्षोपाय के साथ सरकारी प्राप्तियों, व्यय, परिसम्पत्तियों और देयताओं पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं और पर्याप्त रूप से व्यापक हैं (पर्याप्तता) (ग) सतत, स्पष्ट और अस्पष्टता से रहित हैं और निर्णय लेने में ईमानदारी के अनुपालन को विकसित करते हैं (पारदर्शिता);

(घ) विवेक और बुद्धिमानी (औचित्य और पूर्वविचार); और

(ङ) एक ऐसे तरीके में कार्यान्वित किया गया है जिससे अभिप्रेत उद्देश्य पूरे होते हैं।

(4) जब अनुपालन लेखापरीक्षण निष्पादन लेखापरीक्षा का एक भाग हो तब अनुपालन को मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता के पहलुओं में से एक पहलू के रूप में देखा जाता है। गैर अनुपालन उन कार्यकलापों का कारण, एक स्पष्टीकरण अथवा एक परिणाम हो सकता है जो निष्पादन लेखापरीक्षा का विषय हो सकते हैं।

45. निष्पादन लेखापरीक्षा की व्यापक रूपरेखा

(1) निष्पादन लेखापरीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों, निष्पादन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों और अन्य प्रासंगिक आदेशों के अनुसार किया जाता है।

(2) निष्पादन लेखापरीक्षा का निर्धारण

(क) मितव्ययिता:- मितव्ययिता के सिद्धांत का अर्थ है संसाधनों की लगात को कम करना। प्रयुक्त संसाधनों को उचित समय, उचित मात्रा और गुणवत्ता में और श्रेष्ठ कीमत पर उपलब्ध कराना चाहिए।

(ख) दक्षता:- दक्षता के सिद्धांत का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम प्राप्त करना। यह मात्रा, गुणवत्ता और समय के सदंर्भ में नियोजित संसाधनों और दिए गए आऊटपुट के बीच संबंध से संबंधित है।

(ग) प्रभावकारिता:- प्रभावकारिता के सिद्धांत निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना और इच्छित परिणामों को प्राप्त करना है, विशेषकर आउटपुट और इनपुट के रूप में। उदाहरणार्थ, स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि एनएचएम पर व्यय द्वारा अस्पतालों/सीएचसी आदि वाले अभिप्रेत आउटपुट मिलने चाहिए जिसमें अस्पताल के बिस्तर आदि अपेक्षित संख्या में हों; इसमें यथा अभिप्रेत और/या कथित परिणाम भी मिलने चाहिएं जैसे कि प्रभावी स्वास्थ्य योजनाएं प्रदान करना।

(3) इसलिए, निष्पादन लेखापरीक्षा सार्वजनिक निधियों की प्राप्ति और प्रयोग में मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता की लेखापरीक्षा के साथ सम्बन्धित है। दक्षता और प्रभावकारिता, जिसके साथ सरकार अपने संसाधनों का उपयोग करती है, में जांच करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम में अंतर्निहित हैं।

(4) विनियम 5(3) को ध्यान में रखते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा में इनपुट, आयोजना और तैयारी सहित प्रक्रियाओं (उदाहरणार्थ आपदा तैयारी आदि), आउटपुट, नतीजे (उदाहरणार्थ स्कूली शिक्षा में शिक्षण परिणाम) और परिणामों पर बल दिया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा का विश्लेषण निष्पादन मामलों से भिन्न होता है और इससे आगे जाता है और सत्त्व द्वारा किए गए कार्यकलाप के वास्तविक लाभ पर नयी सूचना, विश्लेषण या अन्तर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करता है। जहां उपयुक्त हो, लेखापरीक्षित सत्त्व के निष्पादन पर नियमितता, संस्थागत या प्रचालनात्मक रूपरेखा या निष्पादन लेखापरीक्षा की विषय वस्तु को भी निष्पादन लेखापरीक्षा के भाग के रूप में लिया जाना चाहिए।

46. माँपने योग्य उद्देश्यों, निष्पादन संकेतकों तथा मापन प्रणाली आदि के विकास के लिए उत्तरदायित्व

माँपने योग्य उद्देश्यों और निष्पादन संकेतकों तथा मापन की प्रणाली के विकास का उत्तरदायित्व सरकारी विभागों या सत्त्वों के अध्यक्षों का है। उनसे माँपने योग्य और मानीटर करने योग्य शैली में मध्यवर्ती और अन्तिम उत्पादों एवं परिणामों को परिभाषित करना, सुपुर्दगी की यूनिट लागत और उत्पादों एवं परिणामों की बेंचमार्क गुणवत्ता का मानकीकरण करना अपेक्षित है।

47. लेखापरीक्षा में माँपने योग्य उद्देश्यों और निष्पादन संकेतकों की समीक्षा

उत्पादों और परिणामों के प्रति निष्पादन की समीक्षा करने में लेखापरीक्षा माँपने योग्य उद्देश्यों एवं निष्पादन संकेतकों की उनके औचित्य और सुदृढ़ता के लिए विवेचनात्मक रूप से समीक्षा कर सकता है। लेखापरीक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर कार्यक्रम निष्पादन की समीक्षा करने के लिए मानदण्ड भी निर्धारित कर सकता है।

48. निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षणीय सत्त्व के साथ परस्पर चर्चा

निष्पादन लेखापरीक्षा में विषय (विषयों) के चयन से लेकर सभी अनुवर्ती अवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए जैसे कि लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं मानदण्ड की परिभाषा, विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम के तैयार करने, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विकास, सिफारिशों के निरूपण और अन्य सम्बन्धित मामलों में लेखापरीक्षणीय सत्त्वों के साथ उच्च कोटि की परस्पर चर्चा की परिकल्पना की जाती है। सरकारी विभाग सभी अवस्थाओं पर लेखापरीक्षा अधिकारी को उपयुक्त और समय से प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करेगा।

49. एन्ट्री कान्फ्रेंस का आयोजन

निष्पादन लेखापरीक्षा के विस्तृत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संबंधित सरकारी विभाग के सचिव के साथ एक एन्ट्री कान्फ्रेंस का आयोजन करेगा। एन्ट्री कान्फ्रेंस की चर्चा में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा की परिधि एवं सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं मानदण्ड, साक्ष्य संग्रहण की प्रस्तावित तकनीक, समग्र समय सूची और प्रत्याशित समय अनुसूची को शामिल किया जाएगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संबंधित सरकारी विभाग के सचिव द्वारा दिये गये किसी सुझाव पर पूर्णतः विचार करेगा। एन्ट्री कान्फ्रेंस की कार्यवाहियों के लिखित अभिलेख को अभिलेखों में रखा जाएगा।

यदि एन्ट्री कान्फ्रेंस का आयोजन न किया जा सके तो, तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्ज किया जाना चाहिए।

50. लेखापरीक्षा के साथ समन्वय और सहयोग के लिए एक अधिकारी का नामांकन

संबंधित मंत्रालय/विभाग का सचिव विभाग के यथोचित वरिष्ठ अधिकारी का नामांकन करेगा जो संबंधित अधिकारियों और विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय और लेखापरीक्षा अधिकारी के साथ उनके सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

51. एक्ज़िट कान्फ्रेंस का आयोजन

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के पश्चात् संबंधित सरकारी विभाग के सचिव के साथ एक एक्ज़िट कान्फ्रेंस का आयोजन करेगा। एक्ज़िट कान्फ्रेंस की कार्यवाहियों के लिखित अभिलेख को अभिलेखों में रखा जाएगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय सचिव की अभ्युक्तियों और टिप्पणियों पर पूर्णतः विचार करेगा।

2. एक्जिट कान्फ्रेंस के कार्यवृत को निर्धारित अवधि के अन्दर, कार्यवृत को स्वीकार करने के अनुरोध के साथ सत्त्व में रिकार्ड और दर्ज कराना चाहिए, जिसके बाद कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सके।

 यदि एक्जिट कान्फ्रेंस का आयोजन न किया जा सके तो इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्ज किया जाना चाहिए।

52. विभाग द्वारा उत्तर देना और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए सामग्री को संसाधित करना

संबंधित मंत्रालय/विभाग का सरकारी सचिव निर्दिष्ट समय के अन्दर मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर देगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए सामग्री को अन्तिम रूप देने से पूर्व ऐसे उत्तर को ध्यान में रखेगा।

अध्याय 7

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा

53. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा निष्पादित और प्रयोग किये जाएंगे।

54. निर्धारित लेखाकरण मानकों का अनुप्रयोग

केंद्र सरकार/भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों (एएस)/भारतीय लेखाकरण मानकों (इंडएएस), लेखापरीक्षण मानकों, मार्गदर्शन नोट आदि को सरकारी कंपनियों या किसी अन्य कंपनी की लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा परिणामों की रिपोर्ट करते समय सांविधिक लेखापरीक्षक सभी विनियामक और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

55. सरकार द्वारा सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के गठन और बंद करने की सूचना देना

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग नयी सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के गठन के बारे में लिखित रूप में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूचित करेंगे और उसके निगमीकरण के एक महीने के अंदर उसके निगमीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति अग्रेषित करेंगे। यदि सरकारी कम्पनी या कोई अन्य कंपनी बंद हो गई हो, तो भी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ऐसी घटना के एक महीने के अंदर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूचित करेंगे। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग केम्पनी के सरकारी कम्पनी होने या किसी अन्य कंपनी होने के बारे में ऐसी घटना के एक महीने के अंदर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूचित करेंगे।

56. सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी द्वारा अपने गठन की सूचना देना

सरकारी कम्पनी या कोई अन्य कंपनी अपने निगमीकरण के एक महीने के अन्दर शेयरधारिता पैटर्न, प्रबंधन के ब्यौरे और संस्था के संगम ज्ञापन और संस्था के अन्तर्नियम की एक प्रति के साथ गठन के बारे में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूचित करेगी। इसी प्रकार विद्यमान कम्पनी के मामले में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी होने के बारे में सूचना तथा अन्य ब्यौरे और दस्तावेज ऐसी घटना के एक महीने के अंदर कम्पनी द्वारा भेजे जाएंगे।

57. सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139 (7) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को यथा निर्धारित चयन की प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त करेगा और इसके बाद निम्नलिखित विनियमन के अधीन, जब तक कि विशेष परिस्थितियों में लंबी अवधि के लिए नियुक्ति न हो, तब तक उसे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर फिर से नियुक्त कर सकता है। प्रारंभिक नियुक्ति सहित नियुक्ति की कुल अवधि आमतौर पर चार वित्तीय वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी जो समय-समय पर निर्धारित की गई हो हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

58. सामान्य अवधि की समाप्ति के पहले नियुक्ति को समाप्त करना

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 में प्रावधान है कि नियुक्ति करने की शक्ति रखने वाले अधिकारी के पास किसी नियुक्त व्यक्ति को निलंबित करने या पदच्युत करने की शक्ति भी होगी। तदनुसार, जहां सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139(7) या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है, इस तरह के लेखापरीक्षक को हटाने की शक्ति, उचित प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास भी होगी। इस प्रकार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सामान्य अवधि की समाप्ति से पहले उसकी नियुक्ति को, समयपूर्व समाप्ति के प्रति अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को एक अवसर देते हुए उचित प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुपालन करने के पश्चात् समुचित और पर्याप्त आधार पर समाप्त कर सकते हैं।

59. गंभीर अनियमितताओं के मामले में आगे की नियुक्ति से वंचित करना

यदि सांविधिक लेखापरीक्षक के व्यावसायिक कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, यदि आवश्यक समझे तो उनके द्वारा नियुक्त समिति की अनुशंसा पर और सांविधिक लेखापरीक्षक को अभिवेदन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के बाद ऐसी अवधि, जो उचित समझी जाए, के लिए एक सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में आगे की नियुक्ति से वंचित कर सकते हैं जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 139(7) में शामिल किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, यदि उपयुक्त समझा जाए, तो सांविधिक लेखापरीक्षक के विरूद्ध आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आईसीएआई को मामला भेज सकता है।"

60. वार्षिक लेखाओं के संदर्भ में उत्तरदायित्व

यद्यपि सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के वार्षिक लेखाओं पर राय बनाने और व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, उसे उचित रूप से तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव, आंतरिक नियंत्रण और कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के संबंध में उनके उत्तरदायित्व से प्रबंधन को मुक्त नहीं करता है।

61. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उस तरीके को निर्देशित करने के लिए अधिकृत है जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनी या किसी अन्य कंपनी के लेखाओं का लेखापरीक्षण करेगा और इस तरह के लेखापरीक्षक को निर्देश देगा।सांविधिक लेखापरीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा और इसमें अन्य बातों के अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हो, उस पर हुई कार्रवाई और कंपनी के लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव शामिल होंगे।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उपरोक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के अन्दर यह करने का अधिकार होगा:

- (1) कंपनी के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा करना; तथा
- (2) ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करना या पूरक टिप्पणी करना।

62. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रलेखन

सांविधिक लेखापरीक्षक उन मामलों का कार्यकारी दस्तावेजों के रूप में प्रलेख तैयार करेगा जो यह साक्ष्य मुहैया कराने में महत्वपूर्ण हैं कि लेखापरीक्षा केंद्र सरकार/आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखाकरण, लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अनुसार की गई है।

63. सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना

लेखापरीक्षा के समापन पर सांविधिक लेखापरीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

64. अभिशासन के विषयों को लेखापरीक्षा को सूचित करना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय सांविधिक लेखापरीक्षक केन्द्र सरकार/आईसीएआई द्वारा निर्धारित सुसंगत लेखाकरण, लेखापरीक्षण और आश्वासन मानक के अनुपालन में कम्पनी के प्रबंधन को उसके द्वारा जारी अभिशासन के विषयों से संबंधित किसी भी पत्र व्यवहार की एक प्रति महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी अग्रेषित की जाएगी।

65. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की तुलना में सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

सांविधिक लेखापरीक्षक यह भी करेगा किः

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के साथ, जब कभी आवश्यकता होगी विचार-विमर्श के लिए स्वयं उपलब्ध होगा;

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की अनन्तिम टिप्पणियों के जारी होने के तीन दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करेगा और यदि आवश्यकता होगी तो अनन्तिम टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करने के लिए कम्पनी के प्रबंधन के साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा बुलायी गई बैठक में उपस्थित होगा;

(3) कम्पनी अधिनियम,2013 के अनुपालन में आयोजित लेखापरीक्षा समिति, यदि गठित है, की बैठक में उपस्थित होगा; (4) किए गए कार्य के कार्यकारी दस्तावेजों का पर्याप्त ब्यौरों के साथ, अपनी अभ्युक्तियों और निष्कर्षों के समर्थन हेतु पांच वर्ष तक अभिलेख को रखेगा जब तक कि लम्बी अवधि के लिए अपेक्षित न हो;

(5) जहां उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्षों की प्रामाणिकता और यथातथ्यता को सत्यापित करने की आवश्यकता समझी जाए, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपने कार्यकारी दस्तावेजों के हिस्सों को या उद्धरणों को उपलब्ध कराएगा; और

(6) उसे जारी निर्देशों के अनुपालन में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रतिवेदन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

66. लेखापरीक्षा के लिए विधिवत स्वीकृत और लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध कराना

कम्पनी निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकृत और सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा तथा कोई अन्य विवरण या दस्तावेज, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वार्षिक लेखाओं का भाग हो, को अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को जारी करने के लिए साठ दिन का समय देकर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उपलब्ध कराएगा। उस पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई कोई भी टिप्पणी या पूरक टिप्पणी करने के लिए, लेखापरीक्षा रिपोर्ट को कंपनी द्वारा प्रत्येक हकदार व्यक्ति को लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों की प्रतियाँ भेजी जाएगी और साथ ही कंपनी की वार्षिक आम बैठक में और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तरह ही रखा जाएगा।

67. लेखापरीक्षा के लिए कम्पनी के अभिलेख उपलब्ध कराना

कम्पनी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के अधिकारियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत उनके कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित लेखा पुस्तकें, वाउचर, आंकड़े, सूचना और अन्य दस्तावेज शीघ्र मुहैया कराएगी।

68. अनुपूरक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

सांविधिक लेखापरीक्षक कम्पनी के लेखाओं पर राय व्यक्त करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा, जैसी इसकी परिभाषा है, मुख्य रूप से लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के गुणवत्ता नियंत्रण का एक साधन है जो सांविधिक लेखापरीक्षक के सुविचारित चयन से आरंभ होता है और उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निकाले गये निष्कर्षों की समीक्षा सहित उसके कार्य पर किये जा रहे निरीक्षण के साथ जारी रहता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी और किसी अन्य कंपनी के वार्षिक लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की परिधि में चयनित लेखाकरण अभिलेखों की जांच और कम्पनी के वार्षिक लेखाओं पर उनके द्वारा व्यक्त राय सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा को सम्मिलित किया जाएगा।

69. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

अनुपूरक लेखापरीक्षा में की गई सार्थक और महत्त्वपूर्ण अभ्युक्तियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षक और कम्पनी के प्रबंधन की राय, यदि कोई है, पर विचार करने के बाद जारी किया जाएगा।

70. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (7) के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, यदि आवश्यक समझे तो वह एक आदेश द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के अंतर्गत शामिल किसी भी कंपनी के मामले में, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा कर सकते हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए का प्रावधान ऐसी नमूना लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर लागू होगा।

इस प्रकार, सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के वार्षिक लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वर्ष के दौरान नमूना लेखापरीक्षा कर सकते हैं। ये लेखापरीक्षाएं अनुपालन लेखापरीक्षाएं (कंपनी द्वारा अपनी नियमितता, औचित्य, सत्यनिष्ठा की जांच के मद्देनजर किए गए संव्यवहार शामिल है) या निष्पादन लेखापरीक्षाएं (मितव्ययिता, दक्षता, और प्रभावकारिता शामिल करते हुए) हो सकती है। नमूना लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एक वित्तीय वर्ष से अधिक हो सकता है। लेखापरीक्षा संबंधित अध्यायों में विनियमों के अनुसार की जाएगी।

71. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड की स्थापना

किसी कार्यकलाप, कार्यक्रम या संगठन को निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता से किस स्तर तक प्रचालित किया जाता है, को अभिनिश्चित करने के विचार से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भारत सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड की स्थापना की है। लेखापरीक्षा बोर्ड केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन के निर्णायक क्षेत्रों पर केन्द्रित आवधिक अन्तरालों पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए स्थाई निकाय है। लेखापरीक्षा बोर्ड विषयक मामलों पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। मामले एक विशेष सत्त्व या कई सत्त्वों से संबंधित हो सकते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा का वार्यक्षेत्र को एक वित्तीय वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

72. लेखापरीक्षा बोर्ड का गठन

उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जिसमें सदस्य के रूप में समय-समय पर यथा अधिसूचित भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त सम्बन्धित क्षेत्र के एक या दो तकनीकी विशेषज्ञ विशेष आमंत्रित सहभागी हो सकते हैं। लेखापरीक्षा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

73. लेखापरीक्षा बोर्ड की भूमिका

लेखापरीक्षा बोर्ड परामर्शी और अनुशंसात्मक क्षमता में कार्य करेगा।

74. लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठकें

लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठकें उपलब्ध सदस्यों के साथ की जाएगी और इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेखापरीक्षा बोर्ड का सचिव लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा।

75. विषयों के चयन तक स्वयं को सीमित करने के लिए लेखापरीक्षा बोर्ड का स्वनिर्णय

लेखापरीक्षा बोर्ड अपने स्वनिर्णय से स्वयं को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विषयों के चयन हेतु सिफारिश करने तक सीमित कर सकता है और उसके बाद महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा बोर्ड को कोई और संदर्भ दिए बिना लेखापरीक्षा की जा सकती है।

76. लेखापरीक्षा बोर्ड की अनुवर्ती बैठकें

जहां लेखापरीक्षा बोर्ड निष्पादन लेखापरीक्षा के मार्गदर्शन का निर्णय लेता है, वहां पर निम्न के लिए बैठक होगी:

- (1) लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, मार्गनिर्देश और कार्यप्रणाली पर विचार और अनुशंसा करने; और
- (2) ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करने और इनको अंतिम रूप देने के लिए अनुशंसा करने हेतु।

77. लेखापरीक्षा बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए कम्पनी और विभाग के प्रतिनिधियों की आवश्यकता

लेखापरीक्षा बोर्ड पूर्ववर्ती विनियम के खंड (2) में संदर्भित बैठक में उपस्थित होने के लिए कम्पनी और सरकारी विभाग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा। कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संबंधित सरकारी विभाग के सचिव ऐसी बैठक में भाग लेंगे जिसे निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में आयोजित एक्ज़िट कान्फ्रेंस के रूप माना जाएगा।

78. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/उद्यमों की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विनियमों का अनुप्रयोग

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/उद्यमों की लेखापरीक्षा हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित विनियम आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

79. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम शामिल करना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों या किसी अन्य सरकारी कंपनी की लेखापरीक्षा के परिणाम भी शामिल किये जा सकते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित मामलों पर सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी और सरकार को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए उचित अवसर दिए बिना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की जाएगी।

80. सरकार और विधान मंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

सरकारी कम्पनी या किसी अन्य कंपनी के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संबंधित सरकार को अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक प्रतिवेदन को संसद/राज्य विधान मंडल, जैसा मामला हो, के प्रत्येक सदन में रखेगी।

81. लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान और लेखापरीक्षा बकाया समिति के गठन का उत्तरदायित्व

केन्द्र और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों दोनों के मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन पर होता है। निरीक्षण रिपोर्टो में शामिल अधिसंख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के दो वर्षों से अधिक समय से बकाया रहने की हालत में प्रत्येक ऐसी कम्पनी बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र समाधान और निपटान के लिए कम्पनी के समुचित वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर एक लेखापरीक्षा बकाया समिति का गठन करेगी। संबंधित सरकार इन समितियों के गठन और उनके प्रभावकारी कार्य को सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर सकती है।

अध्याय 8

निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

(क) विस्तृत सिद्धांत

82. निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्राधिकार

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों और कम्पनियों के अलावा निकायों एवं प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 14, 15, 19 (2), 19 (3), 19ए और 20 में सन्निहित प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

83. अभिव्यक्ति 'निकाय' और 'प्राधिकरण' का अर्थ

अभिव्यक्ति 'प्राधिकरण' का तात्पर्य संविधान अथवा विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अनुसार उसमें निहित शक्ति अथवा अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अथवा निकाय है। अभिव्यक्ति 'निकाय' का तात्पर्य व्यक्तियों, चाहे निगमित हों अथवा अनिगमित, के समूह से है और इसमें विशिष्ट संविधि के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित एक संस्थान अथवा संगठन, अथवा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा किसी अन्य संविधि के अन्तर्गत पंजीकृत समिति, स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन, शहरी अथवा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थान, सहकारी समिति, समिति अथवा क्लब आदि शामिल हैं।

84. अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों का निकायों और प्राधिकरणों पर लागू होना

अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान उन निकायों और प्राधिकरणों पर लागू होंगें जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं।

85. लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये जाने वाले निकायों और प्राधिकरणों के लेखे

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले निकाय अथवा प्राधिकरण समय अनुसूची, जिसे ऐसे निकाय अथवा प्राधिकरण को शासित करने वाली विधियों द्वारा अन्यथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाए, के अनुसार विधिवत अनुमोदित लेखे लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराएंगे।

(ख) संघ अथवा राज्य राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

86. अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

(1) अधिनियम की धारा 14 (1) निकाय अथवा प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा करने का प्राधिकार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को देती है यदि

(क) उस वित्तीय वर्ष में इसे भुगतान किए गए सरकारी अनुदान अथवा कर्ज़ की राशि पच्चीस लाख रूपये से कम नहीं है और साथ ही (ख) ऐसे अनुदान अथवा ऋण की राशि वर्ष के दौरान इसके कुल व्यय के पचहत्तर प्रतिशत से कम नहीं है। इस धारा के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निकाय अथवा प्राधिकरण पर लागू किसी विधि के प्रावधानों के अध्यधीन है। (2) अधिनियम की धारा 14 (2) में प्रावधान है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, के पूर्व अनुमोदन से निकाय अथवा प्राधिकरण, जहाँ वित्त वर्ष में निकाय अथवा प्राधिकरण को सरकारी अनुदानों अथवा ऋणों की राशि एक करोड़ रूपये से कम नहीं है, की सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा कर सकते हैं।

(3) जहाँ निकाय अथवा प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा एक विशेष वर्ष के लिए धारा 14 की उप धारा (1) या (2) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है वहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को और दो वर्षों की अवधि के लिए इसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा जारी रखने के लिए अधिनियम की धारा 14 (3) के अन्तर्गत प्राधिकार दिया गया है यद्यपि उप धारा (1) या (2) में कथित शर्ते आगामी किन्हीं दो वर्षों के दौरान पूरी नहीं भी होती हों।

87. अनुदानों और ऋणों की संस्वीकृति और प्रतियों का अग्रेषण

सरकारी विभागों और अन्य अधिकारी जो किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को अनुदानों और/अथवा ऋणों की संस्वीकृति के लिए सशक्त है, द्वारा:

(1) अनुदान अथवा ऋणों की संस्वीकृति के प्रत्येक पत्र की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा कार्यालय को पृष्ठांकित की जाएगी;

(2) निकाय अथवा प्राधिकरण के बजटीय व्यय की राशि का उल्लेख संस्वीकृति में किया जाएगा; और

(3) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायता प्राप्त निकाय अथवा प्राधिकरण जहाँ कहीं और जब भी आवश्यक हो, लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा अधिकारी को सभी सुसंगत अभिलेख उपलब्ध करायें और इसके बारे में आवश्यक उल्लेख अनुदान और/अथवा ऋण की संस्वीकृति के पत्र में किया गया है।

88. सहायता प्राप्त कर रहे निकायों और प्राधिकरणों के विवरण का अग्रेषण

सरकारें और विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदानों और/अथवा ऋणों को संस्वीकृत करते हैं वे ऐसे निकायों और प्राधिकरणों जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल दस लाख रूपये अथवा उससे अधिक के अनुदानों और/अथवा ऋणों का भुगतान किया गया है, प्रत्येक वर्ष जुलाई की समाप्ति तक लेखापरीक्षा कार्यालय को निम्नलिखित को दर्शाते हुए एक विवरण भेजेंगे:

(क) सहायता की राशि;

(ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी; और

(ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय।

89. सरकारी सहायता की प्रमात्रा की संगणना

अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षणीयता को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से सरकारी सहायता की प्रमात्रा निकालने के लिए:

(1) निकाय अथवा प्राधिकरण को प्रदत्त अनुदान (अनुदानों) और ऋण (ऋणों) की कुल राशि को एक साथ गिना जाएगा; संघ सरकार, राज्य सरकार (सरकारों) और संघ राज्य क्षेत्र सरकार (सरकारों) द्वारा निकाय अथवा प्राधिकरण को प्रदत्त अनुदान (अनुदानों) और ऋण (ऋणों) की राशियों का कुल योग किया जाएगा; और

(2) वर्ष के दौरान प्रदत्त अनुदान (अनुदानों) और ऋण (ऋणों) की राशि में पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान निकाय अथवा प्राधिकरण को प्रदत्त अनुदान (अनुदानों) और ऋण (ऋणों) में से अव्ययित कोई राशि जो सरकार को वापस नहीं की गई, को शामिल किया जाएगा।

90. प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा एवं आन्तरिक नियंत्रण और वित्तीय अभिलेखों की समीक्षा

पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय अथवा प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा व्यय और प्राप्तियों के लेखापरीक्षा के संबंध में निर्धारित विनियम अनुसार की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इसके लेखाओं पर राय व्यक्त करने के लिए इसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय अभिलेखों एवं इसके लेखापरीक्षक द्वारा निष्पादित जांच की विवेचनात्मक समीक्षा भी कर सकते हैं।

91. लेखापरीक्षा के परिणामों का सम्प्रेषण और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनका शामिल किया जाना

लेखापरीक्षा कार्यालय निकाय अथवा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लेखापरीक्षा के परिणाम भेजेगा और सरकार (सरकारों) के विभाग (विभागों) जिसने निकाय अथवा प्राधिकरण के अनुदान (अनुदानों) अथवा ऋण (ऋणों) का भुगतान किया है को भी निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा। लेखापरीक्षा में ध्यान में आये महत्वपूर्ण मामलों, जिन्हें विधानमण्डल की जानकारी में लाया जाना आवश्यक है, को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया जा सकता है जिसे उपयुक्त विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) विशिष्ट प्रयोजन के लिए निकायों और प्राधिकरणों को दिये गये अनुदानों एवं ऋणों के मामले में संवीक्षा

92. अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

(1) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जहाँ कोई अनुदान अथवा ऋण किसी प्राधिकरण अथवा निकाय, जो विदेशी राज्य अथवा अन्तरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, को भारत अथवा किसी राज्य की अथवा विधान सभा वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिया गया है वहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करने का प्राधिकार है जिसके द्वारा मंजूरी देने वाला प्राधिकारी उन शर्तों, जिनके अध्यधीन अनुदान या ऋण दिये गये, को पूरा करने के प्रति स्वयं सन्तुष्ट होता है।

(2) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, यदि उनकी यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् वह ऐसे अनुदान अथवा ऋण को प्राप्त करने वाले किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के मामले में ऐसी किसी संवीक्षा करने से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को मुक्त कर सकता है।

93. अनुदानग्राही निकाय अथवा प्राधिकरण के खातों एवं लेखाओं तक अभिगम

(1) धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उन प्रक्रियाओं जिनके द्वारा मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सरकारी सहायता से सम्बद्ध शर्तों को पूरा करने के प्रति स्वयं सन्तुष्ट होता है, की संवीक्षा करने के प्रयोजनार्थ अनुदानग्राही निकाय अथवा प्राधिकरण के खातों एवं लेखाओं के लिए समुचित पूर्व सूचना के साथ अभिगम रखने के लिए प्राधिकृत है।

(2) धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सिवाय इसके कि जबकि वह राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसा करने के लिये प्राधिकृत है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को, उस समय जबकि वह धारा 15(1) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहे हों, किसी ऐसे निगम की, जिसे कोई ऐसा अनुदान या कर्ज़ दिया जाता है जैसा धारा 15(1) में निर्दिष्ट है, खातों और लेखाओं तक अभिगम का अधिकार नहीं होगा यदि वह विधि, जिसके द्वारा या जिसके अधीन ऐसा निगम स्थापित किया गया है, ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से भिन्न किसी एजेंसी द्वारा किये जाने का उपबन्ध करती है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श और संबंधित निगम को इस बारे में अभिवेदन करने का समुचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई प्राधिकार नहीं किया जाएगा।

94. लेखापरीक्षा के परिणामों का सम्प्रेषण और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उनको शामिल करना

लेखापरीक्षा कार्यालय अधिनियम की धारा 15 के अनुसार की गई प्रक्रियाओं की संवीक्षा के परिणामों को सरकार (सरकारों) के विभाग (विभागों), जिन्होंने निकाय अथवा प्राधिकरण को अनुदान (अनुदानों) और/अथवा कर्ज़ (कर्जे) प्रदत्त किये, को भेजेगा। महत्वपूर्ण मामलों जिन्हें विधान मण्डल की जानकारी में लाया जाना आवश्यक है, को **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक** के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी शामिल किया जा सकता है जिसे उपयुक्त विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत गठित निगमों की लेखापरीक्षा

95. अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत निगमों की लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 19 (2) के अनुसार, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित निगमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का निष्पादन और प्रयोग संबंधित विधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

96. निगमों की लेखापरीक्षा करना

संबंधित विधानों के प्रावधानों के अध्यधीन, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित निगमों की लेखापरीक्षा का किया जाना इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

97. निदेशक बोर्ड एवं लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की कार्यसूची टिप्पणियों और कार्यवृत्तों की प्रतियाँ लेखापरीक्षा को भेजना

प्रत्येक निगम, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन है अपने शासी निकाय, जो कुछ भी नाम हो, और लेखापरीक्षा समिति, यदि बन गई हो, की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त टिप्पणियां की प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेजेगा।

98. लेखाओं की लेखापरीक्षा में अपेक्षित लागू मानक और सत्यापन

जहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक किसी निगम का एकमात्र लेखापरीक्षक हैं, वहाँ वित्तीय लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा सत्यापित करेगी कि क्या प्रणाली एवं प्रक्रिया मौजूद है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की गई है कि लेखाओं में:

- (1) लागू विधि (विधियों), नियमों और प्रशासनिक अनुदेशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;
- (2) आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है;
- (3) वित्तीय संव्यवहारों के बारे में पर्याप्त प्रकटन किया गया है; और
- (4) निगम की वित्तीय स्थिति का सत्य और उचित प्रस्तुतीकरण किया गया है।

99. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा से इतर लेखापरीक्षा

(1) निगम के लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निम्नलिखित सहित किसी अन्य प्रकार की लेखापरीक्षा कर सकते हैं:

(क) निगम द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जांच जो उनकी वैधता, सक्षमता एवं औचित्य की जाँच करने और उल्लंघन, अपशिष्ट, कुप्रबन्धन, धोखा-धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं के मामलों पर रिपोर्ट करने के विचार से हों, और

(ख) उस स्तर, जिस तक एक निगम, कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मितव्ययी रूप से, दक्षतापूर्वक और प्रभावी रूप से परिचालन करते हैं, को अभिनिश्चित करने के विचार से निष्पादन लेखापरीक्षा।

(2) उपर्युक्त लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को एक वित्त वर्ष से अधिक के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

(3) अध्याय 6 और 7 में उल्लिखित विनियमों को सुसंगत सीमा तक उप विनियमों (1) और (2) के अन्तर्गत की गई अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लागू किया जाएगा।

100. परिस्थितियों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र ऐसी अभ्युक्तियों और अर्हताओं के अध्यधीन हो सकता है जैसा कि परिस्थितियाँ उचित ठहरायें। यदि अभ्युक्तियाँ और अर्हताएं ऐसे स्वरूप की हैं जिससे निगम की वित्तीय स्थिति के लेखाओं में सत्य और उचित प्रस्तुतीकरण के प्रमाणीकरण का औचित्य न हो तो एक प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

101. ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अग्रेषण

वित्तीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर लेखापरीक्षा कार्यालय एक ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा जो लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र का भाग होगा। यदि इसमें कोई ऐसी अभ्युक्ति दी गई है जिस पर सरकार का उत्तर आवश्यक है तो इसकी एक प्रति सरकार को भी भेजी जाएगी

102. ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर

निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (और सरकार, जहाँ ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति इसे भेजी जाती है) इसके जारी करने की तारीख से दो सप्ताह के अन्दर अथवा यथा निर्धारित ऐसी अन्य अवधि के अन्दर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर भेजेगा।

103. पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना

लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व निगम (और सरकार यदि उसे प्रति भेजी गई है) से प्राप्त हुए उत्तर पर विचार करेगा। यदि विशिष्ट अवधि अथवा किसी सहमत विस्तारित अवधि के अन्दर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो लेखापरीक्षा अधिकारी इस धारणा पर कार्यवाही कर सकता है कि निगम (और सरकार जहाँ ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति इसे भेजी गई है) के पास इस मामले में कोई टिप्पणी, अभ्युक्ति और स्पष्टीकरण नहीं है।

104. लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का सरकार को अग्रेषण

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र का भाग बनेगा, निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रति भेजते हुए सरकार के संबंधित विभाग के सचिव को भेजेगा।

105. शासी निकाय और सबंधित विधान मंडल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी निकाय के समक्ष लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को वह तारीख सूचित करेगा जिस तारीख को इन्हें शासी निकाय को प्रस्तुत किया गया है। सरकार प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अधिनियम की धारा 19ए के अनुसार उपयुक्त विधान-मंडल (मंडलों) के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सचिव विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तारीख महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित करेगा।

106. लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा के अलावा लेखापरीक्षा के परिणाम सूचित करना

सरकारी निगमों की अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा सहित अन्य लेखापरीक्षा के परिणामों को विनियम 136 के अनुसार सूचित किया जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सबंधित विधान मंडल के समक्ष पटल पर रखा जाता है। तथापि टिप्पणी किये जाने वाले प्रस्तावित मामलों पर निगम और सरकार को स्पष्टीकरण का उपयुक्त अवसर देने के पश्चात् ही किसी टिप्पणी को निरीक्षण रिपोर्ट और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा।

107. लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लिए उत्तरदायित्व और 'लेखापरीक्षा बकाया समिति' का गठन

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान का उत्तरदायित्व निगम के प्रबन्धन का है। दो वर्षों से अधिक से बकाया रहे निरीक्षण रिपोर्टो में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के मामले में प्रत्येक ऐसा निगम बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र निपटान के लिए निगम के उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारियों की एक 'लेखापरीक्षा बकाया समिति' का गठन करेगा। संबंधित सरकार इन समितियों के गठन और उनके प्रभावी कार्यचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।

108. निगम जहाँ लेखापरीक्षा बोर्ड अथवा लेखापरीक्षा समीक्षा समिति का गठन किया गया अथवा जहाँ प्राथमिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई

केन्द्रीय निगमों के मामले में जहाँ लेखापरीक्षा बोर्ड का गठन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया है वहाँ अध्याय 7 के विनियम सुसंगत सीमा तक लागू होगें। इसके अतिरिक्त निगमों के मामले में जहाँ प्राथमिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत की गई है वहाँ अध्याय 7 के विनियम सुसंगत सीमा तक लागू होंगें।

(ङ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई राज्य निगमों एवं अन्य निकायों और प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा

109. अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुसार राज्य का राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, जहाँ उसकी यह राय है कि ऐसा किया जाना लोक हित में आवश्यक है, वहाँ राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल, जैसा भी मामला हो, द्वारा बनाई गई विधि द्वारा स्थापित निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से अनुरोध कर सकता है और जहाँ ऐसा अनुरोध किया गया है वहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करेंगे और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए निगम के खातों तथा लेखाओं की जाँच का अधिकार होगा।

ऐसा कोई अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श नहीं लिया जाता और जब तक निगम को ऐसी लेखापरीक्षा के प्रस्ताव के संबंध में अभिवेदन करने का समुचित अवसर नहीं दे दिया जाता।

110. अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा

(1) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, जिनकी लेखापरीक्षा संसद द्वारा बनायी गई किसी विधि द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपी गई है, लेखापरीक्षा धारा 20 (3) में उल्लिखित परन्तुक के अध्यधीन राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, द्वारा उनसे परामर्श करने के पश्चात और उनके एवं संबंधित सरकार के मध्य यथा सहमत निबंधन एवं शर्तों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी जा सकती है।

(2) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्ताव दे सकते हैं कि उन्हें निकाय अथवा प्राधिकरण, जिसकी लेखापरीक्षा विधि द्वारा उन्हें सौंपी नहीं गई है, के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकार दिया जा सकता है, यदि उनकी यह राय है कि ऐसी लेखापरीक्षा करनी आवश्यक है क्योंकि सरकार द्वारा उस निकाय अथवा प्राधिकरण में पर्याप्त राशि का निवेश किया गया है या अग्रिम दिया गया है और उप-धारा (3) में उल्लिखित परन्तुक के अध्यधीन राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक, जैसा भी मामला हो, उस निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकृत कर सकते हैं।

(3) अधिनियम की धारा 20 (3) के अन्तर्गत, धारा 20 (1) या 20 (2) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को केवल तभी सौंपी जाएगी यदि राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, ऐसी लेखापरीक्षा करने के लिए प्रस्ताव के बारे में अभिवेदन करने के लिए संबंधित निकाय अथवा प्राधिकरण को समुचित अवसर देने के पश्चात्, सन्तुष्ट है कि लोक हित में ऐसा करना व्यावहारिक है।

111. धारा 20 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा करने के लिए शर्तें

धारा 20 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के अनुरोध पर किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा करने के लिए शर्तें निम्न हैं:

(1) यदि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सहमति दी जाएगी तो लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी जाएगी।

(2) व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है यदि सरकार या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुरोध किया गया है।

(3) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, विस्तार और पद्धति का निर्णय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(4) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अपनी ओर से और उनके द्वारा जारी निर्देशों या मार्गनिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा करने के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक को नियुक्त कर सकता है।

(5) निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा ऐसे प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार उसी तरह होंगे जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के संबंध में रखते हैं।

(6) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा इस बारे में प्राधिकृत अधिकारी, निकाय अथवा प्राधिकरण के शासी निकाय को लेखापरीक्षा के परिणामों को सूचित करेंगे। शासी निकाय अपनी अभ्युक्तियों के साथ सबंधित सरकार को प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा इस बारे में प्राधिकृत अधिकारी प्रतिवेदन की एक प्रति सबंधित सरकार को भी भेजेगा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संसद अथवा राज्य विधान मंडल अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल को लेखापरीक्षा के परिणामों को सूचित करने का अधिकार होगा। (7) निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा के सबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये किसी व्यय, जिसमें प्राथमिक लेखापरीक्षक की सेवाओं के लिए किये गये व्यय, यदि कोई हो, शामिल होंगे, का भुगतान निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किया जाएगा।

112. संघ सरकार द्वारा लेखापरीक्षा सौंपने के लिए प्रस्ताव

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा सौंपने के लिये संघ सरकार, बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र सहित, द्वारा प्रस्ताव नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजा जाएगा।

113. राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा लेखापरीक्षा सौंपने के लिए प्रस्ताव

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा सौंपने के लिए राज्य सरकार अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्ताव सम्बंधित महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेजे जाएंगे।

114. लेखापरीक्षा सौंपने के लिए पत्र

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को किसी निकाय अथवा प्राधिकरण की लेखापरीक्षा सौंपने का पत्र राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अथवा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के नाम में जारी किया जाएगा। अन्य बातों के साथ-साथ पत्र में यह दर्शाया जाएगा कि निकाय अथवा प्राधिकरण को समुचित अवसर देने के संबंध में आवश्यकता सहित निर्धारित आवश्यकताएं, जहाँ लागू हो, सन्तुष्ट कर ली गई हैं।

115. विधियों के प्रावधानों और सहमत निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 19 (3) अथवा धारा 20 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और सबंधित सरकार के मध्य सहमति होने पर सुसंगत विधियों के प्रावधानों और निबंधनों एवं शर्तों, जहाँ लागू हो, के अनुसार की जाएगी। उपर्युक्त के अध्यधीन, ऐसे निगमों और निकायों या प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा इन विनियमों के अनुसार की जाएगी।

116. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडलों द्वारा गठित निगमों की लेखापरीक्षा तथा अन्य सौंपी गई लेखापरीक्षा

इस अध्याय के खण्ड (घ) में उल्लिखित प्रावधानों को, राज्य विधान मण्डल एवं संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा गठित निगमों और अन्य निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनकी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19 (3) और धारा 20 के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, सुसंगत सीमा तक यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किया जाएगा।

अध्याय 9

पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका

117. लेखाओं के रखरखाव और लेखापरीक्षा के लिए व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 243ञ और 243य के अंतर्गत राज्य का विधान मंडल पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं के लेखापरीक्षण के संबंध में विधि द्वारा प्रावधान बना सकता है। स्थानीय निधि लेखापरीक्षक, जो सामान्य रूप से राज्य सरकार का एक अधिकारी है, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है। कुछ राज्यों में स्थानीय निधि लेखाओं का परीक्षक, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिकारी है, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है।

118. अधिनियम की धारा 14, 19, 20 जहाँ लागू है, के अंतर्गत लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं जहाँ ऐसे निकाय भारत की या किसी राज्य की या विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की समेकित निधि से अनुदानों या ऋणों द्वारा वित्तपोषित किये जाते हैं और अधिनियम की इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षणीय है। इन मामलों में, ऐसी लेखापरीक्षाओं के लिए प्रासंगिक विनियम लागू होंगे। ये विनियम, जिस सीमा तक सुसंगत हैं, उन मामलों में भी लागू होंगे जहां पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19 या धारा 20 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुर्द की गई है।

119. लेखाओं और बजट के नमूना प्रपत्र

नमूना प्रपत्र जिसमें पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लेखे रखे जा सकते हैं और प्रपत्र जिनमें उनके बजट तैयार और प्रस्तुत किये जा सकते हैं, को नियंत्रक एवं महालेखापराक्षक द्वारा निर्धारित किया गया है।

120. तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) के संबंध में व्यवस्था

कई राज्यों में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता का कार्य अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सुपुर्द किया गया है।

तकनीकी मार्गनिर्देश और सहायता के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और स्थानीय निधि लेखापरीक्षक के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं जैसा विभिन्न सरकारी आदेशों में समाविष्ट हैं, निम्नवत है:

(1) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक आगामी वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक तैयार करेंगे और इसे राज्य के महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित करेंगे;

(2) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएँ विभिन्न अधिनियमों और राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित संविधि तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार होंगी।

(3) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा चयनित स्थानीय निकायों के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां प्रणाली सुधार पर सलाह देने के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जाएगी और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अपनायी जा रही विद्यमान प्रणालियों के सुधार के लिए सुझाव देने के विचार से उसकी समीक्षा करेंगे। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ऐसे निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा कर स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट की गुणवत्ता को भी मानीटर करेंगे।

(4) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक ऐसे प्रपत्र में विवरणी भेजेंगे जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सलाह देने और मानीटर करने के लिए निर्धारित किया जाए।

(5) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तकनीकी मार्गनिर्देश देने के लिए कुछ पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जांच करेंगे। नमूना जांच का प्रतिवेदन पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अनुसरण के लिए स्थानीय निधि लेखापरीक्षक को भेजा जाएगा। स्थानीय निधि लेखापरीक्षक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफों के अनुपालन के लिए उसी ढंग से कार्रवाई करेगा जैसे कि ये उसके अपने प्रतिवेदन हों।

(6) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा देखी गई गंभीर अनियमितताएं जैसे प्रणाली में कमियां, नियमों की गंभीर अवहेलना और धोखाधड़ी, आपत्तियों के मौद्रिक मूल्य का ध्यान किए बिना, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित की जाएगी।

(7) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से अपने संगठन में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करेंगे।

(8) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा स्टाफ का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी करेंगे।

121. लेखाओं का प्रमाणन लेखापरीक्षा में शामिल न होना

जब तक विशेष रूप से प्रावधान न किया जाए पूर्ववर्ती विनियम के पैराग्राफ (5) के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा में पंचायती राज संस्थानों या शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्रमाणन शामिल नहीं है।

122. निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसरण में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की भूमिका

स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण रिपोर्ट में पैराग्राफों के अनुसरण के संबंध में इस अध्याय के विनियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने के बावजूद महालेखाकार (लेखापरीक्षा) भी अपनी नियमित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

123. लेखापरीक्षा के परिणाम सरकार को अग्रेषित करना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) विनियम 114(5) तथा टीजीएस के तहत अन्य कार्यों के दायरे के अन्दर पूर्व वर्ष के दौरान उनके कार्यालय द्वारा की गई पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणामों सहित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जून के अंत तक संबंधित सरकार के सचिव या सचिवों को भेजेंगे। सचिव सुनिश्चित करेंगे कि उपयुक्त उपचारी कार्रवाई अविलम्ब की जाती है और की गई कार्रवाई की सूचना महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को दी जाती है। उन राज्यों में जहां स्थानीय निधि लेखा के परीक्षक स्थानीय निकाय की लेखापरीक्षा करता है, वहां तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट को स्थानीय निधि लेखा के परीक्षक द्वारा तैयार किया जाएगा और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

124. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा परिणाम शामिल करना

जहां पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाते हैं और विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं वहां लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा रिपोर्टों के परिणामों की सूचना देने के संबंध में प्रासंगिक विनियम लागू होंगे।

अध्याय 10

लेखापरीक्षण मानकों के मार्गदर्शन सिद्धांत

125. प्राधिकार और उद्देश्य

1. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संगठन के साथ-साथ उसके कार्मिको के लिए भी पेशेवर लेखापरीक्षण मानक निर्धारित करते है।

 लेखापरीक्षण मानक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई सभी लेखापरीक्षाओं पर लागू प्रतिमान स्थापित करते है।

 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश के अनुसार सभी लेखापरीक्षाएं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की जाएंगी।

4. लेखापरीक्षण मानक उन लेखापरीक्षा क्रियाविधियों का निर्धारण करेंगे जो लेखापरीक्षा पर लागू होंगी तथा मानदंड अथवा बेंचमार्क का गठन करेगी जिसके प्रति लेखापरीक्षा परिणामों की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है।

5. लेखापरीक्षण मानक वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संयोजन सहित सभी प्रकार की लेखापरीक्षाओं पर लागू होंगे।

6. भारत के संविधान, अधिनियम और अन्य प्रासंगिक संविधियों, मौजूदा नियमों तथा इन विनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, लागू अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप समय-समय पर लेखापरीक्षण मानको को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अद्यतित, संशोधित या आशोधित किया जाएगा।

126. सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के घटक

सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के घटक निम्न प्रकार हैं और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षण मानकों में जैसाकि विवरण दिया गया है और अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा और वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथा लागू विशेष रूप से जिनका प्रावधान किया गया है।

(क) तीन पार्टियां (लेखापरीक्षक, जिम्मेदार पार्टी तथा अभिप्रेत प्रयोगकर्ता)

(ख) विषय-वस्तु, मानदंड तथा विषय वस्तु की जानकारी

(ग) कार्य का प्रकार (सत्यापन और प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग)

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में विश्वास तथा आश्वासन और आश्वासन के स्तर

127. सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के सिद्धांत तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांत

 सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण के सामान्य सिद्धांत जिन पर लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व तथा लेखापरीक्षा के दौरान एक से अधिक बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए उनमें नैतिकता और स्वतंत्रता, पेशेवर निर्णय, उचित सावधानी और संदेहवृत्ति, गुणवत्ता नियंत्रण, लेखापरीक्षा दल प्रबंधन और कौशल, लेखापरीक्षा जोखिम, महत्व, दस्तावेजीकरण तथा सूचना जैसा कि लेखापरीक्षण मानको में दिए गए हैं, शामिल है।

 लेखापरीक्षा प्रक्रिया संबंधी सिद्धांतों का विवेचन लेखापरीक्षण मानको में किया गया है तथा उनमें निम्नलिखित शामिल हैं

क. आयोजना

- (i) लेखापरीक्षा कार्य के निबंधन स्थापित करना
- (ii) सत्व की जानकारी प्राप्त करना
- (iii) जोखिम निर्धारण करना
- (iv) महत्वपूर्णता निश्चित करना
- (v) धोखाधड़ी के जोखिम की पहचान करना, जैसे भी लागू हो
- (vi) लेखापरीक्षा योजना विकसित करना-लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, दृष्टिकोण तथा कार्यप्रणाली, संसाधन आवंटन, लेखापरीक्षा के चरणों की समयसीमा

ख. लेखापरीक्षा करना

- (i) लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु नियोजित लेखापरीक्षा क्रियाविधि निष्पादित करना
- (ii) लेखापरीक्षा साक्ष्य का मूल्यांकन करना तथा निष्कर्ष निकालना

ग. रिपोर्टिंग तथा अनुवर्तन

- (i) प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करना
- (ii) सुसंगतता के अनुसार रिपोर्ट किए गए मामलों का अनुवर्तन

अध्याय 11

लेखापरीक्षा आयोजना, लेखापरीक्षा का संचालन और रिपोर्टिंग

128. लेखापरीक्षणीय सत्त्वों की अद्यतित सूची का रखरखाव

सभी लेखापरीक्षा कार्यालय सभी सरकारी विभागों द्वारा लागू किए जा रहे अधिनियमो और अधीनस्थ विधानों सहित अपने संबंधित लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकारों के अध्यधीन, लेखापरीक्षा सत्त्वों की अद्यतित सूची का रखरखाव करने हेतु जिम्मेदार होंगे। विभागाध्यक्ष उनके द्वारा प्रशासित अधिनियमों और अधीनस्थ विधानों सहित, उनके विभाग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे लेखापरीक्षणीय सत्व की सूची में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन किए जाने के तुरंत बाद अथवा लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जानकारी का अनुरोध किए जाने पर वर्ष में दो बार जून और दिसंबर में स्वंय लेखापरीक्षा कार्यालय को आपूर्त करेंगे।

129. लेखापरीक्षा आयोजना

- (1) लेखापरीक्षा आयोजना में शामिल हैं
 - (क) लेखापरीक्षा कार्यों की पहचान, एक या अधिक लेखापरीक्षणीय सत्वों से संबंधित, वार्षिक और/या दीर्घावधिक लेखापरीक्षा योजना के भाग के रूप में, ऐसे कार्यों की वित्तीय, अनुपालन या निष्पादन लेखापरीक्षा या सभी संयुक्त या उसके कुछ पहलूओं की हो सकती है।
 - (ख) आयोजना वैयक्तिक लेखापरीक्षा कार्य

(2) वार्षिक या दीर्घावधिक लेखापरीक्षा योजना का विकास जोखिम और अन्य कारकों के निर्धारण पर आधारित है, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

- (3) वैयक्तिक लेखापरीक्षा कार्यों की आयोजना में मौटे तौर पर शामिल हैं
 - (क) लेखापरीक्षा किए जा रहे सत्व/कार्यक्रम/गतिविधि आदि के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना
 - (ख) लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और दृष्टिकोण को परिभाषित करना
 - (ग) लेखापरीक्षा क्रियाविधियों और समयसीमा के स्वरूप, समय और सीमा को परिभाषित करना

(4) वार्षिक या दीर्घावधिक योजना तैयार करने और वैयक्तिक लेखापरीक्षा कार्यों की आयोजना के लिए विस्तृत क्रियाविधियों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

130. लेखापरीक्षा की अग्रिम सूचना

लेखापरीक्षा कार्यालय लेखापरीक्षा किए जाने वाले कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को पर्याप्त अग्रिम सूचना देगा। लेखापरीक्षा कार्यालय अपनी लेखापरीक्षा योजना के अनुमोदन होते ही लेखापरीक्षणीय सत्त्वों को अग्रिम सूचना दे सकते हैं। लेखापरीक्षा की सूचना में लेखापरीक्षणीय सत्त्व के दौरे की अवधि, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा उद्देश्य, तथा लेखापरीक्षा दल के संयोजन सहित लेखापरीक्षा की सम्भावित अवधि बताई जाएगी। उन मामलों में जहां लेखापरीक्षा में आकस्मिक जांच का तत्व शामिल है, वहाँ पूर्व सूचना देने की जरूरत नहीं है।

कार्यालय का प्रभारी अधिकारी ऐसी सूचना की पावती देगा और लेखापरीक्षा दल के दौरे की अवधि के दौरान मुख्यालय में उपलब्ध रहने का पूर्ण प्रयास करेगा।

प्रभारी अधिकारी अपने कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में, लेखापरीक्षा के साथ संपर्क के लिए नामित कर सकता है। हालाँकि, प्रभारी अधिकारी, इन विनियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार बने रहेंगे, जहाँ तक वे लेखापरीक्षा करने को सुविधाजनक बनाने से संबंधित हैं।

131. लेखापरीक्षा करने के लिए सुविधाओं का प्रावधान

लेखापरीक्षणीय सत्त्व के कार्यालय के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह लेखापरीक्षा दल को कार्यालयी उपयोग हेतु तथा वरिष्ठता/रैंक/वेतनमान वाले अपने स्वयं के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान लेखापरीक्षणीय सत्त्व में उपलब्ध सुविधाओं के समकक्ष यथोचित एवं समुचित कार्यालय स्थान अन्य कार्यालयीन सुविधाएं उपलब्ध कराए।

132. लेखापरीक्षा शुरू होने पर लेखापरीक्षणीय सत्त्व के प्रभारी अधिकारी के साथ बैठक

जैसे ही लेखापरीक्षा कार्य आरम्भ होता है, लेखापरीक्षा दल का लीडर/पर्यवेक्षक अधिकारी प्रभारी अधिकारी के साथ एक बैठक कर सकता है। बैठक में, लेखापरीक्षा द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं मापदण्ड, आन्तरिक नियंत्रण की सामान्य स्थिति और ध्यान देने योग्य क्षेत्र, चिन्ता अथवा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक की कार्रवाई का दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित अभिलेख रखा जा सकता है। यदि बैठक आयोजित नहीं हो सकती है, तो उसे भी दर्ज किया जाएगा।

133. लेखापरीक्षा मांगपत्र, जांच और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी करना

(1) लेखापरीक्षा के दौरान, हालांकि लेखापरीक्षा मांगपत्र तथा जांच (जहां भी आवश्यक हो), लेखापरीक्षा दल के सदस्यों द्वारा जारी किए जा सकते है, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां लेखापरीक्षा टीम लीडर/पर्यवेक्षी अधिकारी के अनुमोदन से लेखापरीक्षा दल द्वारा जारी की जाएंगी। सभी पत्राचार क्रमांकित होंगे।

(2) प्राथमिकता से, सभी ऐसे पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी होंगे। ऑफलाईन/हस्त्य रूप से जारी कोई भी पत्राचार वर्कफ्लो में अपलोड किया जाएगा/शीघ्र अति शीघ्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

134. लेखापरीक्षा जांचों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर

लेखापरीक्षणीय सत्त्व मे लेखापरीक्षा का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित समय में लेखापरीक्षा जांचों तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उपयुक्त उत्तर दिए गए हैं और उत्तर में दिए गए विवरण अभिलेखों के अनुसार सही हैं ताकि ऐसे उत्तरों मे लेखापरीक्षा द्वारा वर्णित तथ्यों और आंकड़ों की सटीकता की पुष्टि की जा सके और लेखापरीक्षा द्वारा आगे प्रसंस्कृत किए जाने पर विवादास्पद न हो। ऐसे सभी उत्तर प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे या उनके अनुमोदन का उन पर संकेत होगा।
135. लेखापरीक्षा की समाप्ति पर लेखापरीक्षणीय सत्त्व के प्रभारी अधिकारी के साथ बैठक

लेखापरीक्षा का टीम लीडर/पर्यवेक्षी अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी लेखापरीक्षा की समाप्ति पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा करेंगे। प्रभारी अधिकारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में शामिल तथ्यों तथा आंकड़ों की पुष्टि करेगा। यदि असहमति का कोई मुद्दा हो तो उसका उल्लेख किया जाए और उसके निराकरण के उद्देश्य से बैठक के दौरान चर्चा की जाए। प्रभारी अधिकारी लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर अपनी अभ्युक्तियाँ, यदि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में पहले नहीं दी गई हैं, भी प्रस्तुत करेगा। उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में पहले नहीं दी गई हैं, भी प्रस्तुत करेगा। उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति लेखापरीक्षणीय सत्त्व के उत्तर के रूप में शामिल किया जाएगा। जहाँ आवश्यक तथा उचित हो, लेखापरीक्षा दल द्वारा प्रणालीगत कमियों का उपचार करने और नियंत्रण में सुधार करने के लिए सिफारिशें की जा सकती हैं। बैठक की कार्रवाई का दोनों पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित अभिलेख रखा जाएगा। यदि बैठक आयोजित न की जा सके तो इसे दर्ज किया जाएगा।

136. लेखापरीक्षा समापन पर पत्राचार के प्रकार

(1) लेखापरीक्षा के स्वरूप और प्रकार के आधार पर लेखापरीक्षा की अभियुक्तियों/लेखापरीक्षा का परिणाम, लेखापरीक्षा कार्यों के समापन पर निम्नलिखित रूप में जारी किया जाता है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है;

(क) वित्तीय लेखापरीक्षा के मामले में, मसौदा लेखापरीक्षा मत, मसौदा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर), सांविधिक लेखापरीक्षक के मत हेतु अनुपूरक मसौदा अभ्युक्तियां या एक मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(ख) अनुपालन लेखापरीक्षा के मामले में, निरीक्षण रिपोर्टे वैयक्तिक लेखापरीक्षा इकाइयों या कार्यान्वयन इकाइयों के अध्यक्षों को संबोधित की जाती है; मसौदा पैराग्राफ या मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट विभागध्यक्ष को संबोधित की जाती है।

(ग) निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में, मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट शीर्ष सत्व के अध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष या सरकार को संबोधित की जाती है

(2) उपर्युक्त इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार जारी किए जाएंगे।

(3) लेखापरीक्षणीय सत्व और/या विभाग/सरकार से प्राप्त हुई प्रतिक्रिया और लेखापरीक्षा द्वारा आगे के निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियां और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्टें को लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और सिफारिशों में शामिल करने के लिए या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के रूप में विकसित किया जाता है।

137. सरकार को मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ की सूचना तथा उस पर चर्चा

(1) ऐसी समयावधि, जो निर्दिष्ट की जाए, के भीतर सरकार की टिप्पणियां, अवलोकन और स्पष्टीकरण सूचित करने के लिए सरकार के सम्बन्धित सचिव को नाम से, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ मसौदा पैराग्राफ की एक प्रति भेजेंगे। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उक्त अवधि के भीतर परस्पर सुविधा से सचिव के साथ मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ पर चर्चा का प्रस्ताव भी करेंगे। मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मामले में चर्चा आवश्यक नहीं है क्योंकि इस पर इन विनियमों के अनुसार एक्ज़िट कान्फ्रेंस में सचिव के साथ अलग से चर्चा की जाती है।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सरकार के वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग के सचिव के नाम से, मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ की एक प्रति साथ-साथ भेजेंगे।

(3) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ की अभ्युक्तियां लेखापरीक्षा साक्ष्य द्वारा समर्थित होंगी। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अपने पास उपलब्ध किसी सुसंगत दस्तावेज तथा साक्ष्य की प्रतियां, जिनकी सरकारी विभाग द्वारा अपेक्षा की जाए, मुहैया कराएंगे।

138. सरकार द्वारा मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ का उत्तर

(1) सरकार के संबंधित विभाग का सचिव,

(क) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ, जैसे ही यह प्राप्त होता है, की प्राप्ति की पुष्टि करेगा या पुष्टि कराएगा, तथा

[PART III—SEC. 4]

(ख) निर्धारित अवधि के भीतर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नाम से और लिखित में मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ पर सरकार की टिप्पणियां, अभ्युक्तियां और स्पष्टीकरण सूचित करेगा। उत्तर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा या सचिव द्वारा अनुमोदन का उस पर संकेत होगा।

(2) सरकार के सचिव के उत्तर में निम्नलिखित का उल्लेख होगा:

(क) क्या मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्यों तथा आंकड़ों को विभाग स्वीकार करता है, यदि नहीं, तो विधिवत प्रमाणित सुसंगत दस्तावेजों और साक्ष्य द्वारा यथा समर्थित कारण;

(ख) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ में शामिल मामलों पर सरकार की टिप्पणियां, अभ्युक्तियां और स्पष्टीकरण;

(ग) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ में दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया;

(घ) की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित उपचारी कार्रवाई; तथा

(ङ) विभाग की कोई अन्य अभ्युक्तियां अथवा टिप्पणियां।

(3) विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी, अन्तिम रूप देने और प्रस्तुत करने की अनुसूची के अनुरूप महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ का उत्तर भेजने के लिए समय वृद्धि के लिए सरकार के सम्बन्धित सचिव द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार कर सकते हैं। प्रत्येक ऐसे अनुरोध में

(क) निर्धारित समय के आगे समयवृद्धि मांगने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा, और

(ख) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को निश्चित तारीख, जिस तक मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ का अन्तिम उत्तर भेजा जाएगा, बतायी जाएगी।

(4) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), यदि निर्धारित अवधि या सहमत समय वृद्धि के भीतर अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इस परिकल्पना पर आगे कार्रवाई करेंगे कि मामले में सरकार की कोई टिप्पणी, अभ्युक्ति तथा स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे मामलों में मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्य, आंकड़े तथा संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य की यथार्थता के लिए सरकार उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।

(5) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार के उत्तर पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

उत्तर को देखते हुए मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ को आशोधित किया जा सकता है या लेखापरीक्षा प्रतिवदेन में शामिल नहीं किया जा सकता है।

139. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए अन्तिम रूप दिए गए पैराग्राफों की सूचना

राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के मामले में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट/मसौदा पैराग्राफ को अन्तिम रूप देने के बाद सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव तथा वित्त विभाग के सचिव को नाम से अन्तिम रूप दिए गए लेखापरीक्षा रिपोर्ट/पैराग्राफ की एक प्रति भेजेंगे। संघ सरकार के मामले में, अन्तिम रूप दिए गए लेखापरीक्षा रिपोर्ट/पैराग्राफ की प्रतियां सम्बन्धित मंत्रालय के सचिव को भेजी जाएंगी।

140. लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रारूप, अन्तर्वस्तु तथा प्रस्तुतीकरण का समय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाना

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रारूप, अन्तर्वस्तु तथा प्रस्तुतीकरण का समय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अध्याय 12

लेखापरीक्षा परिणामों का अनुवर्तन

141. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सिफारिशों और सरकार द्वारा पर्याप्त चूक के रिकॉर्ड का रखरखाव

प्रत्येक लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखापरीक्षणीय सत्त्व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सिफारिशों के संबंध में उचित रिकॉर्ड का रखारखाव करेगा ताकि की गई कार्रवाई की मानीटरिंग की जा सके और अनुवर्ती कार्रवाई को बनाए रखा जा सके।

सरकार उन प्रणालियों और क्रियाविधियों को स्थापित और कार्यान्वित करेगी जो लेखापरीक्षा द्वारा संसूचित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर पर्याप्त, रचनात्मक और सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित करती हो।

142. सरकार तथा विभागाध्यक्ष को प्रमुख अनियमितताओं की सूचना और उनकी रिपोर्टों का भेजा जाना

- (1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), लेखापरीक्षा में पायी गई प्रमुख अनियमितता के प्रत्येक दृष्टांत की सूचना दृष्टांत के लेखापरीक्षा के ध्यान में आने के समय से यथा संभव शीघ्रता से विभागाध्यक्ष को उसकी प्रति सहित संबंधित विभाग के सचिव को एक विशेष प्रबन्धन पत्र के माध्यम से देगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ऐसे सभी दृष्टांत निर्धारित ढंग से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी सूचित करेंगे।
- (2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रमुख अनियमितता की सूचना पर, सरकार प्रथमतः तथ्यों की जांच करेगी और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को उसकी सूचना की प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर तथ्यों की पुष्टि अथवा उनसे इन्कार करते हुए एक प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजेगी
- (3) जहां प्रारम्भिक रिपोर्ट में सरकार द्वारा प्रमुख अनियमितता के तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है, वहां सरकार प्रारम्भिक रिपोर्ट के दो महीने के अन्दर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को फिर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई उपचारी कार्रवाई तथा उस चूक के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई को भी दर्शाया जाएगा।
- (4) सरकार को प्रमुख अनियमितताओं की रिपोर्टिंग को समर्थित साक्ष्य के संदर्भ में समुचित जांच और जहां तक सम्भव हो लेखापरीक्षणीय सत्त्व के मत पर विचार करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरीके से केवल प्रमुख अनियमितताएं ही सूचित की जाएं।

143. लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई प्रणालीगत चूकों अथवा उच्च जोखिमों पर अनुवर्ती कार्रवाई

जहाँ लेखापरीक्षा प्रणालीगत चूकों अथवा उच्च जोखिमों का उल्लेख करती है, वहाँ विभाग ऐसी चूकों का पता लगाने के लिए और पता लगाये गये ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

144. विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना

विभाग, एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छ: महीने के अन्दर लेखापरीक्षा को भेजेगा जिसमें उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक संसद अथवा विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल स्वीकृत पैराग्राफों के संबंध में वसूलियों सहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के ब्यौरे शामिल होंगे।

145. लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना और उनका गठन

(1) सरकार बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा उनके अनुपालन और निपटान सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना कर सकती है। इस तरह स्थापित प्रत्येक समिति में प्रशासनिक विभाग और लेखापरीक्षा में से एक-एक प्रतिनिधि तथा लेखापरीक्षणीय सत्त्व के विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त वित्त विभाग से एक नामिती होगा। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के संगठनों के मामले में, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लिए मंत्रालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से राज्य स्तरीय लेखापरीक्षा समिति नामित कर सकता है।

146. लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में वार्षिक सार्वजनिक विवरण

प्रत्येक विभाग का प्रमुख प्रत्येक वर्ष की पहली तिमाही में नियमित रूप से अद्यतित विभाग/मंत्रालय की वेबसाईट पर निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएगा

(क) पिछले वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदनों) में शामिल किए गए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/ पैराग्राफों की संख्या तथा सार;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सूचित की गई प्रमुख अनियमितताओं की संख्या तथा सार;

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई;

(घ) पिछले वर्ष के दौरान जारी (देखें विनियम 136) की गई ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ निरीक्षण रिपोर्टो में शामिल की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों आदि की संख्या तथा पर्याप्त धन मूल्य वाली और गंभीर आंतरिक नियंत्रण चूकों वाली अभ्युक्तियों का सार।

147. विधान मण्डल के पटल पर रखने के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजना

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, सरकार के सचिव, वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग, जैसा मामला हो, को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजेंगे जो आगे की कार्रवाई और संसद या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक को प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को भेजी जाएगी जो उसे ससंद अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल में प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे।

(2) साथ ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक हस्ताक्षरित प्रति भारत के राष्ट्रपति के सचिव या राज्य या विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को यह सूचित करते हुए भेजी जाएंगी कि आवश्यक प्रतियां वित्त मंत्रालय/विभाग को भेज दी गई हैं।

148. प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार के सचिव को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संसद या विधान मण्डल, जैसा भी मामला हो, में प्रतिवेदन के प्रस्तुत हो जाने के बाद सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजेंगे।

149. लोक लेखा समिति या लोक उपक्रम समिति को प्रस्तुत करने के लिए की गई कार्रवाई टिप्पणी तैयार करना

संबंधित विभाग की सरकार के सचिव अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पैराग्राफों) पर स्व-व्याख्यात्मक कार्रवाई टिप्पणी (टिप्पणियां) करेगें जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति को प्रस्तुत किए जाने के लिए शामिल किया गया है। प्रत्येक मामले में, स्व-व्याख्यात्मक कार्रवाई टिप्पणी पर सचिव का अनुमोदन होगा और इसमें उल्लेख होगा कि:

(1) क्या ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को लिखित उत्तर भेजा गया था और यदि नहीं तो ऐसा न किए जाने के कारण;

(2) क्या लेखापरीक्षा पैराग्राफ में बताए गए तथ्य तथा आंकड़ें स्वीकार्य हैं और यदि नहीं तो जब ड्राफ्ट पैराग्राफ सचिव द्वारा प्राप्त किया गया था, तब इसे न बताए जाने के कारण;

(3) परिस्थितियां जिनमें हानि, विफलता, निष्फल व्यय आदि, जैसा कि लेखापरीक्षा पैराग्राफ में बताया गया, किस कारण से हुए (क) आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सहित वर्तमान प्रणाली में कमी, (ख) प्रणालियों तथा क्रियाविधियों का अनुपालन करने में विफलता या (ग) पर्यवेक्षण स्तरों के व्यक्तियों सहित व्यक्तियों की विफलता;

(4) हानि, विफलता, निष्फल व्यय आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए की गई कार्रवाई और सम्भावित समय सीमा जिसके अन्दर ऐसी कार्रवाई पूर्ण होने की आशा है;

(5) लेखापरीक्षा पैराग्राफ में यथा उल्लिखित सरकार को प्राप्य किसी राशि की वसूली की वर्तमान स्थिति;

(6) लेखापरीक्षा पैराग्राफ में दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई;

(7) ऐसे अन्य समान मामलों की समीक्षा के परिणाम और की गई कार्रवाई;

(8) प्रणालियों को कारगर बनाने और प्रणाली की कमियों, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए तथा भविष्य में ऐसे मामलों के घटित होने से बचने के लिए की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित उपचारी कार्रवाई; तथा

(9) ऐसी अन्य सूचना जो लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित की गई हो।

150. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लोक लेखा समिति अथवा लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों और उत्तरों की संवीक्षा

संघ, राज्यों तथा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों में जहां विधायी समितियां अथवा सरकार यह चाहती है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई, टिप्पणियों और उत्तरों की संवीक्षा करे, वहां निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगीः

(1) सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव, उचित रूप से संदर्भित तथा संयोजित सुसंगत फाइलों तथा दस्तावेजों, जिन पर स्वतः स्पष्ट टिप्पणी तैयार की गई है, के साथ ड्राफ्ट स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणी की दो प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को संवीक्षा के लिए भेजेंगे। ऐसा ऐसी समय अवधि के अन्दर किया जायगा, जैसाकि लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय अनुसूची की आवश्यकताओं के सुसंगत पाया जाए।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) यथासम्भव शीघ्र, परन्तु एक माह के बाद नहीं, विधिवत संवीक्षित कर स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणी सचिव को वापस करेंगे। लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षाओं के अध्यधीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की संवीक्षित टिप्पणियों में आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल किए जा सकते हैं।

(3) सचिव संवीक्षित टिप्पणी की प्रतियों की अपेक्षित संख्या, जैसा लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति के सचिवालय को भेजेंगे और वित्त मंत्रालय अथवा वित्त विभाग, जैसा भी मामला हो तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रत्येक को एक-एक प्रति भी अग्रेषित करेंगे।

(4) लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर सचिव ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रपत्र में जिसे लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति निर्धारित करे, समिति को प्रस्तुतीकरण के लिए की गई कार्रवाई टिप्पणी के रूप में सरकार की प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए कार्रवाई आरम्भ करेंगे।

(5) लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया उचित रूप से संदर्भित तथा संयोजित सुसंगत फाइलों तथा दस्तावेजों के साथ संबंधित समिति को प्रस्तुत करने से पूर्व संवीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेजी जाएगी। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की संवीक्षा टिप्पणियां, लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति को भेजे जाने वाले प्रत्युत्तर में विधिवत प्रदर्शित की जाएंगी।

151. समय से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों तथा क्रियाविधियों हेतु सरकार का कर्तव्य

सभी स्तरों पर अन्य बातों के साथ-साथ भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्टतया परिभाषित करते हुए ऐसी पर्याप्त तथा विश्वसनीय प्रणालियों तथा क्रियाविधियों की स्थापना तथा प्रवर्तित करना सरकार का कर्तव्य होगा जो यह सुनिश्चित करती हैं कि (i) ड्राफ्ट पैराग्राफों के उत्तर (ii) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल मामलों पर स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणियां, और (iii) लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रत्येक मामले में निर्धारित समय सीमा के अन्दर उचित अधिकारियों को भेजे जाते हैं।

152. सरकार को विलम्ब के मामले में सूचित करना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संघ सरकार के मामले में सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय को तथा राज्य सरकार के मामले में मुख्य सचिव को और विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के मामले में प्रशासक को विलम्ब के मामले में सूचित करेंगे। विलम्ब के मामलों पर भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उचित रूप से टिप्पणियाँ की जा सकती हैं।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा साक्ष्य

153. लेखापरीक्षा साक्ष्य का अर्थ और लेखापरीक्षणीय सत्त्व के साथ उस की भागीदारी

लेखापरीक्षा साक्ष्य लेखापरीक्षा परिणामों तथा निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए विश्वास किए गए आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों को इंगित करता है। लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा द्वारा ऐसी सूचना जो ये समीक्षा करने में सहायता करे कि क्या विषय वस्तु लागू मानदंडों का अनुपालन करती है, को लेखापरीक्षा साक्ष्य माना जाता है। लेखापरीक्षा परिणामों को सूचित करते समय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, प्रतिवेदनों के अन्दर लेखापरीक्षा परिणामों तथा निष्कर्षों के समर्थन में ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य शामिल कर सकते हैं जो आवश्यक समझे जाए। कामकाजी पेपर के रूप में रखे गए और अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शामिल न किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों को, लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर, लेखापरीक्षणीय सत्त्व के साथ साझा किया जा सकता है।

154. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन के लिए अपेक्षित साक्ष्य प्राप्त किया जाना

लेखापरीक्षा अपने मत अथवा निष्कर्षों के समर्थन के लिए सक्षम तथा विश्वसनीय लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करेगा।

155. आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों की आवश्यकता तथा उनपर अभिगम

लेखापरीक्षा जांच तथा साक्ष्य के लिए अपेक्षित आंकड़ों, सूचना तथा दस्तावेजों का प्रारूप, प्रकार और विस्तार लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किए जाएगें। इन विनियमों में यथावर्णित डेटा, सूचना, दस्तावेजों और सूचना प्रणालियों तक अभिगम दिया जाएगा। आंकड़ों, सूचना और दस्तावेजों में वे भी शामिल होंगे जो लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा किसी तीसरे पक्ष से प्राप्त किए गए हैं और अपने कार्यों के निष्पादन में इन पर निर्भर रहा है। यदि ऐसे तीसरे पक्ष का साक्ष्य, जिन पर लेखापरीक्षणीय सत्त्व निर्भर रहा, लेखापरीक्षा में अपर्याप्त पाया जाता है तो महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के पूर्वानुमोदन से लेखापरीक्षणीय सत्त्व से लेखापरीक्षा द्वारा अतिरिक्त सूचना की मांग की जा सकती है। ऐसी मांग की प्राप्ति पर उसे लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा तीसरे पक्ष से प्राप्त किया जाएगा और लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ मामलों में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की स्वीकृति के साथ, तीसरे पक्ष से जानकारी, उदाहरण के लिए बैंक पुष्टि आदि को सीधे लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

156. लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किये जाने वाले साक्ष्य के प्रकार

साक्ष्य कई रूप मे हो सकते हैं, जैसे संव्यवहारों के इलेक्ट्रॉनिक और पेपर रिकॉर्ड, बाहरी लोगों के साथ लिखित और इलेक्ट्रॉनिक सूचना, तस्वीरें, विड़ियो, सर्वेक्षण या अध्ययन के परिणाम, लेखापरीक्षक द्वारा अभ्युक्तियां और लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा मौखिक या लिखित गवाही।

लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षणीय सत्त्व के आन्तरिक स्रोतों के और बाह्य स्रोतों के साक्ष्य पर निर्भर कर सकते हैं।

157. प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण सहित साक्ष्य के लिए पद्धतियाँ तथा तकनीकें

लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों में भौतिक निरीक्षण/संयुक्त भौतिक निरीक्षण, अवलोकन, पूछताछ, पुष्टि, पुनर्गणना, पुनः निष्पादन, विश्लेषणात्मक क्रियाविधि और/या अन्य अनुसंधान तकनीक शामिल हैं। लेखापरीक्षा में अन्य आईटी सहायता प्राप्त डेटा विश्लेषिकी और तकनीकों और अन्य आईटी उपकरण का उपयोग किया जा सकता है जो साक्ष्य के संग्रहण और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो। जैसे भी उचित हो, लेखापरीक्षा रिमोट सेंसिंग, भोगौलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) हवाई सर्वेक्षण और अन्य प्रौद्योगिकी समर्थित तकनीक का भी उपयोग कर सकती है।

158. साक्ष्य बनने वाले डेटा, सूचना तथा दस्तावेजों का सत्यापन

जहाँ लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षा की जाए वहाँ लेखपरीक्षणीय सत्त्व साक्ष्य बनने वाले डेटा, सूचना तथा दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।

159. लेखापरीक्षा के अनुरोध पर भौतिक सत्यापन आयोजित करना

जहाँ आवश्यक हो, वहां लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षणीय सत्त्व से अपेक्षा की जा सकती है कि लेखापरीक्षा अधिकारी की उपस्थिति में भण्डार/मालसूची/स्टॉक, परिसम्पत्तियों, चालू पूंजीगत कार्यों सहित पूंजीगत कार्यों, किसी रूप में सेवाओं और डिलीवरेबल्स का भौतिक सत्यापन किया जाए। ऐसा कोई भी अनुरोध महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के अनुमोदन से ही किया जाएगा।

अध्याय 14

सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्त

160. लेखाओं के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ

संघ तथा राज्य सरकारों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 150 तथा अधिनियम की धाराओं 10 से 12 तथा 23 में निर्दिष्ट किये गये हैं।

161. लेखाओं के संबंध में संविधान के प्रावधान

(1) संविधान के अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत संघ तथा राज्यों और अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अन्तर्गत निहित किए जाए।

(2) संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के अनुसार, संघ तथा राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर विहित करें। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' एक व्यापक अर्थ रखता है ताकि इसमें न केवल वृहत प्रारूप, जिसमें लेखे रखे जाने हैं, का निर्धारण हो बल्कि उचित शीर्ष, जिनके अन्तर्गत संव्यवहार वर्गीकृत किए जाने हैं, के चयन करने का आधार भी शामिल हो।

162. लेखाओं के संबंध में अधिनियम के प्रावधान

(1) अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी होगा तथा राजकोष, कार्यालयों या विभागों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों को भेजे गए प्रारम्भिक और सहायक लेखाओं से संघ और प्रत्येक राज्य तथा विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के लेखाओं का संकलन करने और उनके संबंधित लेखे रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। संघ राज्य क्षेत्रों सहित संघ के मामले में राष्ट्रपति तथा राज्य के मामले में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से राज्यपाल, नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद आदेश द्वारा संघ राज्य क्षेत्र सहित संघ के या राज्य के या संघ राज्य क्षेत्र सहित संघ अथवा राज्य की किसी विशेष सेवा या विभाग के लेखाओं के संकलन अथवा रखने के उत्तरदायित्व से उन्हें मुक्त कर सकते हैं।

(2) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उन लेखाओं, जहाँ कहीं उत्तरदायित्व उनके पास है, को राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक जहाँ वह उन लेखाओं के संकलन या रखने के लिए जिम्मेदार हैं और जहाँ तक ऐसा करने के लिए वह समर्थ हैं, संघ सरकार या राज्य सरकार या विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, को समय-समय पर अपेक्षित सूचना देंगे या सहायता प्रदान करेंगे।

(4) अधिनियम की धारा 23 सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्राधिकृत करती है।

163. सरकारी लेखे रखने के सामान्य सिद्धान्त

(1) अधिनियम की धारा 23 के प्रयोजन हेतु, सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 सरकारी लेखे के सामान्य सिद्धान्तों के रूप में मानी जाएगी।

(2) सभी सरकारी विभागों से सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धान्तों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा के दौरान यह जांच करना लेखापरीक्षक का कर्तव्य है कि क्या इन सिद्धान्तों का सभी सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

164. लेखाओं का प्रारूप

(1) राजकोष तथा लोक निर्माण मण्डलों द्वारा लेखाओं के रखरखाव तथा प्रस्तुत करने से संबंधित विस्तृत नियम, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुमोदन से अथवा उनके द्वारा जारी खजानों की लेखाकरण नियमावली तथा लेखा संहिता खण्ड III में सन्निहित हैं। प्रारूप जिसमें डाक विभाग और अन्य तकनीकी विभागों द्वारा आरम्भिक और सहायक लेखे रखे और भेजे जाएंगे, से संबंधित विस्तृत नियम तथा निर्देश संबंधित लेखा नियम पुस्तकों या संबंधित विभाग से संबंधित विभागीय विनियमों में निर्धारित किए गए हैं। (2) सरकारी प्रतिष्ठानों तथा कम्पनियों को छोड़कर स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों से संबंधित लेखाओं का प्रपत्र नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। संघ सरकार के स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों के मामले में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से सरकार द्वारा एक सामान्य प्रपत्र निर्धारित किया गया है। पत्तन न्यासों, जिनके लिए अलग प्रपत्र लागू है, जैसे कुछ प्राधिकरणों को छोड़कर यह सामान्य प्रपत्र सभी स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों पर लागू होता है। राज्यों के स्वायत्त निकायों के लिए राज्य सरकारें भी संघ सरकार के स्वायत्त निकायों पर लागू सामान्य प्रपत्र अपना सकती हैं।

(3) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्रपत्र संघ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अनेक राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया है।

165. सरकार के लेखाकरण मानकों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका

(1) भारत सरकार के समर्थन से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय में सरकारी लेखाकरण मानक परामर्शी बोर्ड की स्थापना की गई है। सरकारी विभागों तथा संगठनों में लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को तैयार एवं प्रस्तावित करने का उत्तरदायित्व बोर्ड को सौंपा गया है।

(2) बोर्ड की अध्यक्षता उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है और सदस्यों के रूप में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, राज्य वित्त सचिव, आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई के लेखाकरण अध्यक्ष होते हैं।

(3) सरकारी लेखाकरण मानक परामर्शी बोर्ड को, रोकड़ लेखाकरण को उपचय लेखाकरण में बदलने के लिए रूपरेखा और खाका तैयार करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

(4) बोर्ड द्वारा प्रस्तावित और सरकार द्वारा अधिसूचित मानक भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्राधिकार के अन्तर्गत आते है।

(5) गसब द्वारा अनुमोदित लेखांकन मानकों की प्रतिक्रिया पूर्ण बोर्ड द्वारा इसकी मंजूरी के तीन महीने के अंदर वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जाएगी।

166. लेखाकरण सूचना की सामयिकता, यथातथ्यता तथा पूर्णता सुनिश्चित करना

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रभावी रूप से लेखाकरण कार्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार को आंतरिक नियंत्रण सहित प्रणालियां स्थापित करने और लागू करने की आवश्यकता है जिससे सभी प्रारम्भिक लेखाकरण इकाईयां लेखा कार्यालय द्वारा निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार आवश्यक सूचना भेज सकें और भेजी गई सूचना यथातथ्य और पूर्ण हो।

(2) विशेष रूप से, लेखांकन सूचना उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणालियों के मामले में, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस तरह की जानकारी की अखंडता, गैर-जवाबदेही और विश्वसनीयता को पर्याप्त और प्रभावी नियंत्रण के माध्यम से बनाए रखा जाए।

(3) अधिनियम की धारा 18(1)(क) को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ और राज्य के लेखाओं के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है, जिसमें कोषागार सहित, आंतरिक नियंत्रण पर आश्वासन प्राप्त करना है। इस तरह के निरीक्षण का उद्देश्य सामान्य वित्तीय नियंत्रण की स्थिति का निर्धारण यह देखने के लिए होगा कि सहायक रिकॉर्ड जिस पर इस तरह के लेखा आधारित हैं को निर्धारित रूपों में ठीक से बनाए रखा जाता है, क्या ये सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं और वित्तीय नियम और आदेशों तथा उनकी तैयारी और रखरखाव का अवलोकन किया जाता हैं।

अध्याय 15

विशेष प्रावधान

167. अन्य अधिकारियों द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अथवा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अधिकार का प्रयोग

इन विनियमों के अधीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) या महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रयुक्त कोई अधिकार उनके किसी वरिष्ठ अधिकारी या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं।

168. अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए विनियम लागू न होना

ये विनियम नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले लेखापरीक्षा या लेखा से संबंधित किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कार्य पर लागू नहीं होंगे।

169. सामान्य या विशेष आदेश तथा मार्गनिर्देश जारी करने की शक्ति

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए कोई सामान्य या विशेष आदेश तथा मार्गनिर्देश जारी कर सकते हैं।

170. विभिन्न आदेशों का अन्तरसंबंध

अपने अधिदेश को पूरा कराने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक विभिन्न प्रकार के आदेश तथा मार्गनिर्देश जारी करते हैं। ये स्थाई आदेशों, मार्गनिर्देशों तथा प्रैक्टिस नोट्स जैसा कि विनियम 2 में परिभाषित है, के रूप में वर्गीकृत हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों का पदानुक्रम विनियम, स्थाई-आदेशों/मार्गनिर्देशों तथा प्रैक्टिस नोट्स के क्रम में होगा। स्थाई आदेश, मार्गनिर्देश तथा प्रेक्टिस नोट्स इन विनियमों के सुसंगत होने आवश्यक हैं।

171. संदेह का निवारण

इन विनियमों में से किसी की व्याख्या के बारे में जहाँ कोई संदेह उत्पन्न होता है वहाँ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

172. आशोधित या शिथिल करने की शक्तियां

इन सम्पूर्ण विनियमों को या उनके कुछ भाग को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के आदेशों के अन्तर्गत आशोधित किया जा सकता है। इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शिथिल भी किया जा सकता है।

173. विद्यमान आदेशों का जारी रहना

भविष्य में स्थायी आदेश, मार्गनिर्देश तथा प्रैक्टिस नोट्स इन विनियमों के अधीन जारी किए जाएंगे और वे इन विनियमों के संगत होंगे। तथापि, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से पहले से जारी स्थायी आदेश, मार्गनिर्देश तथा प्रैक्टिस नोट्स उनके संशोधित, रद्द अथवा आशोधित होने तक इन विनियमों के जारी होने की तारीख से तत्काल पूर्व की स्थिति की तरह ही लागू रहेंगे।

COMPTROLLER AND AUDITOR GENRAL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2020

F. No. 11-PPG/2020.—In exercise of powers conferred by Section 23 of CAG (DPC) Act, 1971, the Comptroller and Auditor General hereby make the following Regulations further to amend the Regulations on Audit and Accounts, 2007, namely:

- 2. Short title and commencement.
 - (1) These Regulations may be called Regulations on Audit and Accounts (Amendments) 2020
 - (2) They shall come into force on the date of issue.

3. The Regulations on Audit and Accounts, 2007 may be substituted by Regulations on Audit and Accounts (Amendments) 2020.

VIDHU SOOD, Principal Director (Professional Practices Group)

[ADVT.-III/4/Exty./199/2020-21]

Note : The Regulation on Audit and Accounts were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III—Section 4 dated 20.11.2007. The Regulations were subsequently amended vide Notification No. Audit (Rules)/15-2009 dated 4th June, 2010 and No. PPG/35-2012 dated 18th April 2013, published In the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4

In pursuance of Section 23 of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, (Act No 56 of 1971), the Comptroller and Auditor General of India hereby makes the following Regulations, namely:-

Chapter 1

Preliminary

1. Short title, application and commencement

(1) These Regulations may be called the 'Regulations on Audit and Accounts (Amendments) 2020'

(2) These Regulations shall apply to the officers and staff of the Indian Audit and Accounts Department and all ministries and departments of the Union Government, State Governments and Union Territory Governments as well as bodies, authorities and enterprises, to which the audit or accounts jurisdictions of the Comptroller and Auditor General of India extend.

(3) These Regulations shall come into force with effect from the date of issue.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires,

(1) Accountant General (Accounts and Entitlements) means the head of the department of an accounts office of the Comptroller and Auditor General of India by whatever designation called;

(2) Accountant General (Audit) means the head of the department of an audit office of the Comptroller and Auditor General of India by whatever designation called;

(3) Accounts Office means an office of the Comptroller and Auditor General of India responsible for compilation of accounts from the initial and subsidiary accounts rendered by the treasuries, offices or departments responsible for keeping of such accounts and for entitlement work in relation to Government employees and other categories of employees;

(4) Accounts Officer means an officer, irrespective of designation, authorised by the Comptroller and Auditor General of India by a general or special order for accounts or entitlement or related work;

(5) Access with its grammatical variations and cognate expressions includes gaining entry into, instructing or communicating with the logical, arithmetical, or memory function resources of a computer, computer system or computer network; and including physical access;

(6)Act means the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Act No. 56 of 1971);

(7) **Any other company** for the purpose of these Regulations means a company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments mentioned in Section 139 of the Companies Act, 2013. Any other company, as appearing in Section 139 of the Companies Act, 2013 has to be read with definition of 'control' in Section 2 (27) of the Companies Act, 2013;

(8) Audit means examination of accounts, transactions, records, data, information and documents, in performance of duties and exercise of powers of the Comptroller and Auditor General as prescribed in the Constitution of India and the Act and includes performance audit or any other type of audit determined by the Comptroller and Auditor General of India. When used as a noun, it refers to Audit Department as a whole or any part thereof as per context;

(9) Audit Board means the Audit Board constituted by the Comptroller and Auditor General of India for performance audits of Central Public Sector Undertakings;

(10) Audit department or Audit institution means the offices of the Indian Audit and Accounts Department under the Comptroller and Auditor General of India responsible for audit under the Constitution of India and the Act;

(11) Audit engagement means individual audit assignments of the nature of either attestation engagements or direct reporting engagements covering financial audits, compliance audits or performance audits, or a combination of these.

(12) Auditable entity means Union or State Government including its offices, authority, body, company, corporation, fund or any other entity subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India; where characterized into Apex Auditable entity, Audit Units and Implementing units,

- (i) **Apex Auditable entity** means, but is not restricted to, the highest authority in the Government in respect of each Government Department or function, under the audit jurisdiction of the Accountant General, for example Ministry or Head of a Department. Such apex entities are distinguished from audit units and implementing units with regard to their responsibilities relating to policy formulation and oversight. In certain cases, however, certain entities (e.g. Boards, Bodies or Authorities, Government companies, corporations etc) where though classified as audit units, may possess the necessary characteristics of an apex auditable entity in respect of a particular function.
- (ii) **Audit Unit** means entities categorized and identified by audit offices as possessing the following attributes-substantial devolution of administrative and financial powers, functional autonomy and operational significance with reference to the objectives of the apex auditable entity;
- (iii) **Implementing Unit** means the last mile service providers, entities, offices and implementation arms of the Government/Apex auditable entity.

(13) Audit mandate means the authority of the Comptroller and Auditor General of India for audit under the Constitution of India and the Act and includes audit entrusted by the Government under the Act;

(14) **Audit observation** means a communication issued by an audit office containing the preliminary results of audit during conduct of audit, including comments on accounts issued as a result of financial or supplementary audit. It shall incorporate reference to criteria, sufficient details of the evidence relied upon in audit, audit conclusions and where applicable, recommendations;

(15) Audit office means an office of the Comptroller and Auditor General of India responsible for audit;

(16) **Audit officer or auditor** means an officer, by whatever designation called, authorised by the Comptroller and Auditor General of India by a general or a special order to conduct audit;

(17) Audit Query means a communication issued during the course of audit for confirmation of facts or inference arrived at by audit or any clarifications required by Audit;

(18) Audit Report of the Comptroller and Auditor General means a report of the Comptroller and Auditor General of India under Article 151 of the Constitution of India or under Section 19A of the Act or under Section 49 of the Union Territories Act, 1963.

(19) Audit Requisition means a communication issued for requesting data, documents and information considered necessary by Audit;

(20) Auditing Standards means the auditing standards issued by the Comptroller and Auditor General of India unless the context otherwise requires;

(21) Audit team leader/supervisory officer means an officer in charge of an audit team deputed for conduct of audit.

(22) **Comptroller and Auditor General or the C&AG** means the Comptroller and Auditor General of India appointed under Article 148 of the Constitution of India;

(23) **Data** means a representation of information, knowledge, facts, concepts or instructions which are being prepared or have been prepared in a formalised manner, and is intended to be processed, is being processed or has been processed in a computer system or computer network, and may be in any form (including computer printouts, magnetic or optical storage media, punched cards, punched tapes) or stored internally in the memory of the computer; for the purposes of these Regulations, data, information and documents will include transactions, records, books, accounts, papers etc to comprehensively address whichever form data, information and documents are maintained by the auditable entity.

(24) **Draft Audit report** means a communication containing the results of audit and would mean a draft compliance audit report or draft performance audit report or a draft audit report conveying the results of financial or supplementary audit or any other audit, as per context;

(25) **Electronic form** with reference to information, means any information generated, sent, received or stored in media, magnetic, optical, computer memory, micro film, computer generated micro fiche or similar device;

(26) **Electronic record** means data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or micro film or computer generated micro fiche;

(27) **Entitlement** for the purpose of these Regulations means functions relating to pay, provident fund or pension and related work which the Comptroller and Auditor General is to perform under Article 149 of the Constitution of India and the Act;

(28) **Government** means the Union Government, the Government of a State and/or Government of the Union Territory as the context may require;

(29) Government company means a Government company as defined under Section 2 (45) of the Companies Act, 2013

(30) **Guidance Notes** are issued to support guidelines to help enhance audit performance, understand a specific subject matter or audit technique or methodology etc. These are generally recommendatory in nature unless specified other-wise.

(31) **Guidelines** are the guidelines issued by the Comptroller and Auditor General for carrying out the mandate. These are generally on professional matters. The guidelines are to be consistent with these Regulations, Standing orders and Auditing Standards, and are to be followed by the audit officers and the accounts officers;

(32) **Information** means any material in any form, including records, transactions, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data or other material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any law for the time being in force;

(33) Inspection report means a report issued by an audit office containing the results of an audit;

(34) **Local fund auditor** means an auditor, by whatever designation called, generally appointed by a State Government for audit of accounts of panchayati raj institutions and/or urban local bodies;

(35) **Major irregularity** means (a) an instance of suspected material fraud or collusion or corruption coming to notice in audit, or (b) an irregularity of serious nature involving public funds, particularly that relating to mismanagement, loss, waste, nugatory expenditure or loss of revenue, serious breakdown/violation of internal controls etc.

(36) **Mandate** of the Comptroller and Auditor General means the authority vested in him in regard to accounts and audit under the Constitution of India and the Act;

(37) **Practice notes** are the detailed instructions on audit or on accounting matters. These need to be consistent with the Regulations, Standing orders, Auditing Standards and Guidelines issued by the Comptroller and Auditor General;

(38) **Record** means (a) any document, manuscript and file; (b) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document; (c) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); and (d) any other material produced by a computer or any other device;

(39) **Separate audit report** means an audit report containing audit observations on the accounts of an authority, body or corporation whether or not required to be laid before the legislature;

(40) **Standing orders** of the Comptroller and Auditor Generalare the orders, including orders on administrative matters, of permanent nature issued in fulfillment of the mandate. These are to be consistent with these Regulations and are to be followed by the accounts officers and the audit officers;

(41) **Statutory auditor** means an auditor or an auditing firm appointed under the Companies Act, 2013 for the audit of accounts of a Government company or any other company;

All other expressions used in these Regulations but not defined herein shall have the meaning respectively assigned to them in the Constitution or in the Act. Definitions of Access, Data, Information, Electronic Records, Records, Electronic form are as per Information Technology Act 2000, Right to Information Act 2005 and Public Records Act 1993.

Chapter 2

Mandate and Scope

3. Mandate of the Comptroller and Auditor General with regard to audit

The mandate of the Comptroller and Auditor General with regard to audit of Union and States, Government companies and corporations, bodies and authorities is derived from the Constitution and the Comptroller and Auditor General's (DPC) Act, 1971.

The Comptroller and Auditor General is the sole authority prescribed in the Constitution entrusted with the responsibility of audit of accounts of the Union and of the States. Under Section 13, (read with Section 17) and Section 16 of the Act, it is the duty of the Comptroller and Auditor General to audit all expenditure, all receipts, and other transactions of the Governments of the Union, of each State and each Union Territory.

Comptroller and Auditor General's mandate, under the Constitution and under Section 14, 15, 19 and 20 of the Act, also covers audit of bodies, authorities, Government companies and corporations.

The Audit Reports of the Comptroller and Auditor General are placed before Parliament or the Legislature of the State or the Union Territory, as the case may be.

4. Broad objectives of audit

The broad objectives of audit are to examine the legality, validity, regularity, propriety, economy, efficiency and effectiveness of financial management and public administration.

5. Types of Audit

In fulfillment of audit mandate, the following are the main types of audit that are conducted by Comptroller and Auditor General to meet the audit objectives:

(1) Financial Audit deals with determining whether an entity's financial statements and information is properly prepared, complete in all respects and is presented with adequate disclosures in accordance with the prescribed financial reporting and regulatory framework; and, is accomplished by obtaining sufficient and appropriate evidence to enable the auditor to express an opinion as to whether the financial statements and information represents a true and fair view of the entity's financial situation and is free from material misstatement due to fraud or error.

(2) Compliance audit is an independent assessment of whether a given subject matter (an activity, financial or non-financial transaction, information in respect of an entity or a group of entities) complies in all material respects with the applicable laws, rules, regulations, established codes etc and the general principles governing sound public financial management and the conduct of public officials.

(3) Performance Audit is an independent, objective and reliable examination of whether Government entities, institutions, operations, programmes, funds, activities (with their inputs, processes, outputs, outcomes and impacts) are operating in accordance with the principles of economy, efficiency and effectiveness and whether there is room for improvement.

(4) Audits which combine either all or some aspects of financial, compliance and performance audits are also conducted.

6. Audit Framework

(1) All audits undertaken by the Comptroller and Auditor General, or on his behalf, shall be as per the Constitution of India and the Act. The conduct of such audits shall be within the framework of these Regulations, Auditing Standards, Standing orders, Audit Quality Management Framework, Code of Ethics, Guidelines, Manuals, Guidance Notes, Practice Notes and other instructions issued by the Comptroller and Auditor General.

(2) Documents listed above will be made available on the Comptroller and Auditor General's website and be regularly updated to give the latest position.

7. Scope and Extent of audit

(1) Section 23 of the Act provides that the scope and extent of audit shall be determined by the Comptroller and Auditor General. Such authority is not limited by any considerations other than ensuring that the objectives of audit are achieved.

(2) The scope of audit will be defined, consistent with the type of audit and the audit objectives, and may include the assessment of internal controls in the auditable entities. Such an assessment may be undertaken either as an integral component of an audit or as a distinct audit assignment.

(3) The Comptroller and Auditor General may, in addition, decide to undertake any other audit of transactions, activity, programme, scheme, organization or entity, both integral and incidental to fulfillment of audit mandate, and to the achievement of the objectives of audit.

(4) The Comptroller and Auditor General may prescribe the extent of audit, which comprises the quantum of audit including the period of coverage, the units of the auditable entity, the extent of sampling, if sampling is resorted to, and the boundaries of audit enquiry.

(5) Under Section 24 of the Act, the Comptroller and Auditor General may, when circumstances so warrant, dispense with any part of detailed audit of any accounts or class of transactions and apply such limited checks in relation to such accounts or transactions as he may determine.

8. Authority of the Comptroller and Auditor General in regard to conduct of audit

The Comptroller and Auditor General has authority, under Section 18 of the Act, to

(1) inspect any office of accounts under the control of the Union or of a State or of a Union Territory having a legislative assembly;

(2) require that any accounts, books, papers and other documents, which deal with or form the basis of or are otherwise relevant to the transactions to which his duties in respect of audit extend, shall be sent to such place as he may appoint for his inspection;

(3) Put such questions or make such observations as he may consider necessary, to the person in charge of the office and to call for such information as he may require for the preparation of any account or report which it is his duty to prepare;

(4) The person in charge of any office or department, the accounts of which have to be inspected and audited by the Comptroller and Auditor General, shall comply with all requests for information, in as complete a form as possible and with all reasonable expedition.

9. Role and powers of the Executive in relation to audit

In keeping with the independence of the Comptroller and Auditor General, enshrined in the Constitution, the Executive does not have powers of direction in relation to Comptroller and Auditor General's audit mandate and its execution.

The Comptroller and Auditor General is not obliged to carry out, modify or refrain from carrying out an audit, suppress or modify audit findings, conclusions and recommendations, in the light of any direction by the executive.

This, however, does not preclude requests to the Comptroller and Auditor General by the executive proposing matters for audit. Decision in this regard shall rest finally with the Comptroller and Auditor General.

10. Participation in Management Committees

Auditors should not ordinarily become members of management committees, the deliberations of which result in executive decisions in matters of establishment, administration, budget allocation, project selection, project execution etc. In case of any exceptions to the above, the approval of Deputy Comptroller and Auditor General, incharge of Personnel, shall be mandatory prior to acceptance of Memberships of any such Committee or participating in its discussions.

If advice is to be given, it should be conveyed as audit advice or recommendation based on available information and acknowledged clearly as such. Such audit advice or recommendation would not take away the right of the auditors to audit and make observations related to the issues on which advice was rendered.

11. Advice by the Comptroller and Auditor General on certain issues

The Comptroller and Auditor General would advise the executive in matters such as accounting standards and policies and the form of accounts/financial statements (especially but not restricted to advice as provided under Article 150 of the Constitution of India).

12. Engagement of external agency or expert

The Comptroller and Auditor General may, where considered relevant and necessary, use the work of internal auditors, other auditors and experts. The Comptroller and Auditor General may also utilize specialised skills from external sources in carrying out an audit or accounts task or learning from best practices. In all such cases experts may be associated to provide knowledge or carry out specific tasks.

(b) However, Audit shall be responsible for the opinions formed, or the conclusions reached, or the recommendations made in its report on the basis of the work of the external agency or expert.

13. Requests for special audit

(1) The Comptroller and Auditor General or any officer so authorised shall give due consideration to a request for special audit of a programme, project or organisation within the audit jurisdiction provided that every such request:

(a) is made with the approval of the Secretary to Government of the concerned department;

(b) shall state the justification and reasons that necessitate a special audit, including the results of any preliminary inquiry, investigation or study that may have already been conducted; and

(c) specify the period to be covered in the special audit.

(2) The decision of the Comptroller and Auditor General or any officer so authorised in regard to the special audit shall be final.

14. Reporting the results of special audit

(1) The Accountant General (Audit) shall report the results of the special audit to the Secretary to Government of the concerned department and in case of a State or a Union Territory with legislative assembly, also report these results to Secretary to Government, Finance Department.

(2) The Comptroller and Auditor General reserves the right to communicate the results of any special audit to the Ministry of Finance, Government of India and to include them in the audit report.

15. General or common Regulations to apply in all cases

General or common Regulations shall apply in all cases subject to specific provisions made in particular chapters in these Regulations.

Chapter 3

Auditing in Information Technology Environment

16. Auditing in an Information Technology (IT) environment

(1) Audits, whether financial, compliance or performance audits, are conducted increasingly in an IT environment today. Governments and other public sector entities have continuously adopted IT, in order to enhance efficiency and effectiveness in their functioning and delivery of various public services. IT has made it possible to capture, store, process, retrieve and deliver information electronically, and the delivery mode of public services is, in many cases, rapidly transitioning from physical to electronic.

(2) Audits in IT environment cover either or both of the following:

- (i) Audit of IT systems or IT Audits
- (ii) Financial, compliance or performance audits (or combined audits) using various IT tools for supporting the achievement of the audit objectives also referred to as "IT assisted audits".

(3) The broad principles of audit and requirement of access to data, information and documents as contained in these Regulations shall apply to auditing in an IT environment.

(4) Where the IT system with or used by the auditable entity is an end-to-end automated solution without significant offline/ manual documentation/ approvals, and controls for ensuring the integrity and non-repudiability of IT data is assessed by Audit to be adequate and effective, a significant proportion of audit may be conducted off-site; except with regard to outputs and outcomes, or as may be determined by Audit to be necessary for certain substantive checks in audit.

17. Audit of IT Systems

(1) Audit of IT systems is the process of deriving assurance on whether the development, implementation and maintenance of IT systems meets organizational goals, safeguards information assets and maintains data integrity. In other words, it is an examination of the implementation of IT systems and IT controls to ensure that the systems meet the organisation's business needs without compromising security, privacy, cost, and other critical business elements. It crucially also determines areas such as whether, and to what extent, the data can be relied upon as a single source of truth, for purposes of audit.

(2) Key aspects of IT systems that are important from an audit perspective include:

(i) IT governance and management, which is the overall framework that guides IT operations in an organization to ensure that it meets the needs of the entity today and that it incorporates plans for future needs and growth.

(ii) Control criteria or attributes applicable to information, namely, effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, non-repudiability, availability, compliance and reliability.

(iii) IT resources or assets, which can be categorized into IT applications, information, infrastructure and people

(iv) Controls, which are the policies, procedures, practices and organisational structures designed to provide reasonable assurance that organisational/ business objectives will be achieved and undesired events will be prevented or detected and corrected. Controls may be either manual or programmed/ automated. Controls can be categorized as general controls, which are controls which relate to the environment within which computer-based application systems are developed, maintained and operated, and application controls, which are specific controls unique to each computerised application.

(v) Information security, which is the protection of information and system resources with regard to confidentiality, integrity, non-repudiability and availability. As the potential, complexity and role of information technologies grow, information security becomes an increasingly important topic of audits of IT systems.

(vi) End-to-end processes for managing IT could be categorized into the domains of planning and organization; acquisition and implementation; delivery and support; and monitoring and evaluation of information systems and services.

(3) Aspects that may be covered as part of the audit scope could illustratively include:

(i) IT governance and management and planning for IT systems;

(ii) Acquisition, development and implementation of an IT system;

(iv) Operations and maintenance (including change management) of an existing IT system;

(v) IT outsourcing (including addressing vendor lock-in and exit management);

(vi) Information security and risk management for IT systems;

(vii) Disaster recovery and business continuity planning for IT systems;

(4) Audit may examine IT systems at various stages of the IT systems lifecycle for various validations, such as planning and feasibility study; requirements specification; procurement and contracting; design and development; testing and implementation; operations & maintenance etc. This may also include audit of an IT system which is under development or implementation.

(5) Substantive testing of controls in an IT system (to derive assurance about their adequacy and effectiveness) may be undertaken using a combination of IT tools for inquiry, extraction and data analysis/ analytics, and detailed scrutiny of supporting documentation and records (electronic and manual).

(6) An auditable entity is required to maintain complete documentation related to all stages (planning, acquisition, design, development and implementation, delivery and support, monitoring and evaluation) of an IT system. It is also required to document all changes made in its IT systems. Their absence in part or full, is to be reported by audit, along with the implications.

(7) The auditable entity is required to ensure that all requirements for the purpose of facilitation of audit are incorporated in the IT system, and audit of IT systems should comment on the absence/shortcomings in this regard, if any.

(8) Audit may, at periodic intervals, call for information from the auditable entity about various IT systems or platforms (including mobile apps etc.) in use or being developed and the auditable entity shall provide the requisite details.

(9) Depending on Audit's risk assessment and prioritization, Audit of IT system(s) would be necessary, when it is a newly implemented system or it has been subject to significant changes since the last audit so as to establish the integrity, non-repudiability and reliability of data.

18. IT assisted audits

(1) IT assisted audits involve the use of various IT tools including, but not limited to, traditional data analysis tools [also referred to as Computer Assisted Audit Techniques (CAATs)] and data analytics/ big data analytics for supporting the achievement of the audit objectives.

(2) Such analysis or analytics is applied on data provided by the auditable entity, which may be available in a variety of structures and formats, as well as external or third party data.

(3) Adequacy and effectiveness of IT and non IT controls for ensuring data integrity and non-repudiability of such data may be duly considered by the audit office, while examining the reliability of such data.

(4) The insights which may be drawn from data analysis/ analytics include, but are not limited to, exceptions, trends, patterns, deviations, inconsistencies, and relationships among data elements identified through analysis, modelling or visualization, can be used while planning, conducting and reporting audits.

(5) Depending on the gaps in automation, the level of offline documentation, and the adequacy and effectiveness of controls, the reliability of findings through data analysis/ analytics may need to be validated through field examination and verification of a sample of cases.

Chapter 4

Right of access to Audit and Responsibilities of the auditable entity

19. Right of access to Audit and Responsibilities of the auditable entity, (including Union and State Government) (Read with Regulation 8)

(1) Audit is conducted with reference to data, information and documents (includes accounts, vouchers, records etc) of the auditable entity. Audit's access includes all data, information and documents, including electronic data and access to information systems of the auditable entity, as may be required and asked for by Audit. Audit's access includes complete and timely access to confidential and sensitive data, information or documents, handling of which will be governed by Regulation 20.

(2) Audit may be conducted with reference to the data, information and documents, (i) as may be available in the audit office and/or in the accounts office, (ii) as may be accessed by or received in the audit office and/or in the accounts office, (iii) in the office of the auditable entity or (iv) at the site where the relevant records or data for audit are available or (v) at such other place as may be decided by Audit.

(3) As given in Regulation 16, audit comprises elements of offsite/remote access/onsite audits combined with visits to auditable entity. In keeping with Comptroller and Auditor General's authority to conduct audit, audit teams shall be, as determined necessary by Audit, deputed to the offices of the auditable entities from time to time. Audit teams are led by a team leader/supervisory officer.

(4) Audit may requisition basic records, data, information and documents, from the auditable entity, as soon as intimation for audit is given, to enable a systematic review and commence the audit assignment remotely by accessing such information ahead of visits to the auditable entity. In case information and data as requested cannot be made available in advance, the officer in charge at the auditable entity shall ensure that the basic records, data, information and documents as required in the requisition sent to him by the Audit, are kept ready before the arrival of the audit team.

Audit may even requisition basic records, data, information and documents for audit planning purposes, as deemed necessary.

(5) Any requisition, whether in advance or during the course of audit shall be made in writing or in recorded meetings and may be addressed to the persons in charge of various functions in the auditable entity or to the officer in charge of the auditable entity. (For the purposes of these Regulations, a communication/request by email shall always constitute a communication request in writing).

(6) It is the statutory obligation, of the officer-in-charge of the auditable entity, as per Section 18 of the Act, to comply with requests by Audit for data, information and documents, whether in advance or during the course of audit, within the specified time. The time within which data, information and documents are to be furnished to Audit, will be mentioned in the requisition. (Reasonable time is determined considering the nature and quantum of the data, information and documents requested by Audit and the urgency of the matter).

(7) The auditable entity will be responsible for ensuring completeness and reliability of data provided to Audit.

(8) The auditable entity shall provide access to its information systems and data as requested by Audit, irrespective of the fact whether the systems are owned, maintained and operated by the auditable entity or by any other agency on behalf of the auditable entity. Such access maybe through interfacing the IT system of the audit office with the audited entity's IT systems or establishing alternative equivalent methods of data access for the audit office.

20. Confidentiality of information and protection of personal identifiable/sensitive information acquired during audit

(1) The documents classified as 'confidential' or 'secret' or 'top secret' shall be made available to Audit and shall be dealt with by Audit in accordance with the standing laws and instructions of the Government for handling and custody of such documents and information.

(2) If certain privileged or confidential information or Personally Identifiable Information (PII) prohibited from general disclosure by law is obtained in course of an audit, Audit should maintain confidentiality of that information and ensure that any audit products do not become a means of compromising such privilege or confidentiality of the information. However, this does not preclude Audit from including the names of departments, organisations, parties concerned in audit reports, as per extant orders of the Comptroller and Auditor General and consistent with applicable laws.

(3) Information about an auditable entity acquired in the course of audit shall not be used for purposes other than the discharge of Comptroller and Auditor General's audit mandate. However, Audit is not precluded from reporting offences against the law to appropriate prosecuting authorities wherever necessary. Instances of fraud or corruption, as noticed during Audit, shall be reported to concerned authorities by Audit, as per instructions issued by the Comptroller and Auditor General.

21. Failure to provide data, information and documents

(1) Cases of failure to provide data, information and documents shall be immediately reported by the audit office to the controlling officer and suitably to the concerned Government/ Ministry, including Secretary of the Department in case of Government of India or Chief Secretary of the State for appropriate action. These authorities shall ensure that requisite access to data, information and documents is provided to Audit within the prescribed time frame and inform the concerned Audit office accordingly.

(2) Cases of failure to provide data, information and documents to audit is a violation of the statutory obligation of the officer-in-charge at the auditable entity. The implications of such a situation would be as follows:

(i) The audit product/report shall report withholding/non-production of data, thus informing Parliament/State Legislature of the lack of transparency in public expenditure/revenue, and Comptroller and Auditor General's inability to assure the Parliament/State Legislature of the correctness, or even appropriateness of the expenditure or revenue related action/decision;

(ii) If data is withheld or not made available in a manner that, in Comptroller and Auditor General's opinion, amounts to audit being thwarted from carrying out its constitutional and statutory obligations, a stand alone or a single paragraph report should be submitted to the Parliament/State Legislature bringing out clearly the facts of the issue and the implications;

(iii) Contingencies as at (ii) above may lead to non-certification or qualification (including disclaimers) as part of Comptroller and Auditor General's audit opinion/conclusions.

Chapter 5

Audit of Expenditure and Receipts

22. Authority of the Comptroller and Auditor General in regard to audit of expenditure and receipts

(1) Section 13 of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit all expenditure from the Consolidated Fund of India and of each State and of each Union Territory having a legislative assembly. Section 13 read with Section 2(e) of the Act also authorises the Comptroller and Auditor General to audit all transactions of the Union and of the States and Union Territories relating to Contingency Funds and Public Accounts.

(2) The basic principles of audit of expenditure incurred from the Consolidated Fund apply mutatis mutandis to transactions relating to the Public Account and Contingency Fund.

(3) Section 16 of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit **all** receipts of the Government of India payable into the Consolidated Fund of India and of each State and of each Union Territory having a legislative assembly, and to satisfy himself that the rules and procedures are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue and are being duly observed.

(4)Audit of receipts and expenditure is comprehensive and is carried out in the nature of financial audit, compliance audits, performance audits and any combinations thereof. Audit checks include whether financial statements/accounts of the Government are in compliance with the prescribed financial accounting framework, applicable laws, rules and regulations and accounting principles, policies and applicable standards including conformity with the form of accounts prescribed by the President on the advice of the Comptroller and Auditor General; Audit also checks for relevant assertions, such as completeness, occurrence, measurement, disclosure, regularity, existence, valuation and ownership.

23. Scope of Audit of Expenditure and Receipts to extend to any Body or Authority, prescribed by or under any law made by Parliament/ Legislature.

(1) In accordance with Section 13 read with Section 16, the expression 'to audit all transactions' so also 'audit of all receipts', payable into Consolidated Fund of India and of the States, takes into account the audit by Comptroller and Auditor General of accounts of the Union and of the State and of any other authority or body, as may be prescribed by or under any law made by the Parliament or State Legislature. Powers of the Comptroller and Auditor General, under Article 149 of the Constitution read with the Act, include but are not restricted only to that body or authority which satisfies the test of Article 12 of the Constitution of India.

(2) The scope outlined in (1) above extends to audit of all transactions which Union and State have entered into which has a nexus with Consolidated Fund, for example when receipts have direct connection with Revenue Sharing.

(3) Audit of receipts under Section 16 of the Act, read with Article 266 of the Constitution of India covers both revenue and capital receipts (including disinvestment receipts, borrowings etc) and within revenue receipts, both tax and non-tax receipts.

(4) Non-tax receipts would include charge payable by entities to the Government for obtaining the right to use natural resources, and for the right to set up and/or operate and maintain public assets and utilities and generate revenues from the same. Such charges could be in the forms such as license fees, usage charges (periodic, upfront or one time), royalty, premium, revenue share, production share, profit share of a combination of these.

(5) To that extent, Comptroller and Auditor General shall have the right of access to the books of accounts of the service providers for the purpose of examining all the receipts to ascertain whether the Government is getting its due share by way of fees or charges due to it legitimately, by way of Revenue Sharing.

('for example the license fee received by the Department of Telecommunications so also the Radio spectrum charges while granting the privilege to deal with the spectrum by the licensees is a "revenue received by the Government" within the meaning of Article 266 i.e. 'a receipt payable into the Consolidated Fund of India' within the meaning of Section 16 of the Act.')

(6) All orders relating to grant of land, assignment of revenue or concession, grant, lease or license of mineral or forest rights or a right of water power, or any easement or privilege in respect of any such concession or which in any way involve relinquishment of revenue shall come within the purview of Audit as they have important financial implications. The audit of such sanctions by the Government shall be conducted from the point of view of both, regularity and propriety.

24. Integrity of data, information and documents forming basis of policy

The scope of audit of receipts and expenditure includes examination of integrity of data, information and documents which form the basis of a policy.

Broad framework of Audit of Expenditure

25. Examination of systems and procedures and certain checks to be applied in audit of expenditure

Audit of expenditure examines and verifies whether adequate, proper and sound systems and procedures are in place and are being complied with, both in letter and spirit, for spending public money. Audit *inter alia* checks the expenditure for:

(1) Appropriation, i.e., the availability of funds in the budget, including supplementary grant(s) and reappropriation; this also includes

(a) Examination of the orders of re-appropriation and surrender for their legality, competence and propriety;

(b) Confirmation that the expenditure is within the scope and intent of the grant and does not attract the limitation of new service or new instrument of service;

(c) The amount of actual expenditure for its legal availability for and application to the service or purpose in accordance with the scope and intent of the grant;

(d) The explanations for the significant variations between the amounts of actual expenditure and the amounts authorised by the legislature, beyond the prescribed limits of such variations, for their veracity.

(e) Compliance with the requirement of the applicable laws, rules, regulations, orders and instructions in actual disbursement;

(f) Evidence by way of vouchers, payees' acknowledgements, etc.;

(g) Record in the books of the spending officer, including cross-verification with the records of the treasury, pay and accounts office, bank, etc.;

(h) Monitoring, control and reporting as prescribed in the Government rules.

The above carries an embedded, but essential, requirement of the examination of expenditure for compliance with the broad and general principles of financial propriety.

(2) In the case of Appropriation Accounts, in addition to the above, Audit verifies whether adequate, proper and sound systems and procedures are in place and are being complied with, both in letter and spirit, for spending public money.

(3) Audit is required to report not only significant cases of irregularity and breach of rules, regulations and orders but also every matter which, in the judgment of the Audit, appears to involve significant unnecessary, excessive, extravagant or wasteful expenditure of public money and resources despite compliance with the rules, regulations and orders or expenditure that has not yielded the intended outputs and/or outcomes.

26. Requirement for sending copies of orders of re-appropriation and surrender of funds

Government departments shall send copies or make available all orders of re-appropriation and surrender of funds to the audit office and the accounts office as soon as these are issued. A consolidated statement of all such orders issued during a financial year shall also be sent to the audit office and the accounts office so as to reach within one month after the close of the financial year. A nil statement shall be sent if no such order was issued.

27. Orders of re-appropriation and surrender of funds to state reasons explicitly

The orders of re-appropriation shall comprehensively and explicitly state the reasons for the transfer of funds between different units of appropriation. The reasons for surrender of funds should also be similarly stated.

28. Reasons for excesses and shortfalls to be furnished

Government departments shall furnish to the audit office and the accounts office, within such time as may be specified, reasons for any excess or shortfall in expenditure beyond the limits prescribed for the purpose under any unit of appropriation vis-à-vis the amount provided for it.

29. Endorsement of copies of rules, regulations and orders by Government Departments

Government departments shall invariably endorse, otherwise send or make available to Audit Office and the Accounts Office, copies of all rules, regulations and general orders regulating the raising of revenues, incurring of expenditure and liabilities and management of assets and liabilities, as soon as these are issued.

30. Reference of revision of rules or codes to Audit and Accounts Offices for scrutiny before issue

Wherever possible, any revision of rules or substantive codes undertaken by the Government departments and having financial, accounting or auditing implications may be referred to the concerned Accountant General (Accounts and Entitlement) or Accountant General (Audit), as the case may be, for scrutiny before issue.

31. Supply of specific documents and information to Audit

Without prejudice to the generality of other provisions in this regard in these Regulations, Government departments and the agency responsible for the compilation of accounts and financial statements shall inter alia supply the following to Audit:

(1) the reasons for any significant variations between the amounts of expenditure and the amounts of receipts of the year of accounts and the corresponding amounts for the preceding year;

(2) the statement of periodic book adjustments together with the copies of the general or special orders authorising such adjustments;

(3) the explanation for differences, if any, in the cash balance as per the books of accounts and the balance as per the books of the Reserve Bank of India;

(4) the explanation for any items that are prima facie unusual including adverse and insufficient balances ;

(5) the reasons for variations, if any, between the closing balances of the preceding year and the opening balances of the year of accounts in respect of heads of accounts that do not close to Government account;

(6) the confirmation of the outstanding amounts of loan and interest on loans;

(7) the details of overdue loans and interest on loans;

(8) the explanation for and analysis of variations, if any, between the amounts as per the detailed accounts kept in the form of ledgers and the corresponding aggregate amounts as per the books of accounts and financial statements;

(9) the statement of outstanding guarantees including the amounts (original amounts as well as the amounts outstanding at the end of the year);

(10) the confirmation of the amounts of guarantees (original amounts as well as the amounts outstanding at the end of the year) from the parties on whose behalf the guarantees were issued;

(11) the details of guarantees invoked during the year;

(12) the amount of guarantee fee received and the amount in arrears;

(13) the details of incomplete works costing more than the limit prescribed by the audit office from time to time; and

(14) year-wise analysis of the amounts outstanding under 'Remittance' and 'Suspense' heads of accounts.

(15) other relevant information as may be called for by the audit office.

Broad framework of Audit of Receipts

32. Audit of receipts includes an examination of the systems, rules and procedures and their efficacy in respect of:

(1) Assessment, collection and allocation of revenue by the tax department

(2) Identification of potential tax assesses, ensuring compliance with laws as well as detection and prevention of tax evasion;

(3) Pursuit of claims with due diligence and that these are not abandoned or reduced except with adequate justification and proper authority;

(4) Prompt investigation of losses of revenue through fraud, default or mistake including, if required, through the review of other similar cases;

(5) Exercise of discretionary powers in an appropriate manner including levy of penalties and initiation of prosecution;

(6) Appropriate action to safeguard the interests of the Government on the orders passed by departmental appellate authorities;

(7) Any scheme as may be introduced by the Government from time to time;

(8) Any measures introduced to strengthen or improve revenue administration;

(9) Amounts that may have fallen into arrears, maintenance of records of arrears and action taken for the recovery of the amounts in arrears;

(10) Other ancillary and non-assessment functions including expenditure incurred by the departments;

(11) Achievement of targets, accounting and reporting of receipts and their cross verification and reconciliation with the accounts records;

(12). Amounts of refunds, rebates, drawbacks, remissions and abatements to see that these are correctly assessed and accounted for; and

(13) Use of information driven approach for improving tax compliance and effective utilisation of information in tax administration.

(14) The grievance redressal machinery/ mechanism in place within the department for resolution of taxpayer grievances and complaints.

(15) Requisite checks on assessment, realization, collection, recovery etc in respect of non-tax revenue.

(16) Any other matter, as may be determined by the Comptroller and Auditor General.

Access to IT systems and specific documents and records in relation to audit of expenditure and receipts

33. Access to specific documents, records and IT systems related to budgeting, accounting, procurement and financial management

(1) Auditable entity shall provide complete access to all IT systems or platforms used for budgeting, accounting, procurement, and other aspects of financial management for complete access to financial transactions of the Government, including, but not limited to, all sanction orders, re-appropriations, surrenders, book adjustments, receipts, transfers, bills, vouchers, sub-vouchers, grants, grants-in-aid, contracts, vendor payments, beneficiary payments etc. Complete traceability of each transaction upto the ultimate spending unit or ultimate recipient, as available in the IT system/s, shall be made available to Audit, as required.

(2) Copies of all orders sanctioning expenditure issued by Government departments shall be endorsed or otherwise sent or made available to the audit office as soon as these are issued, including copies of all sanctions of advance from the Contingency Fund as well as resumption of the advance to the Contingency Fund as soon as these are issued. The orders shall cite reference to the authority by way of rules, regulations, etc. in terms of which the expenditure is sanctioned.

(3) Where sanctions are issued through an IT system, concerned Department, Ministry or auditable entity, shall provide complete and timely access to the sanctions module in the IT system, to Audit.

(4) Quarterly statements (including nil statements) of all contracts entered into in the preceding quarter need to be sent or made available to Audit by the auditable entity within the first fortnight of the next quarter.

34. Access to specific documents, records and IT systems related to aspects of revenue administration

(1) Audit shall have access to comprehensive, consolidated, granular and other related information, whether in manual, computerized or in any other form, in respect of revenue administration, viz, assessment, collection, allocation, registration, refunds and management thereof, as may be necessary. The department concerned shall comply with requests for information with all reasonable expedition.

(2) Audit shall also have access to individual assessment files/e-assessment records as may be necessary subject to provisions of applicable laws and rules. The department concerned shall provide access to the assessment records/ e-assessment records; and also any computerised systems including the databases maintained by it in hard copy or/and electronic form

3. As regards third party records and additional information thereon, relevant provisions in Chapter 4 and 13 will be applicable.

35. Authority of the Comptroller and Auditor General for audit of stores and stock

(1) Section 17 read with Section 2(e) of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit and report on the accounts of the stores and the stock kept in any office or department of the Union or of a State or of a Union Territory having a Legislative assembly.

(2) Audit of stores and stock encompasses audit of procurement, inventory management, material management etc.

36. Audit of stores and stock

Audit of stores and stock involves verifying that adequate and sound systems and procedures are in place and complied with for:

(1) establishment of the need for procurement of stores;

(2) proper assessment of requirement of stores, including, where applicable, determination of reserve stock limits;

(3) authorisation of procurement of stores;

(4) procurement of stores in a cost-effective manner in accordance with the prescribed systems and procedures;

(5) receipt, inspection, custody, issue and accounting of stores including appropriate segregation of duties of personnel and reconciliation of store accounts with books of accounts;

(6) verification of physical balances at prescribed intervals, and reconciliation and resolution of discrepancies between physical balances and balances as per the records without delay; and

(7) identification of obsolete and surplus stores, their disposal by way of sale and/or transfer to other units, divisions, etc. and accounting of corresponding receipts, or write off after proper investigation.

37. Right of Audit to investigate stores balances

Audit may carry out physical inspection of stores and investigate store balances as part of checks performed in audit and report discrepancies.

38. Authority of the Comptroller and Auditor General in regard to audit of other assets and liabilities

(1) Section 13 read with Section 2(e) of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit trading, manufacturing and profit and loss accounts and balance sheets and other subsidiary accounts kept in any department of the Union or of a State or of a Union Territory having a legislative assembly and to report on accounts so audited by him.

(2) Accordingly, besides store and stock, audit by the Comptroller and Auditor General shall extend to all other assets and liabilities of the Union and of States and of Union Territories having a legislative assembly including ongoing and completed works, investments, loans and advances, deposits, cash balances, internal and external borrowings, guarantees given by the Governments, reserves and sinking funds.

39. Broad principles of audit to apply

Broad principles of audit shall apply to audit of assets and liabilities.

40. Audit to be governed by orders of the Comptroller and Auditor General

Audit of assets and liabilities shall further be governed by any general or special orders issued by the Comptroller and Auditor General.

41. Audit of grants-in-aid and loans

Audit of grants-in-aid and loans is primarily an extension of audit of expenditure and the broad principles of audit of expenditure shall apply. Additionally, it examines whether the amount of Government assistance is utilised for the intended purpose.

42. Verifications to be done during audit of grants-in-aid and loans

Audit of Government assistance in form of grants-in-aid or loans shall be conducted to verify whether systems and procedures are in place and are being complied with for:

(1) clear enunciation of purpose for the sanction of the Government assistance;

(2) proper and transparent identification and selection of persons, bodies and authorities for Government assistance with reference to their antecedents, absorptive capacity, financial position, systems and management practices;

(3) determination of amount of assistance and its timely release;

(4) proper accounting of assistance by the grantee or the loanee, including maintenance of accounts in such form as may be prescribed

(5) ensuring the fulfillment of conditions of Government assistance

(6) monitoring and ensuring the economical, efficient and effective end use of assistance including achieving the objectives of assistance

(7) refund to the Government of any unutilized source; and

(8) in the case of loans, their repayment as prescribed and recovery of interest including penal interest according to applicable conditions.

Chapter 6

Broad Framework for Financial, Compliance and Performance Audit

43. Broad framework of financial audit of Government

(1) The Comptroller and Auditor General examines and certifies the Finance Accounts and the Appropriation Accounts of the Union and of each State and the Union Territory having a legislative assembly, irrespective of the agency that is responsible for their compilation.

(2) The Finance Accounts of the Government show the receipts and disbursements of the Government for the financial year, together with the financial results disclosed by the revenue and capital accounts, the accounts relating to public debt and assets and other liabilities as prescribed.

(3) The Appropriation Accounts of the Government show the expenditure of the Government compared with the amounts authorised by the legislature with explanations for significant variations between the two byway of saving or excess beyond the prescribed limits of such variations.

(4) Financial audit is carried out as per Auditing Standards, manuals, guidelines and other relevant orders issued by the Comptroller and Auditor General.

(also refer Chapter 5 of these Regulations which covers some checks performed as part of financial audit of Government)

44. Broad framework of Compliance Audit

(1) Compliance audit is carried out in accordance with the Auditing Standards, Compliance auditing guidelines and other relevant orders issued by the Comptroller and Auditor General.

(2) Compliance auditing is concerned with

(a) regularity (adherence to formal criteria such as provisions of the Constitution of India, relevant laws, rules, regulations, orders, instructions and agreements etc)

(b) propriety (observance of the general principles, governing sound financial management and the conduct of public officials).

(3) Compliance audit also involves examination of the rules, regulations, orders, transactions and instructions themselves for their legality, adequacy, transparency, propriety and prudence and effectiveness that is whether these are:

(a) intra vires the provisions of the Constitution of India and the laws (legality);

(b) sufficiently comprehensive and ensure effective control over Government receipts, expenditure, assets and liabilities with sufficient safeguards against loss due to waste, misuse, mismanagement, errors, frauds and other irregularities (adequacy);

(c) consistent, clear and free from ambiguity and promote observance of probity in decision making (transparency);

- (d) judicious and wise (propriety and prudence); and
- (e) implemented in a manner that meets the intended objective

(4) When compliance auditing is part of a performance audit, compliance is seen as one of the aspects of economy, efficiency and effectiveness. Noncompliance may be the cause of, an explanation for, or a consequence of the state of the activities that are the subject matter of the performance audit.

45. Broad framework of Performance Audit

(1) Performance audit is carried out in accordance with the Auditing Standards, Performance auditing guidelines and other relevant orders issued by the Comptroller and Auditor General.

(2) Performance audit assesses:

(a) Economy – The principle of economy means minimising the costs of resources. The resources used should be available in due time, in and of appropriate quantity and quality and at the best price.

(b) Efficiency – The principle of efficiency means getting the most from the available resources. It is concerned with the relationship between resources employed and outputs delivered in terms of quantity, quality and timing.

(c) Effectiveness – The principle of effectiveness concerns meeting the objectives set and achieving the intended results, especially in terms of outputs and outcomes. For example, expenditure on health schemes/ programmes such as NHM should lead to the intended outputs of having hospitals/ CHC etc, having the desired number of hospital beds etc; it should also have the outcomes as intended and/or stated such as delivery of effective health schemes.

(3) Performance Audit, therefore, is concerned with the audit of economy, efficiency and effectiveness in receipt and application of public funds. Comptroller and Auditor General's function to carry out examinations into the efficiency and effectiveness with which the Government uses it resources is inbuilt in the Comptroller and Auditor General's DPC Act.

(4) In keeping with Regulation 5(3), Performance Audit focuses on inputs, processes, including planning and preparedness, (for example disaster preparedness etc), outputs, outcomes (for example learning outcomes in school education) and results. The analyses in Performance Audit is distinct from, and goes beyond, compliance issues, and seeks to provide new information, analysis or insights on the actual benefit of the activity undertaken by the entity. Where appropriate, the impact of the regulatory, institutional or operational framework on the performance of the audited entity or subject matter of Performance Audit should also be taken into account as part of Performance Audit.

46. Responsibility for development of measurable objectives, performance indicators, and systems of measurement

The responsibility for the development of measurable objectives and performance indicators as also the systems of measurement rests with the Government departments or Heads of entities. They are also required to define intermediate and final outputs and outcomes in measurable and monitorable terms, standardise the unit cost of delivery and benchmark quality of outputs and outcomes.

47. Review of the measurable objectives and performance indicators in Audit

In reviewing performance against the outputs and outcomes, Audit may critically review the measurable objectives and performance indicators for their reasonableness and soundness. Audit may also set criteria for reviewing programme performance based on best practices.

48. Interaction with auditable entity during performance audit

Performance audit envisages a high degree of interaction with the auditable entities, right from the selection of subject(s) for review to all subsequent stages like definition of audit objectives and criteria, preparation of detailed audit programme, development of audit findings, formulation of recommendations and other related matters. Government departments shall ensure adequate and timely response to Audit at all stages.

49. Holding of Entry Conference

Before commencing detailed work of performance audit, the Accountant General (Audit) shall hold an entry conference with the Secretary to Government of the concerned department. The discussions at the entry conference shall inter alia include the scope and coverage of audit, audit objectives and criteria, proposed techniques of evidence collection, overall timeframe and tentative time schedule. The Accountant General (Audit) shall give full consideration to any suggestion that may be made by the Secretary to Government of the concerned department. A written record of the proceedings of the entry conference shall be kept on record.

In case theentry conference cannot be held, the fact shall be recorded in the Audit Report.

50. Nomination of an officer for coordination and cooperation with Audit

The Secretary to Government of the concerned Ministry/Department shall nominate a sufficiently senior officer of the department who shall be responsible for coordinating with the concerned officers and the field offices of the department and ensuring their cooperation with Audit.

51. Holding of Exit Conference

(1) After completion of a performance audit, an exit conference shall be held between the Accountant General (Audit) and the Secretary to Government of the concerned Department. A written record of the proceedings of the exit conference shall be kept on record. The Accountant General (Audit) shall give full consideration to the observations and comments of the Secretary while finalising the draft performance audit report for inclusion in the audit report of the Comptroller and Auditor General.

(2) The minutes of exit conference should be recorded and endorsed to the entity with a request to acknowledge the minutes within stipulated period, after which the minutes may be treated as confirmed.

(3) In case the exit conference cannot be held, this fact shall be recorded in the audit report.

52. Furnishing of reply by department and processing of material for audit report

The Secretary to Government of the concerned Ministry/Department shall furnish reply to the draft performance audit report within the specified time and the Accountant General (Audit) shall take into account such reply before finalising the material for audit report of the Comptroller and Auditor General.

Chapter 7

Audit of Government Companies

53. Mandate of the Comptroller and Auditor General in regard to the audit of Government companies

As per section 19 of the Act, the duties and powers of the Comptroller and Auditor General in relation to the audit of accounts of Government companies shall be performed and exercised by him in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013.

54. Application of prescribed accounting standards

The Accounting Standards (AS)/Indian Accounting Standards (Ind AS), auditing standards, guidance notes etc. issued by the Central Government/Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) should be kept in view while carrying out the audit of Government companies or any other company. The statutory auditor shall comply with all the regulatory and statutory requirements while reporting audit results.

55. Intimation of formation and closure of a Government company or any other company by the Government

The administrative ministry/department concerned shall intimate the Comptroller and Auditor General in writing about the formation of a new Government company or any other company and forward a copy of its certificate of incorporation within one month of its incorporation. The administrative ministry/department concerned shall also intimate to the Comptroller and Auditor General if a Government company or any other company ceases to be so, within one month of such an occurrence. The administrative ministry/department shall also intimate to the Comptroller and Auditor General about a company becoming a Government company any other company within one month of such an occurrence.

56. Intimation by Government company or any other company of its formation

A Government company or any other company shall also intimate to the Comptroller and Auditor General about its formation along with the shareholding pattern, details of the management and a copy of the memorandum of association and articles of association within one month of its incorporation. Similarly, in the case of an existing company, the intimation about becoming a Government company or any other company under the Companies Act, 2013 and other details and documents shall be sent by the company within one month of such an occurrence.

57. Appointment of statutory auditor

As per Section 139 (5) and 139 (7) of the Companies Act, 2013 the Statutory Auditors of a Government company or any other company, is to be appointed by the Comptroller and Auditor General.

The Comptroller and Auditor General shall appoint the statutory auditor for a financial year through a process of selection as may be prescribed and thereafter, subject to the following Regulations; re-appoint him on year to year basis unless special circumstances warrant appointment for a longer period. The total period of appointment including the initial appointment should not ordinarily exceed four financial years. The appointment shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time and available on Comptroller and Auditor General's website.

58. Termination of appointment before expiry of normal tenure

The General Clauses Act, 1897 provides that the authority having power to make the appointment shall also have power to suspend or dismiss any person appointed. Accordingly, where the statutory auditor is appointed by the Comptroller and Auditor General under Section 139 (5) and 139 (7) of the Companies Act, 2013 or any other Act, the power to remove such auditor, after due administrative process, would also

be with the Comptroller and Auditor General. Thus, the Comptroller and Auditor General may terminate the appointment of a statutory auditor before the expiry of the normal tenure of appointment for reasonable and sufficient grounds after following the due administrative process, including giving an opportunity to the statutory auditor to make representation against the premature termination of appointment.

59. Debar from further appointment in case of serious irregularities

In case serious irregularities are noticed in the discharge of professional duties by the statutory auditor, the Comptroller and Auditor General may, if considered necessary, on the recommendation of a committee appointed by him and after giving due opportunity to the statutory auditor to represent, debar him from further appointment as auditor of a Government company or any other company as covered in Section 139 (5) and 139 (7) of the Companies Act, 2013 for such period as may be considered fit. Comptroller and Auditor General may also, if deemed fit, refer the case, to the ICAI for taking further disciplinary action against the statutory auditor.

60. Responsibility with reference to annual accounts

While the statutory auditor is responsible for forming an expressing an opinion on the annual accounts of the Government Company or any other company, the responsibility for their proper preparation is that of the management of the company. The audit if the annual accounts does not relieve the management of its responsibilities relating to the maintenance of adequate accounting records, internal controls and safeguarding the assets of the company.

61. Role of the Comptroller and Auditor General with regard to audit by statutory auditor

The Comptroller and Auditor General is authorised to direct the manner in which the statutory auditor shall audit the accounts of Government company or any other company and to give to such auditor directions. The statutory auditor shall submit a copy of his report to the Comptroller and Auditor General and which shall, among other things, include the directions, if any, issued by the Comptroller and Auditor General, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the company. The Comptroller and Auditor General shall within sixty days from the date of receipt of the above audit report have a right to:

(1) conduct a supplementary audit of the financial statement of the company; and

(2) comment upon or supplement such audit report.

62. Documentation by statutory auditor

The statutory auditor shall document, in the form of working papers, matters which are important in providing evidence that the audit has been carried out in accordance with the accounting, auditing and assurance standards prescribed by the Central Government/ICAI and the directions of the Comptroller and Auditor General.

63. Preparation of audit report by the statutory auditor

On completion of audit, the statutory auditor shall prepare his audit report under the Companies Act, 2013 and submit a copy to the Accountant General (Audit).

64. Communication of matters of Governance to Audit

The statutory auditor, at the time of submission of his report under the Companies Act, 2013, shall also forward to the Accountant General (Audit) a copy of any communication containing matters of governance issued by him to the management of the company in compliance with the relevant accounting, auditing and assurance standards prescribed by Central Government/ICAI.

65. Responsibilities of Statutory auditor vis-à-vis Accountant General (Audit)

The statutory auditor shall also:

(1) make himself available for discussions with the office of the Comptroller and Auditor General and the Accountant General (Audit) as and when required;

(2) furnish reply to the provisional comments of the Accountant General (Audit) within three days of issue and, if required, attend the meeting called by the Accountant General (Audit) with the management of the company to discuss the provisional comments;

(3) attend the meetings of the audit committee, if formed, held in pursuance of the Companies Act, 2013;

(4) retain the record of work done by him in the form of working papers with sufficient details so as to support his observations and conclusions for a period of five years unless required for a longer period;

(5) make portions of or extracts from his working papers available to the Accountant General (Audit) in cases where it is considered necessary by Audit to verify the authenticity and correctness of the conclusions drawn in his audit report; and

(6) submit to the Comptroller and Auditor General through the Accountant General (Audit), a report under the Companies Act, 2013in compliance with the directions issued to him.

66. Duly adopted and audited accounts to be made available to Audit

The company shall make available the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss and any other statements or documents declared under the Companies Act, 2013 to be part of annual accounts duly adopted by the board of directors and audited by the statutory auditor to the Accountant General (Audit) by giving sixty days time for conducting supplementary audit and issue of comments of the Comptroller and Auditor General. Any comments given by the Comptroller and Auditor General upon, or supplement to, the audit report shall be sent by the company to every person entitled to copies of audited financial statements and also be placed before the annual general meeting of the company at the same time and in the same manner as the audit report.

67. Records of the company to be made available to audit

The company shall expeditiously provide the required books of accounts, vouchers, data, information and other documents to the officers of the Accountant General (Audit) to discharge their duties and functions under the Companies Act, 2013.

68. Scope of Supplementary Audit

It is the statutory auditor who is primarily responsible for expressing an opinion on the accounts of the company. Supplementary audit of the accounts by the Comptroller and Auditor General is, by its very definition, mainly an instrument of quality control of financial audit of accounts that begins with careful selection of the statutory auditor and continues with the ongoing oversight of his work including review of the conclusions drawn in his audit report. The scope of supplementary audit of annual accounts of a Government company and any other company by the Comptroller and Auditor General shall include an examination of selected accounting records and a review of the audit report of the statutory auditor including the opinion expressed by him on the annual accounts of the company.

69. Comments of the Comptroller and Auditor General under Companies Act, 2013

The significant and material observations made in supplementary audit shall be issued as comments of the Comptroller and Auditor General under the Companies Act, 2013 after due consideration of the views, if any, of the statutory auditor and the management of the company.

70. Scope of test audit by the Comptroller and Auditor General

As per Section 143 (7) of the Companies Act, 2013, the Comptroller and Auditor General may, in case of any company covered under sub-section (5) or sub-section (7) of Section 139 of the Companies Act, 2013, if he considers necessary, by an order, cause test audit to be conducted of the accounts of such company and the provisions of section 19A of the Comptroller and Auditor General 's (DPC) Act, 1971, shall apply to the report of such test audit.

Thus, in addition to the supplementary audit of annual accounts of a Government company or any other company, the Comptroller and Auditor General may conduct test audits during the year. These audits may be compliance audits (covering transactions entered into by the company with a view to examining their regularity, propriety, probity) or performance audits (covering economy, efficiency and effectiveness). The scope of test audit may extend to more than one financial year. The audit shall be conducted in accordance with the Regulations in the relevant chapters.

71. Establishment of Audit Board for central public sector undertakings

With a view to ascertaining the extent to which an activity, programme or organisation operates economically, efficiently and effectively for the achievement of the designated objectives, the Comptroller and Auditor General has, in consultation with the Government of India, established an Audit Board for central public sector undertakings. The Audit Board is a permanent body for performance audits of the central public sector undertakings conducted at periodic intervals focusing on critical areas of their performance. The Audit Board is responsible for reviewing the performance of the central public sector undertakings on thematic issues. The issues may relate to a particular entity or cut horizontally across several entities. The scope of performance audit may extend to more than one financial year.

72. Constitution of Audit Board

The Deputy Comptroller and Auditor General (Commercial) shall be the Chairperson of the Audit Board, which shall include, as members, senior officers of the Indian Audit and Accounts Department as notified from time to time. One or two technical experts in the related field appointed by the administrative ministry in consultation with the Comptroller and Auditor General may be co-opted as special invitees. An officer shall be appointed to act as Secretary to the Audit Board.

73. Role of Audit Board

The Audit Board shall function in an advisory and recommendatory capacity.

74. Meetings of Audit Board

The meetings of the Audit Board shall be held with the available members and there shall be no requirement of a quorum. The Secretary to the Audit Board shall keep the minutes of the meetings of the Audit Board.

75. Discretion of Audit Board to confine itself to selection of topics

The Audit Board may at its discretion confine itself to making recommendations for the selection of topics for performance audit and the audit may, thereafter, be conducted by the Accountant General (Audit) without any further reference to the Audit Board.

76. Subsequent meetings of Audit Board

Where the Audit Board decides to guide a performance audit, it shall meet:

(1) to consider and make recommendations on the audit objectives, criteria, guidelines, and methodology; and

(2) to consider the draft audit report and make recommendations for its finalisation.

77. Requirement of the representatives of the Company and the Department to attend the meeting of the Audit Board

The Audit Board shall invite the representatives of the Company and the Government Department to attend the meeting referred to at clause (2) of the preceding Regulation. The Chief Executive Officer of the Company and the Secretary to Government of the concerned department shall attend such meeting and there shall be no separate exit conference.

78. Application of Regulations for Performance Audit of State Public Sector Undertakings/ Enterprises

The Regulations prescribed for Performance Audit shall apply mutatis mutandis to audit of State Public Sector Undertakings/ Enterprises.

79. Inclusion of results of audit in the Audit Report

The results of audit of Government companies or any other Company may also be included in the audit report of the Comptroller and Auditor General. No comments shall, however, be included in the audit report except after giving due opportunity to the Government company or any other Company and the Government to offer their explanation on the matters proposed to be included in the audit report.

80. Submission of audit reports to the Government and legislature

The reports of the Comptroller and Auditor General in relation to the accounts of a Government company or any other company shall be submitted to the Government concerned under Section 19A of the Act. The Government shall cause every report so received to be laid before each House of Parliament/State legislature, as the case may be.

81. Responsibility for settlement of audit observations and constitution of Audit Arrears Committee

In case of both Central and State public sector enterprises, the responsibility for settlement of audit observations lies with the Management of the Company. In case a large number of audit observations included in inspection reports remain outstanding for more than two years, each such company shall constitute an Audit Arrears Committee consisting of sufficiently senior officers of the company for speedy settlement and clearance of outstanding audit observations. The concerned Government may take steps to ensure constitution of these committees and their effective functioning.

Chapter 8

Audit of Bodies and Authorities

(a) Broad Principles

82. Authority of the Comptroller and Auditor General for audit of bodies and authorities

The audit of bodies and authorities, other than Government establishments and companies, by the Comptroller and Auditor General is governed by the provisions contained in Sections 14, 15, 19(2), 19(3), 19A and 20 of the Act.

83. Meaning of the expression 'body' and 'authority'

The expression 'authority' means a person or body exercising power or command vested in it by virtue of the Constitution or any law made by the legislature. The expression 'body' means an aggregate of persons, whether incorporated or unincorporated, and includes an institution or organisation set up as an autonomous organisation under a specific statute or as a society registered under the Societies Registration Act, 1860 or Indian Trusts Act, 1882 or any other statute, voluntary organisation or non-Government organisation, urban or rural local self-Government institution, co-operative society, society or club, etc.

84. Provisions of Section 18 of the Act to apply to bodies and authorities

The provisions of Section 18 of the Act shall apply to bodies and authorities that are under the audit jurisdiction of the Comptroller and Auditor General.

85. Accounts of bodies and authorities to be made available to Audit

The body or authority under the audit jurisdiction of the Comptroller and Auditor General shall make its duly approved accounts available for audit as per time schedule that may be prescribed by the laws governing such body or authority or else by the Comptroller and Auditor General.

(b) Audit of Bodies and Authorities substantially financed from Union or State Revenues

86. Audit of bodies and authorities under Section 14 of the Act

(1) Section 14(1) of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to audit the receipts and expenditure of a body or authority if

(a) the amount of Government grant or loan paid to it in a financial year is not less than rupees twenty five lakh and also (b) the amount of such grant or loan is not less than seventy-five per cent of its total expenditure during the year. Audit under this Section is subject to the provisions of any law applicable to the body or authority.

(2) Section 14(2) of the Act provides that the Comptroller and Auditor General may, with the previous approval of the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly, as the case may be, audit all receipts and expenditure of a body or authority where the amount of Government grants or loans to the body or authority in a financial year is not less than rupees one crore.

(3) Where the receipts and expenditure of a body or authority are audited by the Comptroller and Auditor General under sub-section (1) or (2) of Section 14 for a particular year, the Comptroller and Auditor General is authorised under Section 14(3) of the Act to continue to audit its receipts and expenditure for a further period of two years even if the conditions stated in sub-section (1) or (2) are not satisfied during any of the two subsequent years.

87. Sanctions of grants and loans and forwarding of copies

Government departments and other officers empowered to sanction grants and/or loans to any body or authority shall:

(1) endorse a copy of each letter of sanction of grant or loan to the audit office;

(2) mention in the sanction, the amount of the budgeted expenditure of the body or authority; and

(3) ensure that the assisted body or authority makes available all the relevant records to the audit officer for audit, wherever and whenever necessary, and that a requirement to this effect is incorporated in the letter of sanction to the grant and/or loan.

88. Forwarding of statement of bodies and authorities receiving assistance

Governments and Heads of Departments which sanction grants and/or loans to bodies or authorities shall furnish to the audit office by end of July every year a statement of such bodies and authorities to which grants and/or loans aggregating rupees ten lakh or more were paid during the preceding year indicating:

- (a) the amount of assistance;
- (b) the purpose for which the assistance was sanctioned; and

(c) the total expenditure of the body or authority.

89. Computation of quantum of Government assistance

For arriving at the quantum of Government assistance for the purpose of ascertaining auditability under Section 14 of the Act:

(1) the aggregate of the amounts of grant(s) and loan(s) paid to a body or authority shall be reckoned together; the amounts of grant(s) and loan(s) paid to a body or authority by the Union Government, the State Government(s) and the Union Territory Government(s) shall be aggregated; and

(2) the amounts of grant(s) and loan(s) paid during a year shall include any amounts remaining unspent out of grant(s) and loan(s) paid to the body or authority during preceding year(s) but not refunded to the Government.

90. Audit of receipts and expenditure and review of internal controls and financial records

Audit of the receipts and expenditure of a substantially financed body or authority shall be conducted in accordance with the Regulations prescribed in respect of audit of expenditure and receipts. The Comptroller and Auditor General may also conduct a critical review of its system of internal controls and financial records as well as the tests performed by its auditor for expression of an opinion on its accounts.

91. Communication of results of audit and their inclusion in audit report

The audit office shall communicate the results of audit to the chief executive officer of the body or authority and shall also forward a copy of the inspection report to the department(s) of the Government(s) that paid the grant(s) or loan(s) to the body or authority. Important points noticed in audit that need to be brought to the notice of the legislature may also be included in the audit report of the Comptroller and Auditor General submitted to the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly, as the case may be, for being laid before the appropriate legislature.

(c) Scrutiny in case of grants and loans given to bodies and authorities for specific purpose

92. Audit of bodies and authorities under Section 15 of the Act

(1) Under Section 15 of the Act, where any grant or loan is given for any specific purpose from the Consolidated Fund of India or of any State or of any Union Territory having a legislative assembly to any authority or body, not being a foreign state or international organisation, the Comptroller and Auditor General is authorized to scrutinise the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such grants or loans were given.

(2) The President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly, as the case may be, if he is of the opinion that it is necessary to do so in public interest and after consultation with the Comptroller and Auditor General, may relieve the Comptroller and Auditor General from making any such scrutiny in respect of any body or authority receiving such grant or loan.

93. Access to books and accounts of grantee body or authority

(1) Under sub-section (1) of Section 15, the Comptroller and Auditor General is authorised to have access, with reasonable previous notice, to the books and accounts of the grantee body or authority for the purpose of scrutinising the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions attached to the Government assistance.

(2) Under sub-section (2) of Section 15, except where he is authorised so to do by the President, the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory, as the case may be, the Comptroller and Auditor General shall not have, while exercising the powers conferred on him by Section 15(1), right of access to the books and accounts of any corporation to which any such grant or loan as is referred to in Section 15(1) is given if the law by or under which such corporation has been established provides for the

audit of the accounts of such corporation by an agency other than the Comptroller and Auditor General. No such authorisation shall be made except after consultation with the Comptroller and Auditor General and after giving the concerned corporation a reasonable opportunity of making a representation in this regard.

94. Communication of results of audit and their inclusion in audit reports

The audit office shall communicate the results of scrutiny of the procedures conducted in terms of Section 15 of the Act to the department(s) of the Government(s) that paid the grant(s) and/or loan(s) to the body or authority. Important points that need to be brought to the notice of the legislature may also be included in the audit report of the Comptroller and Auditor General submitted to the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly, as the case may be, for being laid before the appropriate legislature.

(d) Audit of corporations set up by or under law made by Parliament

95. Audit of corporations under Section 19(2) of the Act

As per Section 19(2) of the Act, the duties and powers of the Comptroller and Auditor General in relation to audit of accounts of corporations established by or under law made by Parliament are performed and exercised in accordance with the provisions of the respective legislations.

96. Conduct of audit of corporations

Subject to the provisions of the respective legislations, the conduct of audit of corporations established by or under any law made by Parliament shall be governed by the provisions of these Regulations

97. Copies of agenda notes and minutes of meetings of board of directors and audit committees to be furnished to Audit

Every corporation that is subject to audit by the Comptroller and Auditor General shall send copies of the agenda notes and minutes of the meetings of its governing body, by whatever name called, and the Audit Committee, if formed, to the Accountant General (Audit).

98. Applicable standards and verifications required in audit of accounts

Where the Comptroller and Auditor General is the sole auditor of a corporation, the financial audit is conducted in accordance with the auditing standards issued by the Comptroller and Auditor General. Audit shall verify whether systems and procedures are in place and implemented to ensure that the accounts:

(1) comply with the requirements of the applicable law(s), rules and administrative instructions;

(2) comply with the accounting standards prescribed by the ICAI;

(3) contain adequate disclosures in respect of financial transactions; and

(4) present a true and fair view of the corporation's financial position.

99. Audits other than financial audit of accounts by the Comptroller and Auditor General

(1) In addition to the financial audit of accounts of a corporation, the Comptroller and Auditor General may conduct any other type of audit including the following:

(a) test check of transactions entered into by the corporation with a view to examining their legality, competence and propriety and report on cases of infraction, waste, mismanagement, frauds and other irregularities; and

(b) performance audit with a view to ascertaining the extent to which the corporation operates economically, efficiently and effectively for the achievement of the stated objectives.

(2) The scope of above audits may extend to more than one financial year.

(3) The Regulations contained in Chapters 6 and 7 shall apply to the compliance and performance audits conducted under sub-Regulations (1) and (2) to the extent relevant.

100. Audit certificate as warranted by circumstances

The audit certificate may be subject to such observations and qualifications as the circumstances may warrant. An adverse certificate may be given if the observations and qualifications are of such nature as may not warrant certification of accounts as presenting a true and fair view of the financial position of the corporation.

101. Forwarding of draft separate audit report

On the completion of financial audit, the audit office shall send to the Chief Executive Officer a draft separate audit report that will form part of the audit certificate on the accounts. A copy of the same shall also be sent to the Government in case it contains any observation on which reply of the Government is necessary.

102. Reply to draft separate audit report

The Chief Executive Officer of the corporation (and the Government, where a copy of the draft separate audit report is sent to it) shall communicate reply to the draft separate audit report within two weeks from the date of its issue or such other period as prescribed.

103. Finalisation of audit certificate and separate audit report

The audit office shall consider the reply received from the corporation (and the Government if a copy is sent to it) before finalising the audit certificate and the separate audit report. In case a reply is not received within the specified period or any extended period agreed to, the audit officer may proceed on the assumption that the corporation (and the Government where a copy of the draft separate audit report is sent to it) has no comments, observation and explanation in the matter.

104. Forwarding of audit certificate and separate audit report to Government

The Accountant General (Audit) shall send the audit certificate and the separate audit report which will form part of the audit certificate on the accounts of the corporation to the Secretary to Government of the concerned department with a copy to the Chief Executive Officer of the corporation.

105. Placement of audit certificate and separate audit report before governing body and concerned legislature

The Chief Executive Officer shall place the audit certificate and the separate audit report before the governing body and intimate to the Accountant General (Audit) the date on which these are presented to the governing body. The Government shall cause every audit certificate and separate audit report to be laid before appropriate legislature(s) in accordance with Section 19A of the Act. The Secretary shall intimate to the Accountant General (Audit) the date of presentation of the audit certificate and the separate audit report to the legislature.

106. Reporting of results of audits other than financial audit of accounts

The results of other audits including compliance and performance audits of a Government corporation shall be reported in accordance with Regulation 136. Audit reports of the Comptroller and Auditor General are laid before the respective legislature. No comments shall, however, be included in the inspection reports and audit reports except after giving due opportunity to the corporation and the Government to offer their explanation on the matters proposed to be commented upon.

107. Responsibility for settlement of audit observations and constitution of Audit Arrears Committee

The responsibility for settlement of audit observations is that of the management of the corporation. In case a large number of audit observations included in the inspection reports remain outstanding for more than two years, each such corporation shall constitute an Audit Arrears Committee consisting of sufficiently senior officers of the corporation for speedy settlement and clearance of outstanding audit observations. The concerned Government may take steps to ensure constitution of these committees and their effective functioning.

108. Corporations where Audit Board or Audit Review Committee is constituted or where primary auditor is appointed

In case of central corporations where Audit Board is constituted by the Comptroller and Auditor General, Regulations in Chapter 7 shall apply to the extent relevant. Further, in case of corporations where primary auditor is appointed under the relevant Act, relevant Regulations in Chapter 7 shall apply.

(e) Audit of State Corporations and other bodies and authorities entrusted to the Comptroller and Auditor General

109. Audit under Section 19(3) of the Act

As per Section 19(3) of the Act, the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly may, where he is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do,

request the Comptroller and Auditor General to audit the accounts of a corporation established by law made by the legislature of the State or of the Union Territory, as the case may be, and where such request has been made, the Comptroller and Auditor General shall audit the accounts of such corporation and shall have, for the purposes of such audit, right of access to the books and accounts of such corporation.

No such request shall be made except after consultation with the Comptroller and Auditor General and after giving reasonable opportunity to the corporation to make representation with regard to the proposal for such audit.

110. Audit under Section 20 of the Act

(1) Under sub-section (1) of Section 20 of the Act, the audit of accounts of any body or authority, the audit of which has not been entrusted to the Comptroller and Auditor General by or under any law made by Parliament may, subject to the proviso contained in Section 20(3), also be entrusted by the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly, as the case may be, to the Comptroller and Auditor General after consultation with him and on such terms and conditions as may be agreed to between him and the concerned Government.

(2) As per sub-section (2) of Section 20 of the Act, the Comptroller and Auditor General may propose to the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly, as the case may be, that he may be authorised to undertake the audit of accounts of a body or authority, the audit of which has not been entrusted to him by law, if he is of the opinion that such audit is necessary because a substantial amount has been invested in or advanced to that body or authority by Government, and the President or the Governor or the Administrator, as the case may be, may, subject to proviso contained in sub-section (3), empower the Comptroller and Auditor General to undertake the audit of accounts of that body or authority.

(3) Under Section 20(3) of the Act, audit under Section 20(1) or 20(2) shall be entrusted to the Comptroller and Auditor General only if the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly is satisfied that it is expedient to do so in the public interest and after giving reasonable opportunity to the concerned body or authority to make representation with regard to the proposal for such audit.

111. Conditions for undertaking audit under Section 20(1)

The conditions for undertaking audit of a body or authority at the request of the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly under Section 20(1) are the following:

(1) Audit shall be entrusted to the Comptroller and Auditor General if and as agreed to, by the Comptroller and Auditor General.

(2) The arrangement may be reviewed if requested by the Government or Comptroller and Auditor General.

(3) The scope, extent and manner of audit shall be decided by the Comptroller and Auditor General.

(4) The Comptroller and Auditor General may appoint a primary auditor to conduct audit on his behalf and in accordance with the directions or guidelines issued by him.

(5) The Comptroller and Auditor General or any other person so authorised in connection with the audit of accounts of the body or authority shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller and Auditor General has in connection with the audit of accounts of Government.

(6) The Comptroller and Auditor General, or an officer so authorised in this regard, will communicate the results of audit to the governing body of the body or the authority. The governing body shall submit a copy of the report to the concerned Government along with its observations. The Comptroller and Auditor General or an officer so authorised in this regard, will also forward a copy of the report to the concerned Government. The Comptroller and Auditor General shall have the right to report the results of audit to Parliament or the State legislature or Union Territory legislature.

(7) Any expenditure incurred by the Comptroller and Auditor General in connection with the audit of the body or authority, including the expenditure incurred for the services of the primary auditor, if any, shall be paid by the body or the authority to the Comptroller and Auditor General.

112. Proposal for entrustment of audit from Union Government

The proposal from Union Government including Union Territory without legislative assembly to entrust audit of a body or authority to the Comptroller and Auditor General shall be sent to the office of the Comptroller and Auditor General.

113. Proposal for entrustment of audit from State or Union Territory Government

The proposal from State Government or Union Territory Government having a legislative assembly to entrust audit of a body or authority to the Comptroller and Auditor General shall be sent to the concerned Accountant General (Audit).

114. Letter of entrustment of audit

The letter of entrustment of audit of a body or authority to the Comptroller and Auditor General shall be issued in the name of the President or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a legislative assembly. The letter shall inter alia indicate that the prescribed requirements, including the requirement relating to giving reasonable opportunity to the body or authority, where applicable, have been satisfied.

115. Audit as per provisions of laws and agreed terms and conditions

The audit under Section 19(3) or under Section 20 of the Act shall be conducted in accordance with the provisions of relevant laws and terms and conditions agreed upon between the Comptroller and Auditor General and the concerned Government, wherever applicable. Subject to the above, the audit of such corporations and the bodies or authorities shall be conducted in accordance with these Regulations.

116. Audit of corporations set up by State and UT legislatures and other entrustment audits

The provisions contained in Section (d) of this Chapter shall apply mutatis mutandis to the extent relevant to corporations set up by law made by State legislature and Union Territory legislature and other bodies and authorities, audit of which has been entrusted to the Comptroller and Auditor General under Section 19(3) and Section 20 of the Act.

Chapter 9

Role of the Comptroller and Auditor General in audit of

Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies

117. Arrangements for maintenance of accounts and audit

Under Articles 243J and 243Z of the Constitution, the legislature of a State may, by law, make provisions with respect to the maintenance of accounts and the auditing of such accounts of Panchayati Raj institutions and urban local bodies. The local fund auditor, who is generally an officer of the State Government, is responsible for audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies. In certain states, the Examiner of Local Fund Accounts, who is an officer of the Comptroller and Auditor General, is responsible for the audit of accounts and urban local bodies.

118. Audit under Section 14, 19, 20 of the Act where applicable

The Comptroller and Auditor General may undertake the audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies under Section 14 of the Act where such bodies are financed by grants or loans from the Consolidated Fund of India or of any State or Union Territory having a legislative assembly and are auditable under the provisions of this Section of the Act. In such cases, the relevant Regulations for such audits shall apply. These Regulations, to the extent relevant, shall also apply in cases where audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies is entrusted to the Comptroller and Auditor General under Section 19 or Section 20 of the Act.

119. Model forms of accounts and budget

The model forms in which the accounts of Panchayati Raj institutions and urban local bodies may be kept and the forms in which their budgets may be prepared and presented, have been prescribed by the Comptroller and Auditor General.
120. Arrangements regarding Technical Guidance and Support (TGS)

The functions of technical guidance and support to audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies have been entrusted to the Comptroller and Auditor General under Section 20(1) of the Act in many States.

The salient features of the collaborative arrangement between the Comptroller and Auditor General and the local fund auditor under technical guidance and support as incorporated in various Government orders of State Governments are as follows:

(1) The local fund auditor will prepare by the end of March every year, an annual audit plan for audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies in the next financial year and forward it to the Accountant General (Audit) of the State;

(2) The audit methodology and procedures for audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies by the local fund auditor will be as per various Acts and statutes enacted by the State Government and guidelines prescribed by the Comptroller and Auditor General.

(3) Copies of inspection reports in respect of selected local bodies shall be forwarded by the local fund auditor to the Accountant General (Audit) for advice on system improvements and the Accountant General (Audit) shall review the same with a view to make suggestions for improvement of existing systems being followed by the local fund audit department. The Accountant General (Audit) will also monitor the quality of the inspection reports issued by the local fund auditor by scrutinising such inspection reports.

(4) The local fund auditor will furnish returns in such format as may be prescribed by the Comptroller and Auditor General for advice and monitoring.

(5) The Accountant General (Audit) would conduct test check of some of Panchayati Raj institutions and urban local bodies in order to provide technical guidance. The report of the test check would be sent to the local fund auditor for pursuance of action to be taken by Panchayati Raj institutions and urban local bodies. The local fund auditor will pursue the compliance of such paragraphs in the inspection reports of the Accountant General (Audit) in the same manner as if these are his own reports.

(6) Irrespective of the money value of the objections, any serious irregularities such as system deficiencies, serious violation of rules and fraud noticed by local fund auditor will be intimated to the Accountant General (Audit).

(7) The local fund auditor shall develop, in consultation with Accountant General (Audit), a system of internal control in his organisation.

(8) The Accountant General (Audit) shall also undertake training and capacity building of the local fund audit staff.

121. Audit not to include certification of accounts

Unless specifically provided, audit by the Accountant General (Audit) in terms of paragraph (5) of the preceding Regulation does not include the certification of accounts of Panchayati Raj institutions or urban local bodies.

122. Role of Accountant General (Audit) in pursuance of inspection reports

Notwithstanding anything contained in the Regulations of this chapter regarding pursuance of paragraphs in the inspection reports of the Accountant General (Audit) by the local fund auditor, the Accountant General (Audit) will also ensure their regular pursuance.

123. Forwarding of results of audit to the Government

The Accountant General (Audit) will send to the concerned Secretary or Secretaries to the Government by the end of June every year an annual technical inspection report, including the results of audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies conducted by his office during the preceding year under the ambit of Regulation 120 (5) and other activities under TGS. The Secretary or Secretaries may ensure that appropriate remedial action is taken expeditiously and the Accountant General (Audit) is informed of the action taken. In the States where the Examiner of Local Fund Accounts audits the Local Bodies, the technical inspection report shall be prepared by the Examiner of Local Fund Accounts and countersigned by Accountant General (Audit).

124. Inclusion of results of audit in audit report

Where the results of audit of Panchayati Raj institutions and urban local bodies are included in the audit report of the Comptroller and Auditor General and placed before the legislature, the relevant Regulations pertaining to reporting the results of audit and audit reports shall apply.

Chapter 10

Guiding Principles of Auditing Standards

125. Authority and Purpose

(1)Auditing Standards issued by the Comptroller and Auditor General set out the professional standards of auditing for the Comptroller and Auditor General's organisation as well as for its personnel.

(2)Auditing standards establish the norms applicable to all audit engagements undertaken by the Comptroller and Auditor General

(3) All audit engagements as per the audit mandate of the Comptroller and Auditor General shall be conducted in accordance with Auditing Standards issued by the Comptroller and Auditor General.

(4) Auditing standards determine the audit procedures that shall be applied in audit and constitute the criteria or benchmark(s) against which the quality of audit results is evaluated.

(5) Auditing standards apply to all types of audit including financial audit, compliance audit, performance audit and any combination of such audits.

(6) Auditing standards shall be periodically updated, revised or modified by the Comptroller and Auditor General in keeping with the applicable international auditing standards, while keeping in view the provisions in the Constitution of India, the Act and other relevant statutes, extant rules and these regulations.

126. Elements of public sector auditing

The elements of public sector auditing are as follows and as detailed in the Comptroller and Auditor General's Auditing Standards and specifically provided for, as applicable, in the Guidelines for Compliance Audits, Performance Audits and Financial Audits issued by the Comptroller and Auditor General.

(a) The three parties (auditor, responsible party and intended users)

(b) Subject matter, criteria and subject matter information

(c) Types of engagement (attestation and direct reporting)

(d) Confidence and assurance in public-sector auditing and levels of assurance.

127. Principles of Public-sector auditing and principles related to audit process

(1) The general principles of public sector auditing that the auditor should consider prior to commencement and at more than one point during audit comprise ethics and independence, professional judgement, due care and skepticism, quality control, audit team management and skills, audit risk, materiality, documentation and communication as given in the Auditing Standards.

(2) Principles related to the audit process are explained in the Auditing Standards and comprise

(a) Planning

(i) Establish the terms of the audit engagement

(ii) Obtain understanding of the entity

(iii) Conduct risk assessment

(iv) Determine Materiality

(v) Identify risks of fraud, as applicable

(vi) Develop an audit plan – audit objectives, scope, approach and methodology, resource allocation, timelines across stages of audit

- (b) Conducting the Audit
- (i) Perform the planned audit procedures to obtain audit evidence
- (ii) Evaluate audit evidence and draw conclusions
- (c) Reporting and follow-up
- (i) Prepare a report based on the conclusions reached
- (ii) Follow up on reported matters as relevant

Audit Planning, Conduct of Audit and Reporting

128. Maintaining an updated list of auditable entities

All audit offices will be responsible for maintaining an updated list of auditable entities, subject to their respective audit jurisdictions, including Acts and subordinate legislations being enforced by all Government Departments. Heads of Departments shall supply to the audit office any changes to the list of such auditable entities under the jurisdiction of their Department, including in Acts and subordinate legislations administered by them, immediately upon change or when information is requested by audit offices and at least twice a year on their own, in June and December. Audit offices will also inform Government of any change in their audit jurisdiction promptly.

129. Audit Planning

(1) Audit Planning involves

(a) the identification of audit assignments, relating to one or more auditable entities, as part of the annual and/or longer-term audit plan; such assignments may be financial, compliance or performance audits, or combine all or some aspects thereof.

(b) Planning individual audit assignments

(2) The development of the annual or longer-term audit plan is based on the assessment of risk and other factors, as may be determined by Comptroller and Auditor General.

(3) The planning of individual audit assignments broadly involves:

(a) Obtaining an understating of the nature of the entity/ programme/ activity etc being audited;

(b) Defining the audit scope, objectives and approach;

(c) Defining the nature, timing and extent of the audit procedures, and timelines

(4) The detailed procedures for the preparation of the annual or longer-term plan, and planning of individual audit assignments shall be specified by the Comptroller and Auditor General.

130. Advance intimation for audit

The audit office shall give sufficient advance intimation to the Officer in charge of the Office to be audited. Audit offices may even give advance intimation to the auditable entities as soon as their audit plan is approved. The intimation for audit shall state the likely duration of audit including duration of visit to auditable entity, audit scope and objectives, and composition of the audit team. In cases where the audit involves an element of surprise check, no advance intimation need be given.

The Officer in charge of the Office shall acknowledge the receipt of such intimation and shall make best efforts to be available in headquarters during the period of visit of the audit team.

The Officer in charge may nominate a sufficiently Senior Officer of his Office as a Nodal Officer, for liaison with Audit. The Officer in charge will, however, continue to be responsible for ensuring adherence to these Regulations in so far as they relate to facilitation of audit.

131. Provision of facilities for conduct of audit

It shall be the duty of the Head of the Office of the auditable entity to provide appropriate and reasonable office accommodation and other office amenities to the audit team for official use and at par with facilities available in the auditable entity for its own officers and staff of similar seniority/ rank/ pay scale.

132. Meeting with Officer in charge of the auditable entity at the commencement of audit

The audit team leader/supervisory officer shall hold a meeting with the Officer in charge as soon as the work of audit commences. In the meeting, the audit objectives and criteria, general state of internal controls and areas of focus, concern or high risk identified by Audit may be discussed. A written record of the proceedings of the meeting duly signed by both the parties may be kept. In case a meeting cannot be held, the same shall be recorded.

133. Issue of audit requisitions, queries and audit observations

(1) During the audit process, while audit requisitions and queries (where necessary), can be issued by members of the audit team, audit observations will be issued by the audit team with the approval of the audit team leader/supervisory officer. All communications will be duly numbered.

(2) Preferably, all such communication will be issued electronically. Any communication issued offline/manually will be uploaded into the workflow/sent electronically at the earliest opportunity.

134. Replies to audit queries and audit observations

The officer in charge at the auditable entity, shall ensure that to-the-point replies are rendered to the audit queries and audit observations within the stipulated time and that the particulars given in the replies are correct with reference to the records so that the accuracy of the facts and figures conveyed by audit are confirmed in such replies and are not disputed when processed further by Audit. All such replies shall be signed by the officer in charge or carry an indication of his approval.

135. Meeting with officer in charge of auditable entity at the close of audit

The audit team leader/supervisory officer and the officer in charge shall discuss the audit observations at the close of audit. The officer in charge shall confirm the facts and figures included in the audit observations. Any point of disagreement may be brought out and discussed during the meeting with a view to resolve the same. The officer in charge shall also offer his observations on the audit conclusions and recommendations, if not already done in response to the audit observations. The same shall be recorded and included as response of the auditable entity to the audit observations. Where necessary and appropriate, the audit team may make recommendations for remedying systemic deficiencies and improving control. A written record of the proceedings of the meeting duly signed by both the parties shall be kept. In case a meeting cannot be held, the same shall be recorded.

136. Forms of communication at the close of audit

(1) Depending on nature and type of audit, audit observations/results of audit, at the conclusion of an audit assignment, are issued in the form of, but not limited to;

(a) In case of financial audit, draft audit opinion, draft separate audit report (SAR), draft comments supplementary to the opinion of the statutory auditor or a draft audit report

(b) In case of compliance audits, inspection reports addressed to the Heads of the individual audit units or implementing units, draft paragraphs or draft audit report addressed to the Head of the Department

(c) In case of Performance Audits, draft audit report addressed to head of the Apex entity or Head of the Department or to Government

(2) The above would be issued as per the timelines prescribed in this regard.

(3) Based on the responses received from the auditable entity and/or Department/Government and further assessment by audit, audit observations and draft audit reports are further developed into audit findings, conclusions and recommendations to be incorporated in or as Comptroller and Auditor General's audit report.

137. Communication of draft audit report/draft paragraph to Government and discussion thereon

(1) The Accountant General (Audit) shall send a copy of draft audit report/draft paragraph to the concerned Secretary to Government by name for communicating the comments, observations and explanation of the Government within such period of time as may be specified. The Accountant General (Audit) shall also offer to discuss the draft audit report/ draft paragraph with the Secretary at mutual convenience within the aforesaid period. A discussion may not be necessary in the case of a draft performance audit report that has been separately discussed with the Secretary at an exit conference in terms of these Regulations.

(2) The Accountant General (Audit) shall simultaneously send one copy of the draft audit report/ draft paragraph to the Secretary to the Government, Ministry of Finance or Finance Department, by name.

(3) The draft audit report/ draft paragraph shall be annotated with reference to the supporting audit evidence. The Accountant General (Audit) shall provide copies of any relevant documents and evidence in his possession that may be required by the Government Department.

138. Reply to draft audit report/ draft paragraph by Government

(1) The Secretary to Government of the concerned department shall

(a) confirm or cause to be confirmed, the receipt of the draft audit report/ draft paragraph to the Accountant General (Audit) as soon as it is received, and

(b) communicate the comments, observations and explanation of the Government on the draft audit report/ draft paragraph in writing to theAccountant General (Audit) by name within the specified period. The reply shall be signed by the Secretary or carry an indication of approval by the Secretary.

(2) The reply of the Secretary to Government shall state:

(a) whether the department accepts the facts and figures mentioned in the draft audit report/ draft paragraph; if not, the reasons supported by the relevant documents and evidence duly authenticated;

(b) comments, observations and explanation of the Government on matters included in the draft audit report/ draft paragraph;

(c) Government's response to suggestions and recommendations made in the draft audit report/ draft paragraph;

(d) remedial action taken or proposed to be taken; and

(e) any other observations or remarks of the department.

(3) Consistent with the schedule of preparation, finalisation and presentation of the audit report in the legislature, the Accountant General (Audit) may consider a request made by the concerned Secretary to Government for extension of time for sending the reply to the draft audit report/ draft paragraph. Every such request shall

(a) specify the reasons for seeking extension beyond the time stipulated, and

(b) state the date by which the final reply to the draft audit report/ draft paragraph shall be sent to the Accountant General (Audit).

(4) The Accountant General (Audit) will proceed on the assumption that the Government has no comments, observation and explanation in the matter in case a final reply is not received within the specified period or the extended period agreed to.The Government shall bear responsibility for the accuracy of the facts, figures and the related audit evidence mentioned in the draft audit report/ draft paragraph in such cases.

(5) The Accountant General (Audit) shall give full consideration to the reply of the Government.

The draft audit report/ draft paragraph may be modified or may not be included in the audit report in the light of the reply.

139. Communication of finalised paragraphs for inclusion in audit report

In case of a State Government or a Union Territory Government, after the draft audit report/ draft paragraph has been finalised for inclusion as or in the audit report, the Accountant General (Audit) shall send copies of the finalised paragraph/ audit report by name to the Secretary to Government of the concerned department and the Secretary, Finance Department. In case of the Union Government, a copy of the finalised paragraph/audit report will be sent to the Secretary to the Ministry concerned.

140. Form, content and time of submission of audit reports to be decided by the Comptroller and Auditor General

The form, content and time of submission of audit reports shall be decided by the Comptroller and Auditor General.

Follow up of results of Audit

141. Maintenance of record of audit observations and recommendations by audit and auditable entity and adequate oversight by the Government

Each audit office and auditable entity shall maintain proper record relating to audit observations and recommendations with a view to monitor action taken and maintain follow-up.

The Government shall also establish and implement systems and procedures that ensure adequate, constructive and timely action on audit observations and recommendations communicated by audit.

142. Intimation of major irregularities to the Government and the head of department and furnishing of reports therefrom

(1) The Accountant General (Audit) shall intimate every instance of major irregularity detected in Audit through a Special Management Letter to the Secretary to Government of the concerned department with a copy to the Head of the Department at the earliest possible from the time the instance comes to notice in audit. The Accountant General (Audit) shall also intimate every such instance to the Comptroller and Auditor General in the manner prescribed.

(2) On intimation of the major irregularity by Accountant General (Audit), the Government shall undertake prima facie verification of facts and send to Accountant General (Audit) a preliminary report confirming or denying the facts within three weeks of receipt of intimation from him.

(3) Where the fact of major irregularity is not denied by the Government in the preliminary report, the Government shall further send a detailed report to the Accountant General (Audit) within two months of preliminary report inter alia indicating the remedial action taken to prevent recurrence and action taken against those responsible for the lapse.

(4) Reporting of major irregularities to Government should be done only after due verification with reference to supporting evidence and as far as possible after considering the views of the auditable entity. Care needs to be taken to ensure that only major irregularities are reported in this manner.

143. Follow up action on systemic faults or high risks pointed out by Audit

Where Audit points out systemic faults or identifies high risks, the department should take appropriate action to address these faults and mitigate the risks so identified.

144. Intimation of follow up action taken by the department

The department shall furnish to Audit, within six months of the close of each financial year, an annual statement containing the details of follow up action taken on audit observations, including recoveries, in respect of accepted paragraphs included in the audit reports laid before Parliament or Legislature till the end of that financial year.

145. Establishment of audit committees and their constitution

(1) Government shall establish audit committees for the purpose of monitoring and ensuring compliance and settlement of pending audit observations. Each committee so established shall comprise of a representative each from the administrative department, Audit and a nominee from the Finance Department besides the head of the department of the auditable entity. Minutes of the meetings of the audit committee shall be recorded.

(2) In the case of Central Government establishments located in the States, the Ministry may nominate a State level audit committee in consultation with Accountant General (Audit) for settlement of audit observations.

146. Annual public statement regarding pending audit observations

Each Head of Department shall make the following information available on the Department/Ministry website, regularly updated in the first quarter of each year.

(a) Number and gist of audit observations/paragraphs included in the Audit Report(s) of the Comptroller and Auditor General for the previous year;

(b) Number and gist of major irregularities intimated by Accountant General (Audit) during the previous year;

(c) Action taken by the Department on (a) and (b) above; and

(d) Number of audit observation set communicated in draft audit reports/inspection reports (refer regulation 136) issued during the previous year and gist of observations with substantial money value and those with serious internal control lapses.

147. Forwarding copies of audit report for laying before legislature

(1) An officer authorised by the Comptroller and Auditor General shall send copies of the audit report duly signed by the Comptroller and Auditor General to the Secretary to the Government, Ministry of Finance or Finance Department as the case may be, who shall take prompt action for the submission of the audit report to the President or the Governor or the Administrator for further action and for the presentation of the report in Parliament or the State or Union Territory Legislature. Copies of the audit reports under Section 19A of the Act shall be sent to the Secretary of the Ministry or department concerned or the Administrator of a Union Territory having Legislative Assembly, who shall take prompt action for laying the same in the Parliament or the legislature of the State or Union Territory.

(2) An signed copy of the audit report shall simultaneously be sent to the Secretary to the President of India or the Governor of the State or Union Territory having Legislative Assembly or the Administrator of the Union Territory, as the case may be, informing him of requisite copies having been sent to the Ministry/Department of Finance.

148. Forwarding copies of audit report to Secretary to Government after presentation

The Accountant General (Audit) shall send copies of the audit report to the Secretary to Government of the concerned department after the presentation of the report in Parliament or the legislature, as the case may be.

149. Preparation of action taken note for submission to PAC or COPU

The Secretary to Government of the concerned department shall cause preparation of self-explanatory action taken note(s) on the audit paragraph(s) relating to his department, that are included in the audit report, for submission to the Public Accounts Committee/Committee on Public Undertakings. In each case, the self explanatory action taken note shall carry the approval of the Secretary and state:

(1) whether a written reply on the draft audit paragraph was sent to the Accountant General (Audit) and if not, the reasons for not doing so;

(2) whether the facts and figures stated in the audit paragraph are acceptable and if not, the reasons for not pointing this out when the draft paragraph was received by the Secretary;

(3) the circumstances in which the loss, failure, infructuous expenditure, etc. as pointed out in the audit paragraph occurred; whether due to (a) deficiency in the existing system including the system of internal control, (b) failure to follow the systems and procedures, or (c) failure of individuals including individuals at supervisory levels;

(4) the action taken to fix responsibility on the individual(s) responsible for the loss, failure, infructuous expenditure, etc; and the likely time frame within which such action is expected to be completed;

(5) the current status of recovery of any amount due to Government as pointed out in the audit paragraph;

(6) the action taken or proposed to be taken on the suggestions and recommendations made in the audit paragraph;

(7) the result of review of similar other cases, and the action taken;

(8) the remedial action taken or proposed to be taken to avoid occurrence of similar cases in future, to streamline the systems and to remove system deficiencies, if any; and

(9) such other information as may have been prescribed by the Public Accounts Committee/Committee on Public Undertakings.

150. Vetting of action taken notes and responses on the recommendations of PAC/COPU by Accountant General (Audit)

In the Union, the States and the Union Territories having legislative assembly where legislative committees or the Government desire the Comptroller and Auditor General to vet the action taken notes and the responses of the Government on their commendations of the Public Accounts Committee/Committee on Public Undertakings, the following procedure shall apply:

(1) The Secretary to Government of the concerned department shall send two copies of the draft selfexplanatory action taken note to the Accountant General (Audit) for vetting along with the relevant files and documents based upon which the explanatory note has been formulated, properly referenced and linked. This shall be done within such period of time as may be decided consistent with the requirements of the time-schedule for the submission of the self-explanatory action taken notes prescribed by the Public Accounts Committee/ Committee on Public Undertakings.

(2) The Accountant General (Audit) shall return the self-explanatory action taken note to the Secretary duly vetted as soon as possible but not later than one month. Subject to any requirements that may have been prescribed by the Public Accounts Committee/ Committee on Public Undertakings, the vetting comments of the Accountant General (Audit) may include suggestions for further course of action.

(3) The Secretary shall send the requisite number of copies of the vetted note, as prescribed by the Public Accounts Committee/Committee on Public Undertakings, to the secretariat of the Public Accounts Committee/Committee on Public Undertakings in accordance with the time schedule prescribed by the latter and also forward a copy each to Ministry of Finance or Finance Department as the case may be, and the Accountant General (Audit).

(4) On receipt of the recommendations of the Public Accounts Committee/ Committee on Public Undertakings, the Secretary shall initiate action to prepare the Government's response by way of action taken note for submission to the respective Committee within such period and in such form as the Public Accounts Committee/ Committee on Public Undertakings may prescribe.

(5) The Government's response on the recommendations of the Public Accounts Committee/ Committee on Public Undertakings shall be sent to the Accountant General (Audit) for vetting before its submission to the respective Committee with the relevant files and documents properly referenced and linked. The vetting comments of the Accountant General (Audit) shall be duly reflected in the response that may be sent to the Public Accounts Committee/Committee on Public Undertakings

151. Duty of Government for systems and procedures to ensure timely response

It shall be the duty of the Government to establish and enforce adequate and reliable systems and procedures, clearly defining inter alia the roles and responsibilities at all levels that ensure that (i) the replies to the draft paragraphs, (ii) the self-explanatory action taken notes on matters included in the audit reports and (iii) the action taken notes on the recommendations of the Public Accounts Committee/Committee on Public Undertakings are sent to the appropriate authorities within the time limit prescribed in each case.

152. Reporting of cases of delay to Government

The Accountant General (Audit) will report cases of delay to Secretary (Expenditure), Ministry of Finance in the case of the Union Government and to the Chief Secretary in the case of a State Government and to the Administrator in case of a Union Territory having a legislative assembly. Cases of delay may also be appropriately commented upon in the audit report.

Audit Evidence

153. Meaning of audit evidence and sharing the same with auditable entity

Audit evidence refers to the data, information and documents relied upon to arrive at the audit findings and conclusions. Audit evidence is any information used by the auditor to determine whether the subject matter complies with the applicable criteria. While reporting the results of audit, the Comptroller and Auditor General may include such audit evidence in support of audit findings and conclusions as considered necessary. Audit evidence retained as working papers and not included explicitly in the final audit report, may be shared with the auditable entity at various stages of audit.

154. Evidence to support audit conclusions required to be obtained

Audit shall obtain sufficient and appropriate audit evidence to support the audit opinion or conclusion.

155. Requirement of and access to data, information and documents

The form, type and extent of data, information and documents required for audit tests and evidence shall be determined by Audit. Access to data, information, documents and information systems will be as provided in these Regulations. Data, information and documents would also include those obtained by the auditable entity from a third party and relied upon by it in performance of its functions. If such third party evidence as relied upon by auditable entity is found to be insufficient in Audit, additional information may be requisitioned by Audit from the auditable entity with prior approval of the Accountant General (Audit). On receipt of such requisition, the same shall be obtained by the auditable entity from the third party and provided to Audit. In certain cases, with approval of the Accountant General (Audit), information from third parties, for example bank confirmations etc may be obtained directly by Audit.

156. Types of evidence to be used by Audit

Evidence may take many forms, such as electronic and paper records of transactions, written and electronic communication with outsiders, photographs, videos, results of survey or study, observations by the auditor and oral or written testimony by the audited entity.

The auditor may rely upon evidence from internal sources of the auditable entity as well as from external sources.

157. Methods and techniques for evidence including technology and data analytics

Methods of obtaining audit evidence include physical inspection/joint physical inspection, observation, inquiry, confirmation, recalculation, re-performance, analytical procedures and/or other research techniques. Audit may use IT assisted data analytics and techniques and other IT tools as appropriate for collection and evaluation of evidence. Audit may also use remote sensing, Geographic Information System (GIS), aerial surveys and other technology enabled techniques, as appropriate.

158. Attestation of data, information and documents forming evidence

Where required by Audit, the auditable entity shall attest the data, information and documents kept in physical form/manually, forming the evidence.

159. Conduct of physical verification on request of Audit

Where necessary, Audit may require the auditable entity to conduct physical verification of stores/inventory/stocks, assets, capital works including capital works in progress, services and deliverables in any form in the presence of the audit officer. Any such request shall be made with the approval of the Accountant General (Audit).

General Principles of Government Accounting

160. Duties and powers of the Comptroller and Auditor General in regard to accounts

The duties and powers of the Comptroller and Auditor General in regard to the accounts of the Union and State Governments are laid down under Articles 149 and 150 of the Constitution of India and Sections 10 to 12 and 23 of the Act.

161. Provisions of the Constitution regarding accounts

(1) Under Article 149 of the Constitution, the Comptroller and Auditor General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament.

(2) By virtue of the provisions of Article 150 of the Constitution, the accounts of the Union and the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor General, prescribe. The word "form" used in Article 150 has a comprehensive meaning so as to include the prescription not merely of the broad form in which the accounts are to be kept, but also the basis for selecting the appropriate heads under which the transactions are to be classified.

162. Provisions of the Act regarding accounts

(1) Under Section 10 read with Section 2(e) of the Act, the Comptroller and Auditor General shall be responsible for compiling the accounts and for keeping related accounts of the Union and of each State and Union Territory having a legislative assembly from the initial and subsidiary accounts rendered to offices under his control by treasuries, offices or departments responsible for keeping of such accounts. The President in the case of the Union including Union Territories and the Governor with the previous approval of the President in the case of a State, may after consultation with the Comptroller and Auditor General, by order, relieve him from the responsibility of compiling or keeping the accounts of the Union including Union Territory or departments of the Union including Union Territory or the State.

(2) Under Section 11 of the Act, the Comptroller and Auditor General shall submit these accounts, wherever these responsibilities continue with him, to the President or the Governor of a State or Administrator of the Union Territory having a legislative assembly, as the case may be.

(3) Under Section 12 of the Act, the Comptroller and Auditor General shall in so far as the accounts, for the compilation or keeping of which he is responsible, enable him so to do, give information and render assistance to the Union Government or the State Government or the Government of Union Territory having a legislative assembly, as they may from time to time require.

(4) Section 23 of the Act authorises the Comptroller and Auditor General to lay down general principles of Government accounting.

163. General principles of Government accounting

(1) For the purpose of Section 23 of the Act, the Government Accounting Rules, 1990 shall be deemed to be the general principles of Government accounting.

(2) All Government departments are required to comply with the general principles of Government accounting. It is the duty of auditors to examine during audit whether these principles are being complied with by all Government Departments.

164. Form of accounts

(1) Detailed rules relating to maintenance and rendition of accounts by treasuries and public works divisions are contained in Accounting Rules for Treasuries and the Account Code, Volume III issued by or with the approval of the Comptroller and Auditor General. Detailed rules and instructions relating to the forms in which the initial and subsidiary accounts shall be kept and rendered by the Department of Posts and other technical departments are laid down in the respective accounts manuals or departmental regulations relating to the department concerned.

(2) The format of accounts in respect of autonomous bodies and authorities other than Government establishments and companies is prescribed by the concerned Government in consultation with the Comptroller and Auditor General. In case of autonomous bodies and authorities of Union Government, a common format has been prescribed by the Government with the concurrence of the Comptroller and Auditor General. This common format is applicable to all autonomous bodies and authorities except a few such as Port Trusts for which separate formats are applicable. The State Governments may also adopt the common format applicable to the autonomous bodies of the Union Government, for the autonomous bodies of the States.

(3) The format of accounts of Panchayati Raj institutions and urban local bodies recommended by the Comptroller and Auditor General has been accepted by the Union Government and has been adopted by many State Governments.

165. Role of the Comptroller and Auditor General in accounting standards for Government

(1) Government Accounting Standards Advisory Board set up in the office of the Comptroller and Auditor General with the support of the Government of India. The Board is entrusted with the responsibility of formulating and proposing accounting and financial reporting standards in Government departments and organisations.

(2) The Board is chaired by the Deputy Comptroller and Auditor General and comprises of accounting heads of the Government of India, Ministry of Finance, RBI, State Finance Secretaries, ICAI, ICWAI, as members.

(3) The Government Accounting Standards Advisory Board is also entrusted with the responsibility of preparing a framework and a roadmap for shift to accrual accounting.

(4) The standards proposed by the Board and notified by the Government are under the authority of Article 150 of the Constitution of India.

(5) The response to accounting standards approved by GASAB shall be received from the Ministry of Finance within three months of its approval by full board.

166. Timeliness, correctness and completeness of accounting information to be ensured

(1) In order to enable the Comptroller and Auditor General to discharge accounting functions effectively, the Government needs to establish and enforce systems including internal controls to ensure that all primary accounting units render necessary information in the time schedule prescribed by the accounts office and that the information rendered is correct and complete.

(2) In particular, in the case of IT systems used to generate accounting information, the Government needs to ensure that the integrity, non-repudiability and reliability of such information is maintained through adequate and effective controls.

(3) In keeping with Section 18(1)(a) of the Act Comptroller and Auditor General is authorised to inspect any Office of accounts of the Union and the State, including Treasuries, to obtain an assurance on the internal controls in place. The objective of such an inspection would be to asses the state of general financial control to see that subsidiary records on which such accounts are based are properly maintained in prescribed forms, are complete in all respects and financial rules and orders are observed in their preparation and maintenance.

Chapter 15

Special Provisions

167. Exercise of authority of Accountant General (Audit) or Accountant General (Accounts and Entitlement) by other officers

Any authority exercised by the Accountant General (Audit) or Accountant General (Accounts and Entitlement) under these Regulations shall be exercisable by any of his superior officers or any other officer so authorised by the Comptroller and Auditor General.

168. Regulations not to apply to international assignments

These Regulations shall not apply to any international assignment relating to audit or accounts taken up or being taken up by the Comptroller and Auditor General.

169. Powers to issue general or special orders and guidelines

The Comptroller and Auditor General may issue any general or special orders and guidelines to carry into effect the provisions of these Regulations

170. Inter-relationship of various orders

In fulfillment of the mandate, the Comptroller and Auditor General issues various types of orders and guidelines. These are classified as standing orders, guidelines and practice notes as defined in Regulation 2. The hierarchy of instructions of the Comptroller and Auditor General shall be Regulations, standing orders/guidelines and practice notes in this order. Standing orders, guidelines and practice notes need to be consistent with these Regulations.

171. Removal of doubt

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these Regulations, the decision of the Comptroller and Auditor General shall be final.

172. Powers to modify or relax

The whole or part of these Regulations may be modified under the orders of the Comptroller and Auditor General. Any provisions of these Regulations may also be relaxed by a general or special order of the Comptroller and Auditor General.

173. Continuance of existing orders

The standing orders, guidelines and practice notes shall in future be issued under these Regulations and be consistent with these Regulations. However, the standing orders, the guidelines and the practice notes already issued by the Comptroller and Auditor General or on his behalf shall continue to apply as immediately before the date of issue of these Regulations till the same are revised, revoked or modified.